राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 210वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 210वीं बैठक दिनांक 17/11/2025 को अपरान्ह 04:00 बजे श्री पोलिसेट्टी वेंकट नरसिंगा राव, अध्यक्ष, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य एवं सदस्य सचिव उपस्थित थे।

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया। तदुपरांत एजेण्डावार चर्चाकर निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–1 — एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ (परिवेश 1.0) की अनुशंसा के आधार पर गौण/मुख्य खनिजों/अन्य परियोजना संबंधी प्रकरणों में निर्णय लिया जाना।

1. **मेसर्स श्याम कुमार प्रजापति ब्रिक्स (प्रो.– श्री श्याम कुमार प्रजापति), ग्राम–लोरमी, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2387)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 426216/2023, दिनांक 18/04/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम–लोरमी, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 5/2 एवं 6/7, कुल क्षेत्रफल–1.532 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन क्षमता–1,000 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 10,00,000 नग) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/05/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 467वीं बैठक दिनांक 24/05/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री श्याम कुमार प्रजापति, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

    i. पूर्व में मिट्टी उत्खनन खदान खसरा क्रमांक 5/2 एवं 6/7, कुल क्षेत्रफल–1.532 हेक्टेयर, क्षमता–1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण जिला–मुंगेली द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 22/01/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष हेतु वैध थी।

    परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

    "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered

for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 21/01/2024 तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है। समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 352/खलि-2 उ.प./2023 मुंगेली, दिनांक 21/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्पादन की जानकारी निम्नानुसार है-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
06/04/2018 से 31/03/2019 तक	560
01/04/2019 से 31/03/2020 तक	962
01/04/2020 से 31/03/2021 तक	970
01/04/2021 से 31/03/2022 तक	970
01/04/2022 से 28/02/2023 तक	800

दिनांक 28/02/2023 के उपरांत किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **नगर पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में नगर पंचायत लोरमी का दिनांक 16/10/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशासन), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1106/ख.लि./तीन-1/2017 बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 13/10/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 354/खलि-02/2023 मुंगेली, दिनांक 21/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 353/खलि-02/2023 मुंगेली, दिनांक 21/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर

की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे रेल लाईन, भवन, धार्मिक स्थल, स्कूल, पुल, कलवर्ट, बांध, नल जल योजना एवं राष्ट्रीय राजमार्ग, आबादी क्षेत्र, अस्पताल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। नदी 180 मीटर एवं मुक्तिधाम 150 मीटर दूर है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्री श्याम कुमार प्रजापति के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 06/04/2018 से 05/04/2048 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 5/2 श्री श्याम कुमार प्रजापति व श्री दीपक प्रजापति एवं भूमि खसरा क्रमांक 6/7 श्री रामकुमार के नाम पर है। उत्खनन के संबंध में श्री रामकुमार का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि उत्खनन के संबंध में श्री दीपक प्रजापति का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–लोरमी 1.18 कि.मी., स्कूल ग्राम–लोरमी 200 मीटर एवं अस्पताल ग्राम–लोरमी 1.53 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 19.05 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.8 कि.मी. दूर है। मनियारी नदी 170 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 30,840 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 28,600 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 670 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर चिमनी स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 1,000 वर्गमीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फलाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 28.6 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	1,000	षष्टम	1,000
द्वितीय	1,000	सप्तम	1,000
तृतीय	1,000	अष्टम	1,000
चतुर्थ	1,000	नवम	1,000
पंचम	1,000	दशम	1,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन है। जल की आपूर्ति नगर पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 168 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 12,768 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,01,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,260 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 1,50,000 रूपये एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,46,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 5,11,028 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 9,89,376 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – माईनिंग प्लान अनुसार लीज क्षेत्र में 1,000 वर्गमीटर क्षेत्र को चिमनी स्थापित होने एवं 350 वर्गमीटर क्षेत्र में वृक्ष होने के कारण गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

16. प्रस्तुत माईनिंग प्लान में उल्लेखित अक्षांश एवं देशांश के आधार पर गूगल के माध्यम से के.एम.एल. फाईल में देखे जाने पर चिमनी भट्टा का कुछ भाग लीज क्षेत्र के अंदर एवं कुछ भाग लीज क्षेत्र के बाहर स्थापित होना पाया गया। जबकि प्रस्तुत माईनिंग प्लान में ही रिजर्व की गणना, सरफेस प्लान आदि में चिमनी का पूर्ण भाग लीज क्षेत्र के भीतर रखे जाने का उल्लेख है। समिति का मत है कि चिमनी भट्ठा (फिक्स चिमनी) को डिस्मेंटल कर, लीज क्षेत्र के भीतर 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) को छोड़ते हुये चिमनी स्थापित किये जाने हेतु रिजर्व की गणना कर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
55	2%	1.10	Following activities at, **Nagar panchayat - Lormi**	
			Pavitra Van Nirman	8.51
			Total	8.51

सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (नीम, पीपल, आम, करंज, कदम, जामुन, आंवला, अमलतास, बरगद आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 850 नग पौधों के लिए राशि 64,600 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 56,000 रूपये, खाद के लिए राशि 6,390 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रूपये एवं रख–रखाव के लिए राशि 1,46,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,91,990 रूपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 4,59,520 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत पवित्र वन हेतु नगर पंचायत लोरमी की शासकीय

भूमि खसरा क्रमांक 2/1, क्षेत्रफल 0.34 हेक्टयर भूमि में वृक्षारोपण करने हेतु ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधों के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. दिनांक 28/02/2023 के उपरांत किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रस्तुत माईनिंग प्लान में उल्लेखित अक्षांश एवं देशांश के आधार पर गूगल के माध्यम से के.एम.एल. फाईल में देखे जाने पर चिमनी भट्टा का कुछ भाग लीज क्षेत्र के अंदर एवं कुछ भाग लीज क्षेत्र के बाहर स्थापित होना पाया गया। जबकि प्रस्तुत माईनिंग प्लान में ही रिजर्व की गणना, सरफेस प्लान आदि में चिमनी का पूर्ण भाग लीज क्षेत्र के भीतर रखे जाने का उल्लेख है। अतः चिमनी भट्ठा (फिक्स चिमनी) को डिस्मेंटल कर, लीज क्षेत्र के भीतर 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) को छोड़ते हुये चिमनी स्थापित किये जाने हेतु रिजर्व की गणना कर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
5. एक लाख ईंट निर्माण हेतु कितने कोयले की आवश्यकता होगी के संबंध में गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही कोयले के परिवहन एवं भण्डारण हेतु की गई आवश्यक व्यवस्था की जानकारी भी प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भविष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं क्षमता से अधिक उत्खनन नहीं करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित क्षेत्र में स्थित 16 नग वृक्षों की प्रजातियों की जानकारी प्रस्तुत किये जाने साथ उक्त वृक्षों की आवश्यकता पड़ने पर कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरान्त ही करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के अंतर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण का 5 वर्षों तक रख-रखाव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं फ्लाई ऐश के उचित रख-रखाव के लिये टिन शेड का उपयोग किया जाएगा।
10. ईंट को पकाने के लिए ईंट भट्टे में केवल जिग-जैग तकनीक या वर्टिकल शॉफ्ट तकनीक का उपयोग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. परियोजना से भिन्न-भिन्न स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् सीमांकन करवाकर खदान की सीमा क्षेत्र में नियमानुसार स्तंभ स्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, पोखर, नहर, नदी एवं अन्य जल निकायों में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण एवं संवर्धन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

16. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

17. स्थानीय लोगों को एवं निकटस्थ आबादी क्षेत्रों के निवासियों को रोजगार में प्राथमिकता के आधार पर नियोजित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा निहित किये गए शर्तों का पालन किया जाएगा एवं ऐसे न किये जाने की स्थिति में वह विधिवत वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही स्वीकार करेंगे।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उन्हें भविष्य में पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही होगी वह उन्हें मान्य होगी तथा उनके द्वारा भविष्य में पर्यावरण नियमों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।

22. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले ईंधन (कोयला) को रजिस्टर्ड कोल डिपो या कोल माईन्स से खरीदे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

23. ईंट निर्माण में अनुमोदित ईंधन (कोयला, कृषि अपशिष्ट आदि) का उपयोग किये जाने तथा खतरनाक अपशिष्ट जैसे टायर/प्लास्टिक, पेटकोक आदि का उपयोग नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

24. उत्सर्जन के निगरानी के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों/रूपरेखा अनुसार ईंट भट्टे में स्थाई सुविधा (पोर्ट होल्स एवं प्लेटफॉर्म) का निर्माण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

25. ईंट भट्टे से निकलने वाले राख का उपयोग इसी परिसर में पुनः कच्चे ईंट निर्माण में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

26. कच्चे माल/ईंट परिवहन के दौरान वाहनों को ढंक कर रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी दिनांक 14/08/2024 को प्रस्तुत किया गया है। एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के एजेण्डा पत्र दिनांक 28/02/2025 के माध्यम से 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

(४) समिति की 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री श्याम कुमार प्रजापति, प्रोपराईटर उपस्थित हुये। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 203/खलि–2 ग.प./2025 मुंगेली, दिनांक 05/03/2025 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षो में किये गये उत्पादन की जानकारी निम्नानुसार है–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
01/04/2023 से 31/03/2024 तक	400
01/04/2024 से 30/09/2024 तक	निरंक

3. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, मुंगेली वनमण्डल, मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./61/2024 मुंगेली, दिनांक 16/01/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 08 कि.मी., निकटतम वन्य जीव अभ्यारण्य (अचानकमार टाईगर रिजर्व) 07 कि.मी. एवं निकटतम राष्ट्रीय उद्यान कान्हा–किसली 110 कि.मी. की दूरी पर है।
4. संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 30,840 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 20,773 घनमीटर एवं रिकवरेबल रिजर्व 19,734 घनमीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर चिमनी स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 1,800 वर्गमीटर है। खदान की संभावित आयु 21 वर्ष है।
5. एक लाख ईंट निर्माण हेतु 10 टन कोयले की आवश्यकता होती है इस प्रकार से 10 लाख ईंट बनाने के लिए 100 टन कोयले की आवश्यकता होगी कोयला तारपोलिन शीट से कव्हर्ड ट्रकों के द्वारा एस ई सी एल कोरबा या लोकल बिलासपुर के डेकर से खरीदी जाती है कोयले को तारपोलिन शीट से ढ़क कर लीज सीमा के अंदर रखा जाता है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भविष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं क्षमता से अधिक उत्खनन नहीं करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित क्षेत्र में स्थित 16 नग वृक्षों की प्रजातियों की जानकारी प्रस्तुत किये जाने साथ उक्त वृक्षों की आवश्यकता पड़ने पर कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरान्त ही करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया नहीं गया है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के अंतर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण का 5 वर्षों तक रख–रखाव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं फ्लाई ऐश के उचित रख–रखाव के लिये टिन शेड का उपयोग किये जाने के संबंध में शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. ईंट को पकाने के लिए ईंट भट्टे में केवल जिग–जैग तकनीक या वर्टिकल शॉफ्ट तकनीक का उपयोग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

11. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् सीमांकन कराकर खदान की सीमा क्षेत्र में नियमानुसार स्तंभ स्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, पोखर, नहर, नदी एवं अन्य जल निकायों में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण एवं संवर्धन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

16. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

17. स्थानीय लोगों को एवं निकटस्थ आबादी क्षेत्रों के निवासियों को रोजगार में प्राथमिकता के आधार पर नियोजित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार,

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा निहित किये गए शर्तों का पालन किया जाएगा एवं ऐसे न किये जाने की स्थिति में वह विधिवत वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही स्वीकार करेंगे।

21. भविष्य में पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही होगी वह उन्हें मान्य होगी तथा उनके द्वारा भविष्य में पर्यावरण नियमों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा इस संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

22. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले ईंधन (कोयला) को रजिस्टर्ड कोल डिपो या कोल माईन से खरीदे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

27. ईंट निर्माण में अनुमोदित ईंधन (कोयला, कृषि अपशिष्ट आदि) का उपयोग किये जाने तथा खतरनाक अपशिष्ट जैसे टायर/प्लास्टिक, पेटकोक आदि का उपयोग नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

23. उत्सर्जन की निगरानी के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों/रूपरेखा अनुसार ईंट भट्टे में स्थाई सुविधा (पोर्ट होल्स एवं प्लेटफॉर्म) का निर्माण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

28. ईंट भट्टे से निकलने वाले राख का उपयोग इसी परिसर में पुनः कच्चे ईंट निर्माण में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

24. कच्चे माल/ईंट परिवहन के दौरान वाहनों को ढंक कर रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

25. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

26. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all an from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः-

1. खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित क्षेत्र में स्थित 16 नग वृक्षों की प्रजातियों की जानकारी प्रस्तुत किये जाने साथ उक्त वृक्षों की आवश्यकता पड़ने पर कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरान्त ही करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं फ्लाई ऐश के उचित रख-रखाव के लिये टिन शेड का उपयोग किया जाएगा। एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

4. ईंट को पकाने के लिए ईंट भट्टे में केवल जिग-जैग तकनीक या वर्टिकल शॉफ्ट तकनीक का उपयोग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उन्हें भविष्य में पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही होगी वह उन्हें मान्य होगी तथा उनके द्वारा भविष्य में पर्यावरण नियमों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा। जानकारी प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

6. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले ईंधन (कोयला) को रजिस्टर्ड कोल डिपो या कोल माईन से खरीदे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

7. ईंट निर्माण में अनुमोदित ईंधन (कोयला, कृषि अपशिष्ट आदि) का उपयोग किये जाने तथा खतरनाक अपशिष्ट जैसे टायर/प्लास्टिक, पेटकोक आदि का उपयोग नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

8. उत्सर्जन की निगरानी के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों/रूपरेखा अनुसार ईंट भट्टे में स्थाई सुविधा (पोर्ट होल्स एवं प्लेटफॉर्म) का निर्माण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) एस.ई.आई.ए.ए.,

छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

9. ईंट भट्टे से निकलने वाले राख का उपयोग इसी परिसर में पुनः कच्चे ईंट निर्माण में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

10. कच्चे माल/ईंट परिवहन के दौरान वाहनों को ढंक कर रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

11. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पूर्व में जारी ईंट भट्टे एवं मिट्टी उत्खनन हेतु जल एवं वायु संचालन सम्मति की प्रति एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

12. आवेदक – मेसर्स श्याम कुमार प्रजापति ब्रिक्स (प्रो.– श्री श्याम कुमार प्रजापति) को ग्राम–लोरमी, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली के खसरा क्रमांक 5/2 एवं 6/7 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.532 हेक्टेयर, क्षमता–1,000 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 10,00,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/11/2025 को संपन्न 210वीं बैठक में विचार किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स श्याम कुमार प्रजापति ब्रिक्स (प्रो.– श्री श्याम कुमार प्रजापति) को ग्राम–लोरमी, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली के खसरा क्रमांक 5/2 एवं 6/7 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.532 हेक्टेयर, क्षमता–1,000 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 10,00,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन जारी करने का निर्णय लिया गया–**

1. **ईंट उत्पादन में उपयोग किये जाने वाले फ्लाई ऐश का स्त्रोत की जानकारी (जैसे चालान, वे–बिल एवं अन्य दस्तावेज जो प्रमाणित करे कि फ्लाई ऐश का वास्तव में प्राप्त कर ईंट उत्पादन में निर्धारित मात्रा उपयोग किया जा रहा है।)**
2. **वृक्षारोपण का रख–रखाव निर्धारित योजना के तहत् किया जाना सुनिश्चित करें ताकि सफलतादर 80 प्रतिशत हो।**

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

2. **मेसर्स खमरौध क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री राजेश कुमार मिश्रा), ग्राम–खमरौध, तहसील–भरतपुर, जिला–कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2567)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/435241/ 2023, दिनांक 06/07/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान खदान ग्राम–खमरौध, तहसील–भरतपुर, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 717, कुल क्षेत्रफल–1.75 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–7,398.3 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/09/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 485वीं बैठक दिनांक 12/09/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेश कुमार मिश्रा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में पत्थर खदान खसरा क्रमांक 717, कुल क्षेत्रफल–1.75 हेक्टेयर, क्षमता–2,845.5 घनमीटर (7,398.3 टन) प्रतिवर्ष हेतु जिला पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, कोरिया द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 10/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात दिनांक 09/01/2022 तक वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 09/01/2023 तक वैध थी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 115/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी. दिनांक 13/06/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2018–19	775.00
2019–20	1,454.00

2020–21	505.00
2021–22	28.00
2022–23	28.00

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत खमरौद का दिनांक 10/06/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि ग्राम पंचायत के कार्यवाही विवरण की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के पृ.ज्ञापन क्रमांक 875–6/खनिज/खलि.2/2018 कोरिया, बैकुण्ठपुर दिनांक 03/08/2018 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 114/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 13/06/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 114/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 13/06/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री राजेश कुमार मिश्रा के नाम पर है। लीज डीड 5 वर्षो अर्थात् दिनांक 07/03/2013 से दिनांक 06/03/2018 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 25 वर्षो अर्थात् दिनांक 07/03/2018 से दिनांक 06/03/2043 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – वनपरिक्षेत्र अधिकारी, बहरासी के ज्ञापन क्रमांक/622, दिनांक 17/10/2011 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र की दूरी 1.5 कि.मी. या उससे अधिक है। समिति का मत है कि आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुये वन मण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही आवेदित क्षेत्र की निकटतम राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय उप–संचालक (वन्यप्राणी) से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–खमरौद 1.5 कि.मी., स्कूल खमरौद 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। नेऊर नदी 4 कि.मी. दूर है। लीज क्षेत्र के अंदर मंदिर स्थित है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है कि उक्त खनन प्रक्रिया से मंदिर को कोई आहत नहीं होगी।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 4,77,750 टन, माईनेबल रिजर्व 83,517 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 79,165 टन है। समिति का मत है कि वर्तमान स्थिति में जियोलॉजिकल रिजर्व, माईनेबल रिजर्व एवं रिकव्हरेबल रिजर्व की गणना किया जाना आवश्यक है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,639 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 11 मीटर (4.5 मीटर हिललॉक एवं 6 मीटर गहराई) है। वर्तमान स्थिति में लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी नहीं है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 20 वर्ष से अधिक है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है जिसका क्षेत्रफल 1,390 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	6,474.00	षष्टम्	7,042.10
द्वितीय	6,585.80	सप्तम्	7,075.50
तृतीय	6,649.50	अष्टम्	7,121.40
चतुर्थ	6,687.20	नवम्	7,195.50
पंचम्	6,942.00	दशम्	7,398.30

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा, स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण किया जाना संभव नहीं है। समिति का मत है कि ग्राम पंचायत द्वारा सहमति प्राप्त शासकीय भूमि में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के भीतर 1,829 वर्गमीटर क्षेत्र को अन्य लीज क्षेत्र होने एवं 7,447 वर्गमीटर क्षेत्र को मंदिर के कारण गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. उत्खनन एवं क्रशर स्थापना के संबंध में प्रस्तुत ग्राम पंचायत खमरीया का अनापत्ति प्रमाण पत्र की कार्यवाही विवरण की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

3. आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुये वन मण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया एवं आवेदित क्षेत्र की निकटतम राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय उप–संचालक (वन्यप्राणी) से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

4. वर्तमान स्थिति में जियोलॉजिकल रिजर्व, माईनेबल रिजर्व एवं रिकवरेबल रिजर्व की गणना किया जाए।

5. परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा, स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

6. लीज क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण के स्थान पर ग्राम पंचायत द्वारा सहमति प्राप्त शासकीय भूमि में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।

7. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उक्त खनन प्रक्रिया से धार्मिक स्थल को कोई आहत नहीं होगी।

9. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

10. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत कि जाए, कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए, कि खदान के लोक सुनवाई के दौरान जो भी आपत्ति, सुझाव या मुद्दे उठाए गए है उसके संबंध में द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब और जानकारियों के अनुसार निराकरण किया जाएगा।

16. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause Vs. Union Of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

17. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (S) Civil No. 114 /2014 Common Cause Vs. Union Of India & Ors. में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी दिनांक 06/08/2024 एवं 27/01/2025 को प्रस्तुत किया गया है। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के एजेण्डा पत्र दिनांक 20/02/2025 के माध्यम से 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

(ब) समिति की 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेश कुमार मिश्रा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन के संबंध में एकीकृत कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में आवेदन किया गया है, जो कि अप्राप्त है। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 में क्षमता विस्तार के प्रकरणों हेतु सी.सी.आर. की आवश्यकता के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। समिति द्वारा पाया गया कि आवेदित प्रकरण क्षमता विस्तार का नहीं है। अतः आवेदित प्रकरण हेतु सी.सी.आर. की आवश्यकता नहीं है।

2. उत्खनन एवं क्रशर स्थापना के संबंध में प्रस्तुत ग्राम पंचायत दुधारी का दिनांक 15/04/2011 का अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही विवरण सहित) प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में ही वर्तमान ग्राम पंचायत खमरौध दिनांक 10/06/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

3. कार्यालय वनमंडलाधिकारी, (सा.) मनेन्द्रगढ़ वनमंडल, जिला–मनेन्द्रगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/रा.अ./2024/1705 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 19/07/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 1.5 से 2 कि.मी. की दूरी पर है। 10 कि.मी. की परिधि में कोई नेशनल पार्क एवं वन्यजीव अभ्यारण स्थित नहीं है।

4. वर्तमान स्थिति में जियोलॉजिकल रिजर्व 4,70,496 टन, माईनेबल रिजर्व 78,263 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 68,637 टन उपलब्ध है।

5. परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत खमरौध (पूर्व ग्राम पंचायत दुधासी) का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6. लीज क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी के स्थान पर ग्राम पंचायत द्वारा सहमति प्राप्त भूमि (0.3 हेक्टेयर) पर 700 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार वृक्षारोपण के लिए राशि 70,000 रूपये, खाद के लिए राशि 15,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 15,000 रूपये, फेंसिंग तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,00,000 रूपये तथा अन्य खर्च के लिए राशि 96,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,96,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 4,64,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20	2%	0.40	Following activities at, **Village-Khamroudh**	
			Pavitra van Nirman	6.23
			Total	**6.23**

सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम–खमरौध के शासकीय भूमि में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 300 नग पौधों के लिए राशि 30,000 रूपये, खाद के लिए राशि 10,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 15,000 रूपये, फेंसिंग तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 50,000 रूपये तथा अन्य खर्च के लिए राशि 96,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,01,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 4,22,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत खमरौध के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 718, क्षेत्रफल 0.12 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उक्त खनन प्रक्रिया से धार्मिक स्थल को कोई आहत नहीं होगी।

9. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउन्ड्री पिल्लरों द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

15. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause Vs. Union Of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

16. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (S) Civil No. 114 /2014 Common Cause Vs. Union Of India & Ors. में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

17. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. आवेदक – मेसर्स खमरौध क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो– श्री राजेश कुमार मिश्रा) को ग्राम–खमरौध, तहसील–भरतपुर, जिला–कोरिया के खसरा क्रमांक 717 में स्थित पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.75 हेक्टेयर, क्षमता–7,398.3 प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/11/2025 को संपन्न 210वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि समिति की 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 के बिन्दु क्रमांक 6 में "लीज क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी के स्थान पर ग्राम पंचायत द्वारा सहमति प्राप्त भूमि (0.3 हेक्टेयर) पर 700 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।" का उल्लेख है। प्राधिकरण का मत है कि उक्त क्षेत्र में परियोजना प्रस्तावक को पूर्व जारी पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार वृक्षारोपण पूर्ण कराकर पुष्टि किया जाना आवश्यक है। वृक्षारोपण का मुख्य उद्देश्य स्त्रोत में होने वाले धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए है। अतः 7.5 मीटर या लीज क्षेत्र के भीतर वृक्षारोपण किये जाने से उद्देश्य की पूर्ति होती है ना कि किसी अन्य क्षेत्र में करने से। अतः परियोजना प्रस्तावक को लीज क्षेत्र के चारों तरफ में उपयुक्त स्थान पर वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्य के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी.–1, छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी.–1, छत्तीसगढ़ एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. **मेसर्स लोहराकोट डोलोमाईट माईन (प्रो.– श्री द्वारिका गुप्ता), ग्राम–लोहराकोट, तहसील–जैजैपुर, जिला–सक्ती (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2736)**

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 449660 एवं 01/11/2023	
खदान का प्रकार	डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान	संचालित (क्षमता विस्तार)
क्षेत्रफल एवं क्षमता	4.747 हेक्टेयर एवं 2,00,014 टन प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	406, 407/1, 407/2, 407/3, 408, 411, 413, 414/2, 415/1, 415/2, 416, 417, 418, 419, 420, 421/1, 421/2, 423/1, 423/2 एवं 423/3	
भू–स्वामित्व	निजी भूमि खसरा क्रमांक 406 एवं 423/1 श्री ओंकार सिंह, खसरा क्रमांक 407/1, 415/1 एवं 421/2 श्री मथुरा धुव, खसरा क्रमांक 421/1 श्री छबिलाल, खसरा क्रमांक 419 श्री दिलीप कुमार, खसरा क्रमांक 420 श्रीमती भगौतिन एवं श्रीमती जीरा, खसरा क्रमांक 418, 423/2	उत्खनन हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। खसरा क्रमांक 416 का बटांकन उपरांत आवेदित खदान हेतु खसरा क्रमांक 416 में से खसरा क्रमांक 416/2 के अंतर्गत शामिल हो गया है। अतः उक्त खसरा क्रमांक का पी–1, पी–2 की प्रति एवं भूमि

	एवं 423/3 श्री लक्ष्मीचंद मराठी, खसरा क्रमांक 415/2 श्रीमती रुकमनी, श्री खीकनराम, श्री सुनीलराम, श्री अनीलराम, श्रीमती गोमती बाई, श्रीमती सुनीता बाई एवं श्रीमती अनिता बाई, खसरा क्रमांक 414/2 श्रीमती किरन, खसरा क्रमांक 407/2 श्री गुहारसिंह एवं श्री महालाल, खसरा क्रमांक 407/3 श्री हरीसिंह, खसरा क्रमांक 408 श्री प्यारेलाल, खसरा क्रमांक 411 एवं 413 श्री भागीरथी छोटेलाल, खसरा क्रमांक 416 श्री लक्ष्मीचंद, खसरा क्रमांक 417 श्री लक्ष्मीचंद के नाम पर है।	स्वामी का सहमति पत्र [illegible] किया गया है।
बैठक का विवरण	506वीं बैठक दिनांक 09/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 03/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री विकास केडिया, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – डोलोमाईट (गौण खनिज) खसरा क्रमांक – 406, 407/1, 407/2 एवं अन्य क्षेत्रफल – 4.747 हेक्टेयर क्षमता – 99,960 टन प्रतिवर्ष दिनांक – 09/12/2016	डी.ई.आई.ए.ए. जिला–जांजगीर–चांपा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 22/02/2048 तक है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ **क्षमता विस्तार के तहत् –** एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर – अप्राप्त	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण – 900 नग चूंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
विगत वर्षों में किये गये उत्खनन	दिनांक 08/01/2024 2018–19 में निरंक 2019–20 में 32,000 टन 2020–21 में 99,000 टन 2021–22 में 93,880 टन 2022–23 में 52,850 टन 2023–24 (सितम्बर तक) में 300 टन	अक्टूबर 2023 से किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

[illegible] पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत लोहराकोट दिनांक 12 / 07 / 2008	
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 29 / 09 / 2023	
500 मीटर	दिनांक 21 / 07 / 2023	खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 21 / 07 / 2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं मायनर नहर 30 मीटर दूर है।
लीज डीड	वर्तमान लीज धारक – श्री द्वारिका गुप्ता, अवधि – दिनांक 23 / 02 / 2018 से 22 / 02 / 2068 तक।	
वन विभाग एन.ओ.सी.		आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – लोहराकोट 360 मीटर स्कूल ग्राम – लोहराकोट 380 मीटर अस्पताल – सक्ती 11 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 7.7 कि.मी. राज्यमार्ग – 8.8 कि.मी.	बोरई नदी – 4.5 कि.मी. नाला – 1 कि.मी. तालाब – 770 मीटर नहर – 30 मीटर
पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	6 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ **रिजर्व्स–** जियोलॉजिकल 14,99,750 टन माईनेबल 8,29,727 टन रिकव्हरेबल 7,46,754 टन प्रस्तावित गहराई 22 मीटर बेंच की ऊंचाई 3 मीटर बेंच की चौड़ाई 3 मीटर संभावित आयु 5 वर्ष स्थापित क्रशर – नहीं वर्तमान में प्रस्तावित क्रशर – नहीं	**वर्षवार उत्खनन** प्रथम 99,950 टन द्वितीय 1,46,732 टन तृतीय 1,00,013 टन चतुर्थ 2,00,003 टन पंचम 2,00,014 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 4,981 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं
गैर माईनिंग	क्षेत्रफल – 1,560 वर्गमीटर क्षेत्र छोड़ने का कारण – नहर 30 मीटर की दूरी में होने के कारण	माईनिंग प्लान में उल्लेख– हाँ
ऊपरी मिट्टी /	मोटाई – 2 मीटर	2,766 घनमीटर – 7.5 मीटर (माईन

ओवहर बर्डन प्रबंधन योजना	मात्रा – 10,518 घनमीटर	बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर, [illegible] के लिए उपयोग। शेष 7,762 घनमीटर – गैर माईनिंग क्षेत्र में भण्डारित कर संरक्षित।
जल आपूर्ति	मात्रा – 7 घनमीटर स्त्रोत – भू–जल एवं पूर्व में उत्खनित पिट में संग्रहित जल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी के चारों ओर वृक्षारोपण – 1,570 नग वर्तमान वृक्षारोपण – 500 नग शेष प्रस्तावित वृक्षारोपण – 1,070 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 21,74,000 रूपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऊपरी मिट्टी के भंडारण एवं संरक्षण, डी.जी.एम.एस. द्वारा कन्ट्रोल ब्लास्टिंग, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, खनिज नियमों के तहत् सीमांकन, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जियोटैग फोटोग्राफ सहित छमाही अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने बावत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. हमारे द्वारा उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत सरकार के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 3. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 5. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।

		6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि हमारे द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये निर्देश का बिन्दुवार पालन किया जाएगा।
श्रेणी	बी2	आवेदित खदान का कुल क्षेत्रफल 4.747 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
56.95	2%	1.13	Following activities at Nearby, **Village- Lohrakot**	
			Plantation around village pond	1.55
			Total	**1.55**

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल एवं जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 120 नग पौधों के लिए राशि 12,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 18,000 रुपये, खाद के लिए राशि 6,000 रुपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 15,000 रुपये एवं अन्य कार्य हेतु राशि 8,000 रुपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 59,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 96,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत लोहारकोट के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 245, क्षेत्रफल 0.534 हेक्टेयर में स्थित तालाब) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. अक्टूबर 2023 से किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
3. आवेदित क्षेत्र की वन क्षेत्र एवं अभ्यारण्य की सीमा से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी दिनांक 25/07/2024 प्रस्तुत किया गया है। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के एजेण्डा पत्र दिनांक 28/02/2025 के माध्यम से 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

(ब) समिति की 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विकास कौशिया, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रों, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 3368, दिनांक 19/07/2024 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। क्षेत्रिय अधिकारी द्वारा प्रेषित अभिमत में खदान परिसर में फ्यूजिटिव डस्ट नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की पर्याप्त व्यवस्था की गयी है। खदान परिसर के उपलब्ध भूमि में वृक्षारोपण किया गया है। खदान परिसर में वायु प्रदूषण की स्थिति सामान्य पायी गयी है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सक्ती के ज्ञापन क्रमांक /918/ख.लि./उत्ता./2024–25 सक्ती, दिनांक 24/07/2024 द्वारा अक्टूबर 2023 से किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
अक्टूबर 2023	100
नवम्बर 2023	100
दिसम्बर 2023	निरंक
जनवरी 2024	निरंक
फरवरी 2024	100
मार्च 2024	150
अप्रैल 2024	150
मई 2024	200
जून 2024	200

3. कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, जांजगीर–चाम्पा के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./1135 चाम्पा, दिनांक 08/01/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 1.4 कि.मी. की दूरी पर है। 10 कि.मी. की परिधि में कोई नेशनल पार्क एवं अभ्यारण्य स्थित नहीं है।

4. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. आवेदक – मेसर्स लोहराकोट डोलोमाईट माईन (प्रो.– श्री द्वारिका गुप्ता) को ग्राम–लोहराकोट, तहसील–जैजेपुर, जिला–सक्ती के खसरा क्रमांक 406, 407/1, 407/2, 407/3, 408, 411, 413, 414/2, 415/1, 415/2, 416, 417, 418, 419, 420, 421/1, 421/2, 423/1, 423/2 एवं 423/3 में स्थित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–4.747 हेक्टेयर, क्षमता–2,00,014 प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/11/2025 को संपन्न 210वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स लोहराकोट डोलोमाईट माईन (प्रो.– श्री द्वारिका गुप्ता) को ग्राम–लोहराकोट, तहसील–जैजेपुर, जिला–सक्ती के खसरा क्रमांक 406, 407/1, 407/2, 407/3, 408, 411, 413, 414/2, 415/1, 415/2, 416, 417, 418, 419, 420, 421/1, 421/2, 423/1, 423/2 एवं 423/3 में स्थित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–4.747 हेक्टेयर, क्षमता–2,00,014 प्रतिवर्ष हेतु निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. परियोजना प्रस्तावक को 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में कुल 1,570 नग वृक्षारोपण का कार्य 1 वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण का कार्य निर्धारित अवधि में किया जावे अन्यथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही किया जावेगा, जिसमें खदान बंद करने की कार्यवाही भी की जा सकती है।

   ii. समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

4. **मेसर्स खैरखेड़ा ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.–मोहम्मद जावेद), ग्राम–खैरखेड़ा, तहसील–चारामा, जिला–कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1308)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 153868/2020, दिनांक 21/06/2020 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया

गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ई.डी.एस. दिनांक 28/05/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 20/02/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–खैरखेड़ा, तहसील–चारामा, जिला–कांकेर स्थित खसरा क्रमांक 1626 एवं 2640/1, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर में है। खदान की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता– 7,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 91,245 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/05/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 408वीं बैठक दिनांक 24/05/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कुमेश्वर सोनी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में साधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 1626 एवं 2640/1, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर, क्षमता–7,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा दिनांक 21/03/2017 को जारी की गई।
   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। चूंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 163/खनिज/उ.प./2022–23 कांकेर, दिनांक 23/05/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)	उत्पादन (टन)
2017–18	2,500	4,100
2018–19	4,200	6,888
2019–20	4,125	6,765
2020–21	4,250	6,970
2021–22	4,247	6,965.08

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत खैरखेड़ा का दिनांक 04/10/2008 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि उत्खनन हेतु ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 362/खनिज/2018–19 दंतेवाड़ा, दिनांक 01/09/2018 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1134/खनिज/उ.प./2019–20 कांकेर, दिनांक 28/02/2020 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1133/खनिज/उ.प./2019–20 कांकेर, दिनांक 28/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज मोहम्मद जावेद के नाम पर है। लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 16/12/1998 से 15/12/2018 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड में 10 वर्षों की, दिनांक 16/12/2018 से 15/12/2028 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी (सामान्य), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/482, दिनांक 13/03/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–खैरखेड़ा 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–खैरखेड़ा 1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–लखनपुरी 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 11 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 18,42,696 टन एवं माईनेबल रिजर्व 8,21,320 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 6,100 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई कुल 30 मीटर है, जिसमें से पहाड़ी क्षेत्र 9 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 1,500 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 9 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण

नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	91,245	षष्टम	91,245
द्वितीय	91,245	सप्तम	91,245
तृतीय	91,245	अष्टम	91,245
चतुर्थ	91,245	नवम	91,170
पंचम	91,245		

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 366 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 18,300 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,84,000 रूपये, खाद के लिए राशि 3,660 रूपये एवं पांच वर्षों हेतु रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,80,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 3,85,960 रूपये का पांच वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. उत्खनन हेतु ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) प्रस्तुत किया जाए।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधों के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

4. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।

5. वर्तमान स्थिति में जियोलॉजिकल रिजर्व एवं माईनेबल रिजर्व की प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 30/11/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 06/02/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

(4) समिति की 521वीं बैठक दिनांक 27/03/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 के अनुसार "At the time of issuance of expansion TOR, the MS of EAC/SEAC shall endorse a copy of the ToR to the concerned IRO of MoEF&CC. Based on the same, project proponent shall approach the concerned IRO of MoEF&CC to issue CCR. Such request shall be expeditiously considered and disposed of by the concerned IRO within a time frame of three months from the date of application of project proponent. In case, the CCR is not issued within three months, the project proponent shall approach concerned Regional Offices of Central Pollution Control Board (CPCB) or MS of respective State Pollution Control Boards (SPCB) or State Pollution Control Committees (SPCCs) for the same." है। इस संबंध में समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से मंगाया जाना आवश्यक है।

2. उत्खनन हेतु ग्राम पंचायत कोरोसा का दिनांक 20/11/2023 अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधों के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कांकेर वनमण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2024/784 कांकेर, दिनांक 02/02/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 260 मीटर की दूरी पर है।

5. वर्तमान स्थिति में जियोलॉजिकल रिजर्व एवं माईनेबल रिजर्व की प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

3. वर्तमान स्थिति में जियोलॉजिकल रिजर्व एवं माईनेबल रिजर्व की प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कन्ट्रोल ब्लास्टिंग, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, खनिज नियमों के तहत् सीमांकन, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु, ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर के सेफ्टी जोन में रख कर वृक्षारोपण करने, ओवरबर्डन को खनिज विभाग के सहमति से विक्रय करने आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

6. सी.ई.आर. के अंतर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण का 05 वर्षों तक रख–रखाव किये जाने तथा सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यों की जानकारी जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

7. समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

8. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं होने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

9. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं होने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

10. ऊपरी मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी / दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 521वीं बैठक दिनांक 27/03/2024 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 17/01/2025 एवं 04/06/2025 को जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 645वीं बैठक दिनांक 04/06/2025:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर में आवेदन किया गया है, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक 675, दिनांक 29/08/2024 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार सभी शर्तों का पूर्ण पालन किया जाना बताया गया है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण कर पौधों का फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किया गया है। परन्तु निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण पौधों का संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उ.ब. कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 134, दिनांक 16/01/2025 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)	उत्पादन (टन)
2022-23	2,460	4,034.4
2023-24	880	1,443.2
2024-25 (नवम्बर 2024 तक)	280	459.2

अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 18,42,696 टन एवं माईनेबल रिजर्व 8,21,320 टन तथा वर्तमान स्थिति में आर.क्यू.पी. द्वारा किये गये गणना अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 18,09,201 टन एवं माईनेबल रिजर्व 7,87,825 की प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

4. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
38.4	2%	0.768	Following activities at Govt Primary School **Village- Khaikheda**	
			Potable Drinking Water Facility with 5 year AMC	0.40
			Running Water Facility for toilets and kitchen	0.40
			Total	0.80

5. प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा **कन्ट्रोल ब्लास्टिंग**, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 80 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, खनिज नियमों के तहत् सीमांकन, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु, ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर के सेफ्टी जोन में रख कर वृक्षारोपण करने, ओव्हरबर्डन को खनिज विभाग के सहमति से विक्रय करने आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. सी.ई.आर. के अंतर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण का 05 वर्षों तक रख–रखाव किये जाने तथा सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यों की जानकारी जियोटैग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
9. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं होने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
10. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं होने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
11. ऊपरी मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
12. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जायेगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

14. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कांकेर वन मण्डल, जिला–कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि/2025/2014 कांकेर, दिनांक 08/04/2025 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र लगभग 500 मीटर एवं जैव विविधता क्षेत्र 2 कि.मी. की दूरी पर है तथा 10 कि.मी. की परिधि में कोई नेशनल पार्क, अभ्यारण्य अवस्थित नहीं है।

15. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1134/खनिज/उ.प./2019–20 कांकेर, दिनांक 28/02/2020 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–खैरखेड़ा) का क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर जियोटैग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी एवं कन्ट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized affidavit) एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

3. मेसर्स खैरखेड़ा ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.–मोहम्मद जावेद) को ग्राम–खैरखेड़ा, तहसील–चारामा, जिला–कांकेर के खसरा क्रमांक 1828 एवं 2640/1 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर, क्षमता – 81,245 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/11/2025 को संपन्न 210वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—**

1. प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कांकेर वनमण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2024/764 कांकेर, दिनांक 02/02/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 260 मीटर की दूरी पर है। माननीय एनजीटी द्वारा आरक्षित एवं संरक्षित वनक्षेत्र की सीमा से खदान की दूरी 01 कि.मी. के भीतर नहीं दिये जाने का आदेश है एवं यह भी आदेशित किया गया है कि यदि राज्य शासन चाहे तो स्वयं यह दूरी निर्धारित कर अधिसूचित किया जा सकता है। अतः वर्तमान में राज्य शासन द्वारा अधिसूचित दूरी का आदेश प्राप्त होने के पश्चात् प्रकरण पर पुर्नविचार किया जायेगा।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर जियोटैग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी भी प्रस्तुत किया जाना होगा।
3. कन्ट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized affidavit) प्रस्तुत किया जाना होगा।

उपरोक्तानुसार जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण पर आगामी कार्यवाही की जावेगी।

3. **मैसर्स कमलेश कुमार मिश्रा अर्थ क्ले क्वारी, ग्राम–सोनपुर, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2466)**

ऑनलाईन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 430494/ 2023, दिनांक 23/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 12/07/2023 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 18/08/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई, ऑनलाईन परिवेश पोर्टल में तकनीकी त्रुटि होने के कारण में प्रस्तुत जानकारी दिनांक 17/10/2023 प्रदर्शित हो रहा है।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सोनपुर, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 405 (पार्ट), 408, 409, 413 एवं 414, कुल क्षेत्रफल–1.5 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेन्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है—

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022.

In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/10/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 493वीं बैठक दिनांक 26/10/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कमलेश कुमार मिश्रा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   - i. पूर्व में मिट्टी खदान खसरा क्रमांक 405 (पार्ट), 408, 409, 413 एवं 414, कुल क्षेत्रफल–1.5 हेक्टेयर, क्षमता–2,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–दुर्ग द्वारा दिनांक 21/02/2017 को जारी की गई।
   - ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स्व–प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
   - iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
   - iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 781/खनि.लि.02/खनिज/2023 दुर्ग, दिनांक 07/08/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2015–16	1,480
2016–17	1,600
2017–18	100
2018–19	1,300
2019–20	500
2020–21	2,000
2021–22	1,200
2022–23	1,400

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – ईंट निर्माण के संबंध में ग्राम पंचायत सोनपुर का दिनांक 12/08/2008 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है जो खनि अधिकारी, जिला–बालोद के पृ. ज्ञापन क्र. 984–85/खनि.लि./खनिज/2016 बालोद, दिनांक 04/10/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 781/खनि.लि.02/खनिज/2023 दुर्ग, दिनांक 07/08/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 781/खनि.लि.02/खनिज/2023 दुर्ग, दिनांक 07/08/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, रेल लाईन, नहर, बांध, एनीकट, भवन, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट, ऐतिहासिक स्थल इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। 200 मीटर की परिधि में तालाब एवं खारून नदी स्थित है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्री कमलेश कुमार मिश्रा के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात दिनांक 03/10/2013 से दिनांक 02/10/2023 तक की अवधि हेतु थी। तत्पश्चात लीज डीड 5 वर्षों अर्थात दिनांक 03/10/2023 से 23/11/2028 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 405 (पार्ट) एवं 414 श्री दिनेश कुमार, खसरा क्रमांक 408 व 409 श्री विजय लक्ष्मी देव, खसरा क्रमांक 413 श्री कमलेश कुमार के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान के लिए वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु कार्यालय वनमण्डलाधिकारी को आवेदन पत्र प्रेषित किया गया है। समिति का मत है कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुए वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सोनपुर 200 मीटर, स्कूल ग्राम–सोनपुर 1 कि.मी. एवं अस्पताल पाटन 3.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15.4 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 870 मीटर दूर है। खारून नदी 132 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 30,000 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 19,066 घनमीटर है, वर्तमान में माईनेबल रिजर्व 12,566 घनमीटर शेष है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र)

का क्षेत्रफल 681 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 3,681 वर्गमीटर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित है, जिसकी फिक्स्ड चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 9.5 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। अनुमोदित माइनिंग प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	2,000	षष्टम	2,000
द्वितीय	2,000	सप्तम	2,000
तृतीय	2,000	अष्टम	2,000
चतुर्थ	2,000	नवम	2,000
पंचम	2,000	दशम	1,068

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 330 नग वृक्षारोपण किया गया है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 82,500 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,97,000 रुपये, खाद के लिए राशि 33,000 रुपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,71,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 5,83,500 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 6,34,560 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
39	2%	0.78	Following activities at, Govt. middle school **Village- sonpur**	
			Plantation at school Boundary	1.346
			Total	**1.346**

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर पर (आम, नीम, कदम एवं जामुन) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 5,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 5,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,000 रुपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 35,000

रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 99,600 रूपये हेतु घटकवार व्यय विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्रधानाध्यापक (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

17. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि वेस्ट मटेरियल की कुल मात्रा 5,000 टन में से आवश्यकता अनुसार रास्ते में मरम्मत किया जायेगा एवं अतिरिक्त यदि बचे तो खनिज विभाग के सहमति से विक्रय किया जायेगा।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा का किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण हेतु सोकपिट बनाया गया है। इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लरों द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन की कॉपी सदस्य सचिव पर्यावरण संरक्षण मंडल को प्रस्तुत किया गया है।

26. परियोजना से भिन्न-भिन्न स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एक लाख ईंट निर्माण हेतु कितने टन कोयला की आवश्यकता के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

2. वर्तमान में एफ.सी.बी.टी.के. किल्न स्थापित है। एफ.सी.बी.टी.के. किल्न से जिग–जैग किल्न में परिवर्तन किये जाने हेतु तकनिकी विवरण प्रस्तुत किया जाए।

3. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaiong) प्रस्तुत किया जाए।

4. भारत सरकार वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 143(अ), दिनांक 22/02/2022 के अनुसार जिग–जैग किल्न को 02 वर्ष (अर्थात् 21/02/2024) तक स्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

5. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुए वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

6. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 के तहत् परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु संबंधित नस्ती को इस कार्यालय में अविलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग को पत्र लेख किया जाए।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 483वीं बैठक दिनांक 26/10/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 04/06/2025 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 645वीं बैठक दिनांक 04/06/2025:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. एक लाख ईंट निर्माण हेतु 20 टन कोयला, 50 से 60 घनमीटर पानी एवं 200 घनमीटर मिट्टी (100 घनमीटर मिट्टी एवं 100 घनमीटर फ्लाई ऐश) की आवश्यकता होती है।

2. वर्तमान में एफ.सी.बी.टी.के. किल्न स्थापित है। एफ.सी.बी.टी.के. किल्न से जिग–जैग किल्न में परिवर्तन किये जाने हेतु तकनिकी विवरण प्रस्तुत किया गया है।

3. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

4. भारत सरकार वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 143(अ), दिनांक 22/02/2022 के अनुसार जिग–जैग किल्न को 02 वर्ष (अर्थात् 21/02/2024) तक स्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

5. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधी./2024/384 दुर्ग, दिनांक 21/01/2024 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में "उक्त स्थल पर किसी भी प्रकार की ईमारती, गैर ईमारती एवं फलदार वृक्ष नहीं पाया गया है तथा वनक्षेत्र से दूरी 40.60 कि.मी. पर स्थित स्वीकृत मिट्टी उत्खननपट्टा (चिमनी ईंट भट्ठा) के उत्खनिपट्टा क्षेत्र पर नियमानुसार पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।" का उल्लेख है।

6. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

7. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 781/खनि.लि. 02/खनिज/2023 दुर्ग, दिनांक 07/06/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–सोनपुर) का क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स कमलेश कुमार मिश्रा अर्थ फ्लो क्वारी को ग्राम–सोनपुर, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग के खसरा क्रमांक 405 (पार्ट), 408, 409, 413 एवं 414 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.5 हेक्टेयर, क्षमता–2,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/11/2025 को संपन्न 210वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स कमलेश कुमार मिश्रा अर्थ फ्लो क्वारी को ग्राम–सोनपुर, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग के खसरा क्रमांक 405 (पार्ट), 408, 409, 413 एवं 414 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण

खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.5 हेक्टेयर, क्षमता–2,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

i. परियोजना प्रस्तावक को 01 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में 450 नग वृक्षारोपण का कार्य 06 माह में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण का कार्य निर्धारित अवधि में किया जावे अन्यथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही किया जावेगा, जिसमें खदान बंद करने की कार्यवाही भी की जा सकती है।

ii. वृक्षारोपण का रख–रखाव निर्धारित योजना के तहत् किया जाना सुनिश्चित करें ताकि सफलतादर 90 प्रतिशत हो।

iii. ईंट उत्पादन में उपयोग किये जाने वाले फ्लाई ऐश का स्त्रोत की जानकारी (जैसे चालान, ई–बिल एवं अन्य दस्तावेज जो प्रमाणित करे कि फ्लाई ऐश का वास्तव में प्राप्त कर ईंट उत्पादन में निर्धारित मात्रा उपयोग किया जा रहा है।

iv. समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

6. **मेसर्स कड़मपाल आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री अमन अग्रवाल), ग्राम–कड़मपाल, तहसील–बचेली, जिला–दंतेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2880)**

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 457104 एवं 29/12/2023	
खदान का प्रकार	साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	1.35 हेक्टेयर एवं 26,965 टन प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	815/2	संलग्न है।
भू–स्वामित्व	शासकीय भूमि	संलग्न है।
बैठक का विवरण	510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/01/2024

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पत्र दिनांक 15/03/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

समिति की 522वीं बैठक दिनांक 28/03/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी/ अनुरोध पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/03/2023 के माध्यम से समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

(ब) समिति की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024:

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 06/07/2024 के माध्यम से एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉ. बी.पी. नोन्हारे को पद से मुक्त किया जाकर विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को अवगत कराया गया। तदोपरांत छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पत्र दिनांक 16/07/2024 के माध्यम से उक्त की सूचना सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर को दी गई। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 का कार्यवाही विवरण पद मुक्त करने की सूचना की अवधि तक अनुमोदन हेतु विचाराधीन था।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ई–मेल दिनांक 08/03/2025 के माध्यम से 591वीं बैठक दिनांक 10/03/2025 को एस.ई.ए.सी.–3, छत्तीसगढ़ के समक्ष पुनः प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 591वीं बैठक दिनांक 10/03/2025:

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी.–3, छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण
बैठक का विवरण	591वीं बैठक दिनांक 10/03/2025 एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ई–मेल दिनांक 08/03/2025 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि	श्री अमन अग्रवाल, प्रोपराईटर उपस्थित हुये।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – साधारण पत्थर (गौण खनिज)

	खसरा क्रमांक – 816 क्षेत्रफल – 1.35 हेक्टेयर क्षमता – 26,985 टन प्रतिवर्ष दिनांक – 07 / 12 / 2016 डी.ई.आई.ए.ए. जिला– दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 13 / 07 / 2040 तक है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ
विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी	दिनांक 20 / 12 / 2023 2018–19 में 849.31 टन 2019–20 में 885.09 टन 2020–21 में 5,804.43 टन 2021–22 में निरंक 2022–23 में 16,132.11 टन
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत चोलनार दिनांक 26 / 12 / 2023 उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 13 / 05 / 2016 (उत्पादन योजना की वैधता 10 वर्ष तक है)
500 मीटर	दिनांक 20 / 12 / 2023 1 खदान, रकबा 2.69 एकड़
200 मीटर	दिनांक 20 / 12 / 2023 प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं
लीज डीड	लीज धारक – श्री अमन अग्रवाल अवधि – 14 / 07 / 2010 से 13 / 07 / 2040
वन विभाग एन.ओ.सी.	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दन्तेवाड़ा वनमण्डल दन्तेवाड़ा द्वारा जारी दिनांक 05 / 02 / 2024 परिक्षेत्र अधिकारी बचेली के प्रतिवेदन अनुसार "आवेदित स्थल आरक्षित वन, संरक्षित वन, राजस्व वन या नारंगी क्षेत्र से 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है एवं प्रस्तावित क्षेत्र की सीमा से 05 कि.मी. के भीतर कोई अभ्यारण्य / राष्ट्रीय उद्यान / टाईगर रिजर्व स्थित नहीं है।" का उल्लेख है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी – पिनाबचेली 2 कि.मी. स्कूल – किरंदुल 4 कि.मी. अस्पताल – किरंदुल 4 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 25 कि.मी. राज्यमार्ग – 12 कि.मी. शंखनी नदी 800 मीटर

पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	आर.क्यू.पी. के अनुसार 5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ जियोलॉजिकल 4,20,678 टन माईनेबल 2,58,548 टन प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर (हिल लॉक 12 मीटर एवं 6 मीटर सतही गहराई) बेंच की ऊंचाई 3 मीटर बेंच की चौड़ाई 3 मीटर संभावित आयु 10 वर्ष क्रशर स्थापित एवं प्रस्तावित नहीं है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 23,264 टन षष्टम 23,264 टन द्वितीय 23,264 टन सप्तम 26,985 टन तृतीय 23,264 टन अष्टम 26,985 टन चतुर्थ 23,264 टन नवम 26,985 टन पंचम 23,264 टन दशम 26,985 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 3,412 वर्गमीटर उत्खनित – नहीं
ऊपरी मिट्टी / ओवर बर्डन प्रबंधन योजना	पथरीला क्षेत्र होने के कारण ऊपरी मिट्टी उपस्थित नहीं है।
जल आपूर्ति	मात्रा – 4 घनमीटर स्त्रोत – ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से। ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 300 नग किया गया है। लीज के 7.5 मीटर क्षेत्र पथरीला क्षेत्र होने के कारण वृक्षारोपण किया जाना संभव नहीं होने के कारण ग्राम पंचायत की सहमति उपरांत शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 516, क्षेत्रफल 0.31 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है।

शपथ पत्र (Notarized undertaking)	लीज क्षेत्र के चारों (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र 7.5 मीटर में) कोई भी उत्खनन का कार्य नहीं किया गया है और भविष्य में भी कोई उत्खनन का कार्य नहीं किया जायेगा। कन्ट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने, खदान से निकलने वाले ऊपर मिट्टी को लीज के प्रतिबंधित क्षेत्र 7.5 मीटर में रखा जायेगा एवं उसका उपयोग वृक्षारोपण हेतु किया जायेगा। खदान से निकलने वाली मिट्टी को कहीं भी विक्रय नहीं किये, लीज क्षेत्र के चारों ओर (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र 7.5 मीटर में) सघन वृक्षारोपण किया एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत रखने, मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् भू-प्रवेश अनुमति के पश्चात् खदान में बाउण्ड्री पिल्लर्स बनाकर सीमांकन का कार्य किये जाने, हमारे विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। हमारे विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804 (अ) दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जायेगा। खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जायेगा तथा इसका संरक्षण किया जायेगा। परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
श्रेणी	बी-2 आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 2.438 हेक्टेयर है।

1. समिति द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्ष 2023-24 में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. पूर्व में जिला स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्रमांक 1036/डी.आई.ए.ए./ई.सी./2016 दंतेवाड़ा दिनांक 07/12/2016 में खसरा क्रमांक 816 का उल्लेख है। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दंतेवाड़ा (छ.ग.) के पारित आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र. /2/अ-6(अ)/2013-2014 दिनांक 26/05/2014 के अनुसार खसरा क्रमांक 816 के बंदोबस्त त्रुटि को दुरूस्त कर खसरा क्रमांक 815/2 करते हुए गौण

खनिज के उत्खनन पट्टे की अवधि विस्तार करने हेतु अनुपूरक पट्टाविलेख अनुबंध दिनांक 03/03/2017 को किया गया है।

3. समिति द्वारा के.एम.एल. के माध्यम से देखने पर पाया कि क्रशर का कुछ भाग लीज क्षेत्र के भीतर स्थापित किया गया है। उक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्रशर को लीज क्षेत्र के बाहर स्थापित किये जाने तथा क्रशर का संचालित छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से जल एवं वायु सम्मति लिये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

4. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30.67	2%	0.61	Following activities at Nearby, Village-Kadampal	
			Plantation	6.301
			Total	6.301

सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम–कदमपाल के शासकीय भूमि में वृक्षारोपण (नीम, करंज, अर्जुन, कदम आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 7,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 60,600 रूपये, खाद के लिए राशि 500 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 72,000 रूपये, रख–रखाव आदि के लिए राशि 36,000 रूपये तथा अन्य खर्च के लिए राशि 15,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,91,100 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 4,39,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत कदमपाल के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 534, क्षेत्रफल 2.52 हेक्टेयर) की संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को लीज क्षेत्र का ड्रोन विडियो (Drone video) में प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी जल एवं वायु स्थापना/संचालन सम्मति की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 591वीं बैठक दिनांक 10/03/2025 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 19/05/2025 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(द) समिति की 645वीं बैठक दिनांक 04/06/2025:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 1036/खनिज/उ.प./2024–25 दंतेवाड़ा, दिनांक 19/03/2025 द्वारा विगत वर्ष 2023–24 में 26,882 घनमीटर उत्खनन किया गया है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 73/खनिज/उ.प./2025–26 दंतेवाड़ा, दिनांक 23/04/2025 द्वारा विगत वर्ष 2024–25 में 26,880 घनमीटर उत्खनन किया गया है।
3. लीज क्षेत्र का ड्रोन विडियो (Drone video) में प्रस्तुत किये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त क्षेत्र नक्सल प्रभावित होने के कारण ड्रोन विडियो करा पाना संभव नहीं है। अतः ड्रोन विडियो से छूट प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया है।
4. क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 120, दिनांक 23/04/2024 द्वारा माईनिंग एवं क्रशिंग ऑफ स्टोन क्षमता – 26,985 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण जारी की गई है।
5. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
6. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है–
   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–कड़मपाल) का क्षेत्रफल 1.35 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. मेसर्स कड़मपाल आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री अमन अग्रवाल) को ग्राम–कड़मपाल, तहसील–बचेली, जिला–दंतेवाड़ा के खसरा क्रमांक 815/2 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.35 हेक्टेयर, क्षमता – 26,985 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/11/2025 को संपन्न 210वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दन्तेवाड़ा वनमण्डल दन्तेवाड़ा द्वारा जारी दिनांक 05/02/2024 परिक्षेत्र अधिकारी बचेली के प्रतिवेदन अनुसार "आवेदित स्थल आरक्षित वन, संरक्षित वन, राजस्व वन या नारंगी क्षेत्र से 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

2. माननीय एनजीटी द्वारा आरक्षित एवं संरक्षित वनक्षेत्र की सीमा से खदान की दूरी 01 कि.मी. के भीतर नहीं दिये जाने का आदेश है एवं यह भी आदेशित किया गया है कि यदि राज्य शासन चाहे तो स्वयं यह दूरी निर्धारित कर अधिसूचित किया जा सकता है। अतः वर्तमान में राज्य शासन द्वारा अधिसूचित दूरी का आदेश प्राप्त होने के पश्चात् प्रकरण पर पुनर्विचार किया जावेगा।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत से सहमति प्राप्त भूमि में वृक्षारोपण किये जाने की जानकारी दी गई है। वृक्षारोपण का मुख्य उद्देश्य स्त्रोत में होने वाले धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए है। अतः 7.5 मीटर या लीज क्षेत्र के भीतर वृक्षारोपण किये जाने से उद्देश्य की पूर्ति होती है ना कि किसी अन्य क्षेत्र में करने से। अतः परियोजना प्रस्तावक को लीज क्षेत्र के चारों तरफ में उपयुक्त स्थान पर वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

4. वृक्षारोपण का कार्य 06 माह के भीतर में किया जावे अन्यथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही किया जावेगा, जिसमें खदान बंद करने की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने के पश्चात् प्रकरण पर आगामी कार्यवाही की जावेगी।

7. **मेसर्स वी.वी. क्रशर स्टोन, आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री वशिष्ठ कश्यप), ग्राम–जुनवानी, तहसील–नरहरपुर, जिला–कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2479)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 431045/ 2023, दिनांक 27/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–जुनवानी, तहसील–नरहरपुर, जिला–कांकेर स्थित खसरा क्रमांक–298, कुल क्षेत्रफल–1.7 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–44,931 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 478वीं बैठक दिनांक 27/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 27/07/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06 / 12 / 2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 502वीं बैठक दिनांक 13 / 12 / 2023:

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेन्डम दिनांक 28 / 04 / 2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:—

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
भू-स्वामित्व	खसरा क्रमांक 298	शासकीय भूमि
बैठक का विवरण	502 वीं बैठक दिनांक 13 / 12 / 2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 06 / 12 / 2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री वशिष्ठ कश्यप, प्रोपराईटर उपस्थित हुये।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार — साधारण पत्थर खसरा क्रमांक — 298 क्षेत्रफल — 1.70 हेक्टेयर क्षमता — 44,931 टन प्रतिवर्ष दिनांक — 26 / 12 / 2016	डी.ई.आई.ए.ए., जिला—उत्तर बस्तर कांकेर
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व—प्रमाणित — नहीं	पूर्व में जारी ई.सी. के तहत् निर्धारित शर्तानुसार 575 नग पौधों का वृक्षारोपण कर नम्बरिंग एवं फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
विगत वर्षों में किये गये उत्खनन	दिनांक 25 / 05 / 2023 वर्ष 2018—19 में 6,840 घनमीटर वर्ष 2019—20 में 5,160 घनमीटर वर्ष 2020—21 में 5,000 घनमीटर	पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 26 / 12 / 2016 से दिनांक 31 / 03 / 2018 तक एवं दिनांक 01 / 04 / 2023 से अद्यतन स्थिति तक किये गये उत्खनन की

	वर्ष 2021–22 में 3,515 घनमीटर वर्ष 2022–23 में 2,980 घनमीटर	वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.		अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति पठनीय नहीं है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 10/06/2016	
500 मीटर	दिनांक 25/05/2023	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 25/05/2023	डबरी – 100 मीटर
लीज डीड	लीज डीड अपठनीय है।	
वन विभाग एन.ओ.सी.	वन मण्डलाधिकारी, (सामान्य) वन मण्डल कांकेर द्वारा जारी ज्ञापन दिनांक 20/06/2007 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।	आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी – चनार 1.2 कि.मी. स्कूल – चनार 1.2 कि.मी. अस्पताल– पखांजूर 1.6 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग– 10 कि.मी. राज्यमार्ग– 8 कि.मी.	महानदी – 3 कि.मी.
पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग – हॉ **रिजर्व –** जियोलॉजिकल – 5,70,879 टन माईनेबल – 3,96,816 टन प्रस्तावित गहराई 12 मीटर बेंच की ऊंचाई 3 मीटर बेंच की चौड़ाई 3 मीटर संभावित आयु 10 वर्ष क्रशर प्रस्तावित – नहीं	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 23,070 टन द्वितीय 32,310 टन तृतीय 16,632 टन चतुर्थ 44,931 टन पंचम 44,931 टन षष्ठम 44,931 टन सप्तम 44,931 टन अष्टम 44,931 टन नवम 44,931 टन दशम 44,931 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत सरफेस जियोलॉजिकल प्लान अनुसार उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र का कुछ भाग उत्खनित है।	क्वारी प्लान अपठनीय है।

ऊपरी मिट्टी / ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना		ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
जल आपूर्ति	मात्रा – 4 स्त्रोत – बोरवेल	सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से एन.ओ.सी. प्राप्त है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 768 नग किया जाना है।	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 12,30,680 रूपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा डी.जी.एम.एस. द्वारा कन्ट्रोल ब्लास्टिंग, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 80 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, खनिज नियमों के तहत् सीमांकन, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। 2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि वेस्ट मेटेरियल कुल मात्रा 5,810.2 को आवश्यकतानुसार रास्ते की मरम्मत में उपयोग किया जावेगा, अतिरिक्त बचे मुर्रम को खनिज विभाग की सहमति से बिक्री किया जावेगा।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना / खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14 / 03 / 2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02 / 08 / 2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08 / 01 / 2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 1.7 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
44.50	2%	0.89	Following activities at Government Middle School **Village- Junwani**	
			Plantation	1.34
			Total	**1.34**

सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर के भीतर (पीपल, नीम, आम, जामुन एवं कदम) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 5,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 5,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,000 रुपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 35,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 99,800 रुपये हेतु मदवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही हेतु पालन प्रतिवेदन की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी ई.सी. के तहत् निर्धारित शर्तानुसार 575 नग पौधों का वृक्षारोपण कर नम्बरिंग एवं फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 26/12/2016 से दिनांक 31/03/2018 तक एवं दिनांक 01/04/2023 से अद्यतन स्थिति तक किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
4. ग्राम पंचायत जुनवानी का (बैठक दिनांक, सरपंच एवं सचिव के हस्ताक्षर सहित) पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
5. लीज डीड (लीज धारक, वैधता अवधि सहित) की पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
6. क्वारी प्लान का पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए। साथ ही यदि 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में उत्खनन किया गया हो तो इस संबंध में रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाए।
7. ऊपरी मिट्टी प्रबंधन (मोटाई एवं मात्रा सहित) योजना प्रस्तुत किया जाए।
8. आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 502 वीं बैठक दिनांक 13/12/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 04/06/2025 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 645वीं बैठक दिनांक 04/06/2025

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 में क्षमता विस्तार के प्रकरणों हेतु सी.सी.आर. की आवश्यकता के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। समिति द्वारा पाया गया कि आवेदित प्रकरण क्षमता विस्तार का नहीं है। अतः आवेदित प्रकरण हेतु सी.सी.आर. की आवश्यकता नहीं है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन के संबंध में स्व-प्रमाणित प्रमाण पत्र (Self-compliance report) प्रस्तुत किया गया है।

2. पूर्व में जारी ई.सी. के तहत् निर्धारित शर्तानुसार 875 नग पौधों का वृक्षारोपण कर नम्बरिंग एवं फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उ.ब. कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1721/खलि-1/उ.प./न.क्र./2007 कांकेर, दिनांक 19/09/2024 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2016-17	1,700
2017-18	10,467
2018-19	6,840
2019-20	5,160
2020-21	5,900
2021-22	3,515
2022-23	2,860
2023-24	1,500

4. उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत जुनवानी का दिनांक 04/04/2007 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. लीज मेसर्स बी.बी. क्रशर स्टोन के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 17/11/2007 से 16/11/2037 तक की अवधि हेतु निष्पादित की गई है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मॉडिफाईड क्वारी प्लान, एलांग विथ माईन क्लोजर प्लान विथ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 886/ख.लि.3/क्वा./2024 धमतरी, दिनांक 20/09/2024 द्वारा अनुमोदित है। साथ ही यदि 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) के उत्तर दिशा की तरफ 882 वर्गमीटर 2 मीटर की गहराई एवं पूर्व दिशा की तरफ 1,288 वर्गमीटर 1 मीटर की गहराई तक उत्खनन किया गया है। उक्त उत्खनित क्षेत्र के पुनर्भराव हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार पुनर्भराव हेतु राशि 3,08,100/- खर्च किया जाना प्रस्तावित है।

7. लीज क्षेत्र में कुल 3,012 घनमीटर मोटाई 1 मीटर ऊपरी मिट्टी उत्पन्न होगा जिसका उपयोग पुनर्भराव एवं लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) के क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण कार्य में किया जाएगा।

8. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी कांकेर वन मण्डल, कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा./ /2024/1682 कांकेर, दिनांक 05/03/2024 द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार आवेदित क्षेत्र से वनक्षेत्र 1.17 कि.मी. की आकाशीय दूरी पर है।

9. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

10. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–जुनवानी) का क्षेत्रफल 1.7 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. मेसर्स टी.टी. क्रशर स्टोन, आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री वशिष्ठ कश्यप), को ग्राम–जुनवानी, तहसील–नरहरपुर, जिला–कांकेर के खसरा क्रमांक 298 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.7 हेक्टेयर, क्षमता – 44,931 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/11/2025 को संपन्न 210वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स टी.टी. क्रशर स्टोन, आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री वशिष्ठ कश्यप), को ग्राम–जुनवानी, तहसील–नरहरपुर, जिला–कांकेर के खसरा क्रमांक 298 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.7 हेक्टेयर, क्षमता – 44,931 टन प्रतिवर्ष हेतु निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   i. परियोजना प्रस्तावक को 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में कुल 768 नग वृक्षारोपण का कार्य 01 वर्ष में पूर्ण किया जाए।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मॉडिफाईड क्वारी प्लान, एलाय विथ माईन क्लोजर प्लान विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 688/ख.लि.3/खा./2024 धमतरी, दिनांक 20/09/2024 द्वारा अनुमोदित है। 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में उत्तर दिशा की तरफ 862 वर्गमीटर 2 मीटर की गहराई एवं पूर्व दिशा की तरफ 1,288 वर्गमीटर 1 मीटर की गहराई तक उत्खनन किया गया है। उक्त उत्खनित क्षेत्र को स्वीकृत योजना के अनुसार पुनर्भरण एवं उस पर वृक्षारोपण का कार्य 01 वर्ष में पूर्ण किया जाए।

iii. वृक्षारोपण एवं पुनर्भरण का कार्य निर्धारित अवधि में किया जावे अन्यथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही किया जावेगा, जिसमें खदान बंद करने की कार्यवाही भी की जा सकती है।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

8. **मेसर्स मितघरा आर्डिनरी स्टोन माईन फॉर मेकिंग गिट्टी (प्रो.– श्री गजेन्द्र जैन), ग्राम–मितघरा, तहसील–बगीचा, जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1715)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/217297/2021, दिनांक 29/06/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मितघरा, तहसील–बगीचा, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 907/1, कुल क्षेत्रफल–0.75 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–34,468.2 टन (13,257 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 382वीं बैठक दिनांक 30/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री ब्रह्मानन्द शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मितघरा का दिनांक 18/08/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खि.म.), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक क./975/खि.लि.–2/2021 रायगढ़, दिनांक 03/06/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/57/ख.शा./2021 जशपुर, दिनांक 14/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 3 खदानें, क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर होना बताया गया है, जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित कलस्टर अनुसार "कोई कलस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उसी सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् कलस्टर हेतु डीमोडिफिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (कलस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/58/ख.शा./2021 जशपुर, दिनांक 14/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – यह शासकीय भूमि है। एल.ओ.आई. कलेक्टर, जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 435/ख.शा./2021 जशपुर, दिनांक 10/02/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 2 वर्ष की अवधि तक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल, जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2021/269 जशपुर, दिनांक 23/01/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मितघरा 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–मितघरा 1 कि.मी. एवं अस्पताल बगीचा 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 25.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 32.5 कि.मी. दूर है। डोमकी नदी 1.25 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,04,750 टन, माईनेबल रिजर्व 68,936 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 62,042 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,625 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 2 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	34,468
द्वितीय	34,468

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 2.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी एवं पहुंच मार्ग में 800 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार के पश्चात उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at Government Middle School, **Village - Bhitghara**	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Running water facility for flushing and washing Toilets	0.20
			Total	**0.80**

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. माईनिंग विभाग से क्लस्टर क्षेत्र में 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की जानकारी उपरोक्त विवरण अनुसार प्रस्तुत किये जाने के लिए निर्देशित किया जाए।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं बादलखोल अभयारण्य की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. ऊपरी मिट्टी (Top Soil) की मात्रा एवं उसके भंडारण की उपयुक्त व्यवस्था को समाहित करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
4. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 382वीं बैठक दिनांक 30 / 07 / 2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 16 / 08 / 2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31 / 08 / 2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 171 / ख.शा. / 2021 जशपुर, दिनांक 02 / 08 / 2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर है।
2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमंडल, जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक / मा.चि. / 2021 / 3173 जशपुर, दिनांक 10 / 08 / 2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन भूमि से 1 कि.मी. एवं बादलखोल अभयारण्य से 5 कि.मी. दूर है।
3. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी (Top Soil) की मात्रा 2,437.5 घनमीटर है। ऊपरी मिट्टी (Top Soil) के उपयोग एवं भंडारण की उपयुक्त व्यवस्था को समाहित करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. परियोजना हेतु खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को ऊपरी मिट्टी (Top Soil) के उपयोग एवं भंडारण की उपयुक्त व्यवस्था को समाहित करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27 / 09 / 2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 17 / 11 / 2021 को प्रस्तुत किया गया है।

नवीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 393वीं बैठक दिनांक 11/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गजेन्द्र जैन, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:—

1. रिवाईज्ड क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खि.प्र.), जिला—रायगढ़ के पृ. ज्ञापन क्रमांक 2240ए/खि.लि.—2/2021 रायगढ़, दिनांक 08/11/2021 द्वारा अनुमोदित है, जिसके अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 2,04,750 टन (78,750 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 56,550 टन (21,750 घनमीटर) एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 50,895 टन है। ऊपरी मिट्टी (Top Soil) के भंडारण की उपयुक्त व्यवस्था संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,065 घनमीटर है। उक्त ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के पश्चिमी दिशा के 885 वर्गमीटर क्षेत्र में एवं उत्तरी दिशा के 100 वर्गमीटर क्षेत्र में 2.68 मीटर की ऊंचाई तक संरक्षित कर रखा जाएगा।

2. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक को लीज क्षेत्र का चिन्हांकन एवं सीमांकन कराकर खनिज विभाग से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. समिति द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि रिकव्हरेबल रिजर्व के अनुसार ही उत्खनन कार्य करने हेतु नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:—

1. ऊपरी मिट्टी कन्जरवेशन प्लान को परियोजना लागत में सम्मिलित कर कुल परियोजना व्यय प्रस्तुत किया जाए।

2. लीज क्षेत्र का चिन्हांकन एवं सीमांकन कराकर खनिज विभाग से प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

3. रिकव्हरेबल रिजर्व के अनुसार ही उत्खनन कार्य करने हेतु नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी दिनांक 17/10/2024 को प्रस्तुत किया गया है। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के एजेण्डा पत्र दिनांक 28/02/2025 के माध्यम से 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

(द) समिति की 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:—

1. खदान से निकलने वाली ऊपरी मिट्टी की मात्रा 2055 घनमीटर है। उक्त ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के पश्चिमी दिशा के 885 वर्गमीटर क्षेत्र में एवं उत्तरी दिशा में 100 वर्गमीटर क्षेत्र में 1 मीटर की ऊंचाई एवं 28 डिग्री स्लोप में डम्प किया जावेगा। शेष 1290 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर सहमति प्राप्त

भूमि खसरा क्रमांक 648/3 रकबा 8070 वर्गमीटर में 1 मीटर की ऊंचाई एवं 40 डिग्री में क्रय किया जायेगा।

2. न्यायालय नायब तहसीलदार, बगीचा, जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 420/वाचक/2024 बगीचा दिनांक 10/10/2024 द्वारा लीज क्षेत्र का चिन्हांकन एवं सीमांकन बाबत् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

3. रिकवरेबल रिजर्व के अनुसार ही उत्खनन कार्य करने हेतु नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. एल.ओ.आई. कलेक्टर, जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 435/ख.शा./2021 जशपुर, दिनांक 10/02/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 2 वर्ष की तक वैध थी। अतः एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि समाप्त हो गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

2. आवेदित क्षेत्र से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य तथा घोषित जैव विविधता क्षेत्र की दूरी बाबत् जानकारी, संबंधित वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 एवं ज्ञापन दिनांक 03/06/2025 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 29/05/2025 एवं दिनांक 23/07/2025 के माध्यम से जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ड) समिति की 667वीं बैठक दिनांक 23/07/2025:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत न्यायालय संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 48/2024 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 18/09/2024 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट हो जाता है कि अधीनस्थ जिला कार्यालय, जशपुर द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 58 के तहत् उत्खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृति हेतु बैगर पर्यावरण सम्मति के सीधे प्रारूप बाईस में जारी स्वीकृति आदेश दिनांक 10/02/2021 त्रुटिपूर्ण है, जिसे अपास्त किया जाता है। उक्त आवेदन को जीवित मान्य किया जाकर आवेदक श्री गजेन्द्र जैन आत्मज स्व. श्री सेठमल जैन निवासी कुनकुरी के नाम पर निर्माण विभाग का वैध कार्यादेश वर्तमान में जीवित होने कि स्थिति में जिला कार्यालय द्वारा पर्यावरण सम्मति से संबंधित सभी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति उपरान्त नियम 58(1)(पांच) के तहत् स्वीकृती आदेश प्रारूप बाईस में जारी किया जाना होगा। उत्खनन अनुज्ञा स्वीकृति हेतु आशय पत्र की समय–सीमा निर्धारित न होने से इसकी वैधता स्वमेव प्रचलनशील है।**

सम्यक रूप से विचारोपरांत प्रस्तुत उत्खनन अनुज्ञापत्र आवेदन को पर्यावरण स्वीकृति प्राप्ति की स्थिति में जीवित मान्य किया जाता है।" होना बताया गया है।

2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल जिला–जशपुर, के ज्ञापन क्र./मा.चि./2025/3850 जशपुर, दिनांक 12/06/2025 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र

अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 01 कि.मी., वन्यजीव अभ्यारण्य गूगल अर्थ के आधार पर लगभग 2.50 कि.मी. की दूरी पर है। आवेदित लीज क्षेत्र की सीमा से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान नहीं है।

3. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/67/ख.शा./2021 जशपुर, दिनांक 14/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 3 खदानें, क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर होना बताया गया है तथा आवेदित खदान का क्षेत्रफल 0.75 हेक्टेयर है, जो कि 5 हेक्टेयर से कम है। माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है–

   a) Form-1M be made more comprehensive for areas of 0 to 5 ha by dispensing with the requirement for Public Consultation to be evaluated by SEAC for recommendation of grant EC by SEIAA instead of DEAC/DEIAA.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. आवेदक – मेसर्स भितघरा आर्डिनरी स्टोन माईन फॉर मेकिंग गिट्टी (प्रो.– श्री गजेन्द्र जैन) को ग्राम–भितघरा, तहसील–बगीचा, जिला–जशपुर के खसरा क्रमांक 907/1 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–0.75 हेक्टेयर, क्षमता–34,468.2 टन (13,257 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/11/2025 को संपन्न 210वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स भितघरा आर्डिनरी स्टोन माईन फॉर मेकिंग गिट्टी (प्रो.– श्री गजेन्द्र जैन) को ग्राम–भितघरा, तहसील–बगीचा, जिला–जशपुर के खसरा क्रमांक 907/1 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल – 0.75 हेक्टेयर, क्षमता–34,468.2 टन (13,257 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

2. समिति द्वारा निर्धारित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

9. **मेसर्स ओके ब्रिक्स एण्ड ट्रान्सपोर्ट (प्रो.– श्री यतीन्द्र कुमार खत्री), ग्राम–तुलसाघाट, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2379)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/425143/2023, दिनांक 10/04/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–तुलसाघाट, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 61/1/ज, कुल क्षेत्रफल–2.31 में है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन क्षमता–1,500 घनमीटर (15,00,000 ब्रिक्स) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/05/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 466वीं बैठक दिनांक 23/05/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री यतीन्द्र कुमार खत्री, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक 61/1/ज, कुल क्षेत्रफल–2.31 हेक्टेयर, क्षमता–1,500 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–मुंगेली द्वारा दिनांक 22/01/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 21/01/2023 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 21/01/2024 तक वैध होगी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 347/खलि.–2 उ.प./2023 मुंगेली, दिनांक 21/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
06/04/2018 से 31/03/2019 तक	828
2019–2020	1,396
2020–2021	1,439.2
2021–2022	1,383
2022–2023	788

समिति का मत है कि दिनांक 31/03/2023 के उपरांत किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बुधवारा का दिनांक 04/03/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप–संचालक (खनि प्रशासन) कार्यालय कलेक्टर, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1109/खा.लि./टीम–1/2017 बलौदाबाजार दिनांक 13/10/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 365/खलि–02/2023 मुंगेली, दिनांक 21/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 348/खलि–02/2023 मुंगेली, दिनांक 21/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट एवं बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। नदी लगभग 83 मीटर दूर है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्री यतीन्द्र कुमार खत्री के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 06/04/2018 से 05/04/2048 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्री ओंकार खत्री के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वन विभाग में आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है। समिति का मत है कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–लोरमी 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–लोरमी 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल लोरमी 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

राष्ट्रीय राजमार्ग 69 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1 कि.मी. दूर है। मनियारी नदी 1[illegible] मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 48,200 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 41,318 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 701 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 1,500 वर्गमीटर क्षेत्र में ईंट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 27.5 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 10 टन कोयले की आवश्यकता होती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	1,500	षष्टम	1,500
द्वितीय	1,500	सप्तम	1,500
तृतीय	1,500	अष्टम	1,500
चतुर्थ	1,500	नवम	1,500
पंचम	1,500	दशम	1,500

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में कुल 360 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 46,600 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 70,200 रुपये, खाद के लिए राशि 2,640 रुपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,16,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 3,35,440 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 8,75,720 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र के भीतर 180 वर्गमीटर क्षेत्र को वृक्ष होने के कारण एवं 60 वर्गमीटर क्षेत्र को इलेक्ट्रीक पोल होने के कारण गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के अंतर्गत ग्राम–तुलसाघाट, तहसील–लोरमी के शासकीय भूमि में वृक्षारोपण या निक्षन गार्डन (स्कूल के किनारे/मुक्तिधाम के किनारे/तालाब के किनारे) के लिए शासकीय भूमि का क्षेत्र और खसरा क्रमांक उपलब्ध कराने बाबत् ग्राम पंचायत तुलसाघाट को आवेदन

किया जाना बताया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत वृक्षारोपण हेतु ग्राम पंचायत की सहमति उपरांत भूमि के खसरा क्रमांक एवं रकबा का उल्लेख करते हुए जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ 7.5 मीटर बाउंड्री छोड़ी गयी है, उस पर फेंसिंग कराकर वृक्षारोपण का कार्य कराने तथा लीज क्षेत्र की सीमा के चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी एवं सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यों की जानकारी जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भविष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं क्षमता से अधिक उत्खनन नहीं करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित क्षेत्र में स्थित 16 नग वृक्षों की प्रजातियों की जानकारी प्रस्तुत किये जाने साथ उक्त वृक्षों की आवश्यकता पड़ने पर कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरान्त ही करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के अंतर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण का 5 वर्षों तक रख–रखाव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित लीज क्षेत्र से 800 मीटर की दूरी में ग्राम/आबादी क्षेत्र एवं 1 कि.मी. की दूरी में कोई चिमनी/किल्न स्थापित है अथवा नहीं की जानकारी दी जावेगी।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं फ्लाई ऐश के उचित रख–रखाव के लिये टिन शेड का उपयोग किया जाएगा।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् सीमांकन कराकर खदान की सीमा क्षेत्र में नियमानुसार स्तंभ स्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. ईंट को पकाने के लिए ईंट भट्टे में केवल जिग–जेग तकनीक या वर्टिकल शॉफ्ट तकनीक का उपयोग किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. दिनांक 31/03/2023 के उपरांत किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी के संबंध में वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
4. कलेक्टर खनिज शाखा से 1 कि.मी. की परिधि में अन्य कोई लीज/ईंट भट्टा संचालित है अथवा नहीं? के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा निहित किये गए शर्तों का पालन किया जाएगा एवं ऐसे न किये जाने की स्थिति में वह विधिवत वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही स्वीकार करेंगे।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उन्हें भविष्य में पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही होगी वह उन्हें मान्य होगी तथा उनके द्वारा भविष्य में पर्यावरण नियमों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।
7. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले ईंधन (कोयला) को रजिस्टर्ड कोल डिपो या कोल माईन से खरीदे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

8. ईंट निर्माण में अनुमोदित ईंधन (कोयला, कृषि अपशिष्ट आदि) का उपयोग किये जाने तथा खतरनाक अपशिष्ट जैसे टायर/प्लास्टिक, पैटकोक आदि का उपयोग नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

9. उत्सर्जन के निगरानी के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों/रूपरेखा अनुसार ईंट भट्टे में स्थाई सुविधा (पोर्ट होल्स एवं प्लेटफॉर्म) का निर्माण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

10. ईंट भट्टे से निकलने वाले राख का उपयोग इसी परिसर में पुनः कच्चे ईंट निर्माण में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. कच्चे माल/ईंट परिवहन के दौरान वाहनों को ढंक कर रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी दिनांक 14/08/2024 को प्रस्तुत किया गया है। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के एजेण्डा पत्र दिनांक 28/02/2025 के माध्यम से 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

(घ) समिति की 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री यतीन्द्र कुमार खत्री, प्रोपराईटर उपस्थित हुये। समिति द्वारा नक्शों, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 202/खा.लि.-2 उ.प./2025 मुंगेली, दिनांक 05/03/2025 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
01/04/2023 से 31/03/2024 तक	60
01/04/2024 से 30/09/2024 तक	निरंक

3. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, मुंगेली वनमण्डल जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./62/2024 मुंगेली, दिनांक 16/01/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 08 कि.मी., निकटतम वन्य जीव अभ्यारण्य (अचानकमार टाईगर रिजर्व) 07 कि.मी. एवं निकटतम राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली 110 कि.मी. की दूरी पर है।

4. कलेक्टर खनिज शाखा से 1 कि.मी. की परिधि में अन्य कोई लीज/ईंट भट्ठा संचालित है अथवा नहीं? के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

5. राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा निहित किये गए शर्तों का पालन किया जाएगा एवं ऐसा न किये जाने की स्थिति में वह विधिवत वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही स्वीकार किया जायेगा इस बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. भविष्य में पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही होगी वह उन्हें मान्य होगी तथा उनके द्वारा भविष्य में पर्यावरण नियमों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले ईंधन (कोयला) को रजिस्टर्ड कोल डिपो या कोल माईन से खरीदे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. ईंट निर्माण में अनुमोदित ईंधन (कोयला, कृषि अपशिष्ट आदि) का उपयोग किये जाने तथा खतरनाक अपशिष्ट जैसे टायर/प्लास्टिक, पेटकोक आदि का उपयोग नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. उत्सर्जन की निगरानी के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों/रूपरेखा अनुसार ईंट भट्टे में स्थाई सुविधा (पोर्ट होल्स एवं प्लेटफॉर्म) का निर्माण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. ईंट भट्टे से निकलने वाले राख का उपयोग इसी परिसर में पुनः कच्चे ईंट निर्माण में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

11. कच्चे माल/ईंट परिवहन के दौरान वाहनों को ढंक कर रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् वृक्षारोपण हेतु ग्राम पंचायत का सहमति उपरांत भूमि के खसरा क्रमांक एवं रकबा का उल्लेख करते हुए जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

2. कलेक्टर खनिज शाखा से 1 कि.मी. की परिधि में अन्य कोई लीज/ईंट भट्टा संचालित है अथवा नहीं? के संबंध में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

3. राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा निहित किये गए शर्तों का पालन किया जाएगा एवं ऐसा न किये जाने की स्थिति में वह विधिवत वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही स्वीकार किया जाएगा इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

4. पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही होगी वह उन्हें मान्य होगी तथा उनके द्वारा भविष्य में पर्यावरण नियमों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा इस बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

5. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले ईंधन (कोयला) को रजिस्टर्ड कोल डिपो या कोल माईन से खरीदे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

6. ईंट निर्माण में अनुमोदित ईंधन (कोयला, कृषि अपशिष्ट आदि) का उपयोग किये जाने तथा खतरनाक अपशिष्ट जैसे टायर/प्लास्टिक, पेटकोक आदि का उपयोग नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

7. उत्सर्जन की निगरानी के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों/रूपरेखा अनुसार ईंट भट्टे में स्थाई सुविधा (पोर्ट होल्स एवं प्लेटफॉर्म) का निर्माण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

8. ईंट भट्टे से निकलने वाले राख का उपयोग इसी परिसर में पुनः कच्चे ईंट निर्माण में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

9. कच्चे माल/ईंट परिवहन के दौरान वाहनों को ढंक कर रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 30/06/2025 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 23/07/2025 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 667वीं बैठक दिनांक 23/07/2025:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at, Govt. Primary School **Village-Tulsaghat**	
			Water supply facility with maintenance including tiles in toilets of boys and girls	1.10
			Total	**1.10**

सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्रधानपाठक (Head Master) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 233/खनि. 02/2024–25 मुंगेली, दिनांक 17/03/2025 अनुसार आवेदित खदान से 01 किलोमीटर की परिधि में 844 मीटर की दूरी पर 01 खदान अवस्थित है।

3. राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी किये जाने वाले पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा एवं ऐसा न किये जाने की स्थिति में विधिवत वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही मान्य होने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही हो, वह मान्य होने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले ईंधन (कोयला) को रजिस्टर्ड कोल डिपो या कोल माईंस से खरीदे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. ईंट निर्माण में अनुमोदित ईंधन (कोयला, कृषि अपशिष्ट आदि) का उपयोग किये जाने तथा खतरनाक अपशिष्ट जैसे टायर/प्लास्टिक, पेटकोक आदि का उपयोग नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

7. उत्सर्जन की निगरानी के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों/रूपरेखा अनुसार ईंट भट्ठे में स्थाई सुविधा (पोर्ट होल्स एवं प्लेटफॉर्म) का निर्माण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. ईंट भट्ठे से निकलने वाले राख का उपयोग इसी परिसर में पुनः कच्चे ईंट निर्माण में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. कच्चे माल/ईंट परिवहन के दौरान वाहनों को ढंक कर रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

11. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 368/खलि-02/2023 मुंगेली, दिनांक 21/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है तथा आवेदित खदान का क्षेत्रफल 2.31 हेक्टेयर है, जो कि 5 हेक्टेयर से कम है। माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Form-1M be made more comprehensive for areas of 0 to 5 ha by dispensing with the requirement for Public Consultation to be evaluated by SEAC for recommendation of grant EC by SEIAA instead of DEAC/DEIAA

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. आवेदक - मेसर्स ओम ब्रिक्स एण्ड ट्रान्सपोर्ट (प्रो.- श्री सतीन्द्र कुमार खत्री) को ग्राम-तुलसावार, तहसील-लोरमी, जिला-मुंगेली के खसरा क्रमांक 61/1/3 में

स्थित मिट्टी (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.31 हेक्टेयर, क्षमता–1,500 घनमीटर (15,00,000 ब्रिक्स) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/11/2026 को संपन्न 210वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स ओके ब्रिक्स एण्ड ट्रान्सपोर्ट (प्रो. – श्री यतीन्द्र कुमार खत्री) को ग्राम–पुलखाघाट, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली के खसरा क्रमांक 61/1/3 में स्थित मिट्टी (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.31 हेक्टेयर, क्षमता–1,500 घनमीटर (15,00,000 ब्रिक्स) प्रतिवर्ष हेतु निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया–

1. ईंट उत्पादन में उपयोग किये जाने वाले फ्लाई ऐश का स्त्रोत की जानकारी (जैसे चालान, ई–बिल एवं अन्य दस्तावेज जो प्रमाणित करे कि फ्लाई ऐश का वास्तव में प्राप्त कर ईंट उत्पादन में निर्धारित मात्रा उपयोग किया जा रहा है।)
2. वृक्षारोपण का रख–रखाव निर्धारित योजना के तहत् किया जाना सुनिश्चित करें ताकि सफलतादर 90 प्रतिशत हो।
3. समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

10. **मेसर्स केशरवानी ब्रिक्स (प्रो.– श्री विनय केशरवानी), ग्राम–जमुनाही, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2380)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 425146/2023, दिनांक 10/04/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–जमुनाही, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 49/2, 49/3, 49/5, 47/4 एवं 63/6, कुल क्षेत्रफल–1.3 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन क्षमता–1,000 घनमीटर (ईंट निर्माण इकाई 10,00,000 नग) प्रतिवर्ष है।

तद्नुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/05/2023 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 486वीं बैठक दिनांक 23/05/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विनय केशरवानी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–**
   i. पूर्व में मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान, खसरा क्रमांक 49/2, 49/3, 49/5, 47/4 एवं 63/6, कुल क्षेत्रफल–1.3 हेक्टेयर, क्षमता–1,000 घनमीटर

प्रतिपर्ण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–मुंगेली द्वारा दिनांक 22/01/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 21/01/2023 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार–

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 21/01/2024 तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है। समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/349/खलि–2 प.प./2023 मुंगेली, दिनांक 21/03/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है–

क्र.	वर्षवार	कुल उत्पादन (घ.मी.)
1	06/04/2018 से 31/03/2019 तक	560
2	01/04/2019 से 31/03/2020 तक	920
3	01/04/2020 से 31/03/2021 तक	960
4	01/04/2021 से 31/03/2022 तक	672
5	01/04/2022 से 31/03/2023 तक	768

दिनांक 31/03/2023 के पश्चात् किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बघनीबांधर का दिनांक 22/07/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान अलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप–संचालक (खनि प्रशासन) वास्ते कलेक्टर, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक

1107/खलि/तीन-1/2017, बलौदाबाजार, दिनांक 13/10/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 351/खलि-02/2023 मुंगेली, दिनांक 21/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 350/खलि-02/2023 मुंगेली, दिनांक 21/03/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, रेल लाईन, अस्पताल, एनीकट एवं बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। नदी खदान से 80 मीटर एवं स्कूल 120 मीटर दूर है।

6. **लीज का विवरण**– लीज मैसर्स केशरवानी ब्रिक्स प्रो.– श्री विनय केशरवानी के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 06/04/2018 से 05/04/2048 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **भू-स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 49/2, 49/3, 49/5 एवं 63/6 श्री विनय कुमार के नाम पर तथा खसरा क्रमांक 47/4 श्रीमती जानकी बाई के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी के सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमंडलाधिकारी, मुंगेली वनमंडल, जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/राजस्व/613 मुंगेली, दिनांक 07/03/2014 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-लोरमी 7 कि.मी., स्कूल ग्राम-लोरमी 7 कि.मी. एवं अस्पताल लोरमी 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 60 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 7 कि.मी. दूर है। मनियारी नदी 100 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 26,000 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 23,374 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 643 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर चिम्नी स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 23.37 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 10 टन कोयले की आवश्यकता होती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया

जाता है। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	1,000	षष्ठम	1,000
द्वितीय	1,000	सप्तम	1,000
तृतीय	1,000	अष्टम	1,000
चतुर्थ	1,000	नवम	1,000
पंचम	1,000	दशम	1,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में कुल 322 नग वृक्षारोपण किया जाना जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 49,472 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,50,000 रूपये, खाद के लिए राशि 2,430 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,16,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 4,17,902 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 8,74,888 रूपये आगामी सात वर्षों हेतु चरणवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – माईनिंग प्लान अनुसार 120 वर्गमीटर क्षेत्र को ऑफिस एवं 50 वर्गमीटर क्षेत्र को लेबर हाउस होने के कारण गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है।

16. प्रस्तुत माईनिंग प्लान में उल्लेखित अक्षांश एवं देशांश के आधार पर गूगल के माध्यम से के.एम.एल. फाईल में देखे जाने पर चिमनी भट्ठा का आधा भाग लीज क्षेत्र के अंदर एवं आधा भाग लीज क्षेत्र के बाहर स्थापित होना पाया गया। जबकि प्रस्तुत माईनिंग प्लान में ही रिजर्व की गणना, सरफेस प्लान आदि में चिमनी का पूर्ण भाग लीज क्षेत्र के भीतर रखे जाने का उल्लेख है। समिति का मत है कि चिमनी भट्ठा (फिक्स चिमनी) को डिस्मेंटल कर, लीज क्षेत्र के भीतर 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) को छोड़ते हुये चिमनी स्थापित किये जाने हेतु रिजर्व की गणना कर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

साथ ही खदान से मनियारी नदी 80 मीटर दूर है। समिति का मत है कि नदी से न्यूनतम 100 मीटर की दूरी रखे जाने हेतु माईनिंग प्लान में नदी की तरफ 20 मीटर लंबाई के क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा जाना आवश्यक है। अतः मनियारी नदी की तरफ को गैर माईनिंग क्षेत्र रखते हुए रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund

		Rupees)		Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at, **Village- Jamunahi**	
			Pavitra Van Nirman	7.90
			Total	**7.90**

18. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (नीम, पीपल, आम, करंज, कदम, जामुन, आंवला, अमलतास, बरगद आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 405 नग पौधों के लिए राशि 80,780 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 45,300 रूपये, खाद के लिए राशि 3,030 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 2,16,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,45,110 रूपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 4,45,864 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् पवित्र वन हेतु ग्राम जमुनाही की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 50 के 40 डिसमिल रकबा भूमि में वृक्षारोपण करने हेतु ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यों की जानकारी जियोटैग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुए प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भविष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन नहीं करने एवं क्षमता से अधिक उत्खनन नहीं करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित क्षेत्र में स्थित 16 नग वृक्षों की प्रजातियों की जानकारी प्रस्तुत किये जाने साथ उक्त वृक्षों की आवश्यकता पड़ने पर कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरान्त ही करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के अंतर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण का 5 वर्षों तक रख–रखाव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित लीज क्षेत्र से 800 मीटर की दूरी में ग्राम/आबादी क्षेत्र एवं 1 कि.मी. की दूरी में कोई चिमनी/किल्न स्थापित है अथवा नहीं की जानकारी दी जावेगी।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं फ्लाई एश के उचित रख–रखाव के लिये टिन शेड का उपयोग किया जाएगा।
25. ईंट को पकाने के लिए ईंट भट्टे में केवल जिग–जैग तकनीक या वर्टिकल शॉफ्ट तकनीक का उपयोग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लरों द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् सीमांकन कराकर खदान की सीमा क्षेत्र में नियमानुसार स्तंभ स्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, पोखर, नहर, नदी एवं अन्य जल निकायों में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण एवं संवर्धन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

32. स्थानीय लोगों को एवं निकटस्थ आबादी क्षेत्रों के निवासियों को रोजगार में प्राथमिकता के आधार पर नियोजित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

2. दिनांक 31/03/2023 के पश्चात् किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत की जाए।

3. प्रस्तुत माईनिंग प्लान में उल्लेखित अक्षांश एवं देशांश के आधार पर गूगल के माध्यम से के.एम.एल. फाईल में देखे जाने पर चिमनी भट्टा का आधा भाग लीज क्षेत्र के अंदर एवं आधा भाग लीज क्षेत्र के बाहर स्थापित होना पाया गया। जबकि प्रस्तुत माईनिंग प्लान में ही रिजर्व की गणना, सरफेस प्लान आदि में चिमनी का पूर्ण भाग लीज क्षेत्र के भीतर रखे जाने का उल्लेख है। अतः चिमनी भट्ठा (जिनका चिमनी) को डिस्मेंटल कर लीज क्षेत्र के भीतर 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी

(उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) को छोड़ते हुये चिमनी स्थापित किये जाने हेतु रिजर्व की गणना कर संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए। साथ ही खदान से मनियारी नदी 80 मीटर दूर है। नदी से न्यूनतम 100 मीटर की दूरी रखे जाने हेतु माईनिंग प्लान में नदी की तरफ 20 मीटर लंबाई के क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा जाए। अतः मनियारी नदी की तरफ को गैर माईनिंग क्षेत्र रखते हुए, रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।

4. एक लाख ईंट निर्माण हेतु कितने कोयले की आवश्यकता होगी के संबंध में गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही कोयले के परिवहन एवं भण्डारण हेतु की गई आवश्यक व्यवस्था की जानकारी भी प्रस्तुत किया जाए।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा निहित किये गए शर्तों का पालन किया जाएगा एवं ऐसे न किये जाने की स्थिति में वह विधिवत वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही स्वीकार करेंगे।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उन्हें भविष्य में पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही होगी वह उन्हें मान्य होगी तथा उनके द्वारा भविष्य में पर्यावरण नियमों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।

7. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले ईंधन (कोयला) को रजिस्टर्ड कोल डिपो या कोल माईन से खरीदे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

8. ईंट निर्माण में अनुमोदित ईंधन (कोयला, कृषि अपशिष्ट आदि) का उपयोग किये जाने तथा खतरनाक अपशिष्ट जैसे टायर/प्लास्टिक, पेटकोक आदि का उपयोग नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

9. उत्सर्जन की निगरानी के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों/रूपरेखा अनुसार ईंट भट्टे में स्थाई सुविधा (पोर्ट होल्स एवं प्लेटफॉर्म) का निर्माण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

10. ईंट भट्टे से निकलने वाले राख का उपयोग इसी परिसर में पुनः कच्चे ईंट निर्माण में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. कच्चे माल/ईंट परिवहन के दौरान वाहनों को ढंक कर रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी दिनांक 14/08/2024 को प्रस्तुत किया गया है। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के एजेण्डा पत्र दिनांक 28/02/2025 के माध्यम से 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

(ब) समिति की 584वीं बैठक दिनांक 06/03/2025

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विनय केशरवानी, प्रोपराईटर उपस्थित हुये। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 201/खलि.–2 उ.प./2025 मुंगेली, दिनांक 05/03/2025 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्पादन की जानकारी निम्नानुसार है–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
01/04/2023 से 31/03/2024 तक	240
01/04/2024 से 30/09/2024 तक	निरंक

3. संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 26,000 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 18,590 घनमीटर एवं रिकवरेबल रिजर्व 15,761 घनमीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर चिमनी स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 1,800 वर्गमीटर है। खदान की संभावित आयु 17 वर्ष है।

4. एक लाख ईंट निर्माण हेतु 10 टन कोयले की आवश्यकता होती है इस प्रकार से 10 लाख ईंट बनाने के लिए 100 टन कोयले की आवश्यकता होगी कोयला तारपोलिन शीट से कवर्ड ट्रकों के द्वारा एस.ई.सी.एल. कोरबा या लोकल बिलासपुर की डिपो से खरीदी जाती है कोयले को तारपोलिन शीट से ढक कर लीज सीमा के अंदर रखा जाता है।

5. राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा निहित किये गए शर्तों का पालन किया जायेगा एवं ऐसे न किये जाने की स्थिति में वह विधिवत वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही स्वीकार करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. भविष्य में पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही होगी वह उन्हें मान्य होगी तथा उनके द्वारा भविष्य में पर्यावरण नियमों एवं शर्तों का पालन करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले ईंधन (कोयला) को रजिस्टर्ड कोल डिपो या कोल माईन से खरीदे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. ईंट निर्माण में अनुमोदित ईंधन (कोयला, कृषि अपशिष्ट आदि) का उपयोग किये जाने तथा खतरनाक अपशिष्ट जैसे टायर/प्लास्टिक, पेटकोक आदि का उपयोग नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. उत्सर्जन के निगरानी के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों/रूपरेखा अनुसार ईंट भट्टे में स्थाई सुविधा (पोर्ट होल्स एवं प्लेटफॉर्म) का निर्माण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. ईंट भट्टे से निकलने वाले राख का उपयोग इसी परिसर में पुनः कच्चे ईंट निर्माण में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

11. कच्चे माल/ईंट परिवहन के दौरान वाहनों को ढंक कर रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. आवेदित क्षेत्र से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य तथा घोषित जैव विविधता क्षेत्र की दूरी बाबत् जानकारी, संबंधित वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल के निर्गमित मार्ग में डिजिटल वॉटर फ्लो मीटर स्थापित कर लॉग बुक को मेन्टेन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा निहित किये गए शर्तों का पालन किया जाएगा एवं ऐसे न किये जाने की स्थिति में वह विधिवत वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही स्वीकार करेंगे इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भविष्य में पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही होगी वह उन्हें मान्य होगी तथा उनके द्वारा भविष्य में पर्यावरण नियमों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले ईंधन (कोयला) को रजिस्टर्ड कोल डिपो या कोल माईन्स से खरीदे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. ईंट निर्माण में अनुमोदित ईंधन (कोयला, कृषि अपशिष्ट आदि) का उपयोग किये जाने तथा खतरनाक अपशिष्ट जैसे टायर/प्लास्टिक, पेटकोक आदि का उपयोग नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. उत्सर्जन के निगरानी के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों/रूपरेखा अनुसार ईंट भट्टे में स्थाई सुविधा (पोर्ट होल्स एवं प्लेटफार्म) का निर्माण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. ईंट भट्टे से निकलने वाले राख का उपयोग इसी परिसर में पुनः कच्चे ईंट निर्माण में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. कच्चे माल/ईंट/कोयला/फ्लाईऐश परिवहन के दौरान वाहनों को ढंक कर रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं फ्लाई ऐश के उचित रख-रखाव के लिए टिन शेड का उपयोग किये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. आवेदित खदान में विद्यमान चिमनी किल्न को जिग-जैग पद्धति में प्रतिस्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् सीमांकन कराकर खदान सीमा क्षेत्र में नियमानुसार स्तंभ स्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल के निर्गमित मार्ग में डिजिटल वॉटर फ्लो मीटर स्थापित कर लॉग बुक को मेन्टेन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 30/06/2025 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/07/2025 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 667वीं बैठक दिनांक 23/07/2025:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी मुंगेली, वनमण्डल जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रा./मा.चि./60/2024/मुंगेली, दिनांक 16/01/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी 06 कि.मी. है। वन्यजीव अभ्यारण्य (अचानकमार टाईगर रिजर्व) की वास्तविक दूरी 07 कि.मी. है एवं राष्ट्रीय उद्यान (कान्हा केसली राष्ट्रीय उद्यान) की वास्तविक दूरी 110 कि.मी. है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल के निर्गमित मार्ग में डिजिटल वॉटर फ्लो मीटर स्थापित कर लॉग बुक को मेन्टेन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
3. राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी किये जाने वाले पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा एवं ऐसे न किये जाने की स्थिति में विधिवत वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही मान्य होने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. पर्यावरण स्वीकृति शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर जो भी कार्यवाही होगी वह मान्य होने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले ईंधन (कोयला) को रजिस्टर्ड कोल डिपो या कोल माईन्स से खरीदे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
6. ईंट निर्माण में अनुमोदित ईंधन (कोयला, कृषि अपशिष्ट आदि) का उपयोग किये जाने तथा खतरनाक अपशिष्ट जैसे टायर/प्लास्टिक, पेटकोक आदि का उपयोग नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. उत्सर्जन की निगरानी के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदण्डों/रूपरेखा अनुसार ईंट भट्टे में स्थाई सुविधा (पोर्ट होल्स एवं प्लेटफार्म) का निर्माण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. ईंट भट्टे से निकलने वाले राख का उपयोग इसी परिसर में पुनः कच्चे ईंट निर्माण में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. कच्चे माल/ईंट परिवहन के दौरान वाहनों को ढंक कर रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. ईंट निर्माण में उपयोग किये जाने वाले कोयले एवं फ्लाई ऐश के उचित रख–रखाव के लिए टिन शेड का उपयोग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. आवेदित खदान में विद्यमान चिमनी किल्न को जिग–जैग पद्धति में प्रतिस्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् सीमांकन कराकर खदान की सीमा क्षेत्र में नियमानुसार स्तंभ स्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

14. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 351/खनि–02/2023 मुंगेली, दिनांक 21/03/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है तथा आवेदित खदान का क्षेत्रफल 1.3 हेक्टेयर है, जो कि 5 हेक्टेयर से कम है। माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Form-1M be made more comprehensive for areas of 0 to 5 ha by dispensing with the requirement for Public Consultation to be evaluated by SEAC for recommendation of grant EC by SEIAA instead of DEAC/DEIAA.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. आवेदक – मेसर्स केशरवानी ब्रिक्स (प्रो.– श्री विनय केशरवानी) को ग्राम–जमुनाही, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली के खसरा क्रमांक 49/2, 49/3, 49/5, 47/4 एवं 63/6 में स्थित मिट्टी (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.3 हेक्टेयर, क्षमता–1,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/11/2026 को संपन्न 210वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स केशरवानी ब्रिक्स (प्रो.– श्री

विनय केशरवानी), ग्राम–उमरिया, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली के खसरा क्रमांक 49/2, 49/3, 49/5, 47/4 एवं 63/6 में स्थित मिट्टी (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.3 हेक्टेयर, क्षमता–1,000 घनमीटर (ईंट निर्माण इकाई 10,00,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

1. ईंट उत्पादन में उपयोग किये जाने वाले फ्लाई ऐश का स्त्रोत की जानकारी जैसे चालान, ई–बिल एवं अन्य दस्तावेज जो प्रमाणित करे कि फ्लाई ऐश का वास्तव में प्राप्त कर ईंट उत्पादन में निर्धारित मात्रा उपयोग किया जा रहा है।
2. वृक्षारोपण का रख–रखाव निर्धारित योजना के तहत् किया जाना सुनिश्चित करें ताकि सफलतादर 90 प्रतिशत हो।
3. समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

11. मेसर्स सिरखोला क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती चंद्रकांता मिश्रा), ग्राम–सिरखोला, तहसील–भरतपुर, जिला–कोरिया (वर्तमान में जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर) (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2559)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/435453/ 2023, दिनांक 06/07/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सिरखोला, तहसील–भरतपुर, जिला–कोरिया (वर्तमान में जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर) स्थित खसरा क्रमांक 140, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–40,045.2 टन (16,402 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/09/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 486वीं बैठक दिनांक 13/09/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेश कुमार मिश्रा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में पत्थर खदान खसरा क्रमांक 140, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर, क्षमता–16,402 घनमीटर (40,045.2 टन) प्रतिवर्ष हेतु जिला पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरिया द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 10/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात 09/01/2022 तक वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार–

"9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 09/01/2023 तक वैध थी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 118/खनिज/उ.प./2023, एम.सी.बी., दिनांक 13/06/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2018–19	408.00
2019–20	1020.00
2020–21	268.00
2021–22	25.00
2022–23	26.00

समिति का मत है कि वर्ष 2022–23 के उपरांत खदान में उत्खनन का कार्य किया गया है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत घोंटी का दिनांक 10/06/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर उत्खनन हेतु ग्राम पंचायत (ग्राम सभा) घोंटी की कार्यवाही विवरण, दिनांक की प्रति प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला– कोरिया द्वारा अनुमोदित है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित क्वारी प्लान में जावक क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख नहीं है। अतः अनुमोदित रिवाईज्ड क्वारी प्लान के कव्हरिंग लेटर (जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित) की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 118/खनिज/उ.प./2023

एम.सी.बी., दिनांक 13/06/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर में अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 118/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी. दिनांक 13/06/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्रीमती चंद्रकांता मिश्रा के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्ष अर्थात् दिनांक 26/03/2007 से 19/02/2018 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 20/02/2018 से 25/03/2037 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2005/1529, दिनांक 29/09/2005 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान के.एम.एल. से अवलोकन करने पर आवेदित क्षेत्र से वन भूमि की दूरी 620 मीटर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सिरखोला 400 मीटर, स्कूल सिरखोला 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राजमार्ग 39 कि.मी. दूर है। बनास नदी 5 कि.मी., नहर 2 कि.मी. एवं सटदीन नाला 350 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 6,73,198 टन, माईनेबल रिजर्व 4,61,611 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 4,15,450 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,679 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 14 मीटर (7.5 मीटर हिलटॉप एवं 6 मीटर गहराई) है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी/ओव्हरबर्डन की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 12 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	35,014.20	षष्टम	39,093.60
द्वितीय	38,000.00	सप्तम	39,109.20

तृतीय	39,046.80	अष्टम	39,156.00
चतुर्थ	39,062.40	नवम	39,327.60
पंचम	39,078.00	दशम	40,045.20

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित खदान पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण लीज क्षेत्र में 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रस्तावित स्थल के समीप पूर्व से संचालित खदान श्री दुर्गाशंकर मिश्रा (खसरा क्रमांक 121, क्षेत्रफल – 1.3) एवं परियोजना प्रस्तावक (श्रीमती चंद्रकांता मिश्रा) द्वारा शासकीय भूमि में संयुक्त रूप से वृक्षारोपण कार्य किये जाने बाबत् अनुरोध किया गया है।

    समिति का मत है कि वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि में पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का मदवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव (खसरा क्रमांक, क्षेत्रफल) सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र (सतही भूमि) के चारों ओर 7.5 मीटर का कुल क्षेत्रफल 3,679 वर्गमीटर है, जिसमें से कुछ भाग उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:–

    "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

    उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी ज़ोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation

				(in Lakh Rupees)
20	2%	0.4	Following activities at: **Village- Chanti**	
			Pavitra Van Nirman	2.9875
			Total	**2.9875**

17. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, जामुन, करंज, शीशू, बोहर, सीताफल, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 475 नग पौधों के लिए राशि 23,750 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रूपये, खाद के लिए राशि 50,000 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 25,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,38,750 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,60,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् पवित्र वन हेतु ग्राम पंचायत चाँटी के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 136, क्षेत्रफल 0.19 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

18. संचालित खदान राज्यमार्ग से 39 मीटर दूर है। समिति का मत है कि राज्यमार्ग से खदान की न्यूनतम 100 मीटर की दूरी को गैर माईनिंग क्षेत्र रखते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप किए गए वृक्षारोपण (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. वर्ष 2022–23 के उपरांत खदान में उत्खनन का कार्य किया गया है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
4. पत्थर उत्खनन हेतु ग्राम पंचायत (ग्राम सभा) चाँटी की कार्यवाही विवरण, दिनांक की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
5. अनुमोदित रिवाईज्ड क्वारी प्लान के कव्हरिंग लेटर (जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित) की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
6. संचालित खदान राज्यमार्ग से 39 मीटर दूर है। राज्यमार्ग से खदान की न्यूनतम 100 मीटर की दूरी को गैर माईनिंग क्षेत्र रखते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
7. ऊपरी मिट्टी/ओवरबर्डन की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
8. वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि में पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव (खसरा क्रमांक, क्षेत्रफल) सहित प्रस्तुत किया जाए।
9. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण

नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

10. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

11. आवेदित खदान हेतु प्रस्ताव अनुसार राशि का उपयोग करते हुए वृक्षारोपण किया जाएगा। रोपित पौधों का 5 वर्ष तक उचित देखभाल व रख–रखाव करते हुए न्यूनतम 90 प्रतिशत जीवन संरक्षित सुनिश्चित किया जाएगा। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.आर. प्रयोजन की राशि का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करते हुए माननीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए प्रयोजन में ही खर्च किये जाने बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

13. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

14. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

15. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संधारण किये जाने बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

20. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जायेगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

21. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी दिनांक 01/08/2024 को प्रस्तुत किया गया है। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के एजेण्डा पत्र दिनांक 28/02/2025 के माध्यम से 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

(ब) समिति की 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेश कुमार मिश्रा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:—

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन के संबंध में एकीकृत कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में आवेदन किया गया है, जो कि अप्राप्त है। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 में क्षमता विस्तार के प्रकरणों हेतु सी.सी.आर. की आवश्यकता के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। समिति द्वारा पाया गया कि आवेदित प्रकरण क्षमता विस्तार का नहीं है। अतः आवेदित प्रकरण हेतु सी.सी.आर. की आवश्यकता नहीं है।

2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप किए गए वृक्षारोपण (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—मनेन्द्रगढ़—चिरमिरी—भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 674/ख.लि.—2/2024—25 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 06/08/2024 अनुसार वर्ष 2022—23 के बाद खदान में किसी भी प्रकार का उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

4. पत्थर उत्खनन हेतु ग्राम पंचायत (ग्राम सभा) चांटी की कार्यवाही विवरण, दिनांक 09/03/2011 की प्रति प्रस्तुत किया गया है।

5. मॉडिफाईड क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोज़र प्लान विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला—मनेन्द्रगढ़—चिरमिरी—भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 483/ खनिज/उत्ख.यो.अनु/2024—25 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 05/07/2024 द्वारा अनुमोदित है।

6. संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 3,65,070 टन, माईनेबल रिजर्व 1,39,223 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,25,301 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2031.88 वर्गमीटर है। खदान की संभावित आयु 05 वर्ष है। राज्यमार्ग से खदान की

न्यूनतम 100 मीटर की दूरी हेतु 6495.82 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	16,928.61
द्वितीय	40,045.20
तृतीय	24,069.91
चतुर्थ	12,721.13
पंचम	12,721.13

7. ऊपरी मिट्टी/ओव्हरबर्डन की मात्रा 1,357.54 घनमीटर है, जिसे 7.5 मीटर की परिधि में भण्डारित किया जाना प्रस्तावित है।

8. लीज क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी के स्थान पर ग्राम पंचायत द्वारा सहमति प्राप्त भूमि (0.37 हेक्टेयर) पर 925 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार वृक्षारोपण के लिए राशि 92,000 रुपये, खाद के लिए राशि 15,000 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 15,000 रुपये, फेंसिंग तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,50,000 रुपये तथा अन्य कार्य के लिए राशि 1,11,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,83,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 4,94,800 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

9. आवेदित खदान हेतु प्रस्ताव अनुसार राशि का उपयोग करते हुए वृक्षारोपण किया जाएगा। रोपित पौधों का 5 वर्ष तक उचित देखभाल व रख–रखाव करते हुए न्यूनतम 90 प्रतिशत जीवन संरक्षित सुनिश्चित किया जाएगा। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.आर. प्रयोजन की राशि का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करते हुए माननीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए प्रयोजन में ही खर्च किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिल्लरों द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

18. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था :–

1. आवेदित क्षेत्र से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य तथा घोषित जैव विविधता क्षेत्र की दूरी बाबत् जानकारी, संबंधित वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये गये उत्खनित क्षेत्र का पुनर्भराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल के निर्गमित मार्ग में डिजिटल वॉटर फ्लो मीटर स्थापित कर लॉग बुक को मेन्टेन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 26/06/2025 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 667वीं बैठक दिनांक 23/07/2025:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (सा.) मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल जिला–मनेन्द्रगढ़, के ज्ञापन क्र./त.अ./2025/1291 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 20/03/2025 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 250 मीटर से अधिक दूर है, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य 10 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है। आवेदित क्षेत्र की सीमा से 1 कि.मी. की दूरी पर रिजर्व फॉरेस्ट/प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट स्थित नहीं है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आवेदित क्षेत्र की सीमा से घोषित जैव विविधता क्षेत्र की दूरी 06 कि.मी. है।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये गये उत्खनित क्षेत्र का पुनर्भराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार कुल 2247.5 वर्गमीटर 4 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। उक्त

उत्खनित क्षेत्र के पुर्नभरण हेतु बोल्डर 5618.75 घनमीटर, ओवर बर्डन 2247.20 घनमीटर तथा ऊपरी मिट्टी 1123.76 घनमीटर की आवश्यकता होगी। रेस्टोरेशन हेतु अनुमानित लागत राशि रूपये 3,56,000/- होगी।

3. जल के निर्गमित मार्ग में डिजिटल वॉटर फ्लो मीटर स्थापित कर लॉग बुक को मेन्टेन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

4. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 118/खनि0/उ.प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 13/06/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है तथा आवेदित खदान का क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर है, जो कि 5 हेक्टेयर से कम है। माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

   a) Form-1M be made more comprehensive for areas of 0 to 5 ha by dispensing with the requirement for Public Consultation to be evaluated by SEAC for recommendation of grant EC by SEIAA instead of DEAC/DEIAA.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. आवेदक - मेसर्स सिरखोला क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.- श्रीमती चंद्रकांता मिश्रा) को ग्राम-सिरखोला, तहसील-भरतपुर, जिला-कोरिया (वर्तमान में जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर) के खसरा क्रमांक 140 में स्थित पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-2 हेक्टेयर, क्षमता-40,045 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/11/2025 को संपन्न 210वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि-

1. समिति की 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 के बिन्दु क्रमांक 2 में "जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप किए गए वृक्षारोपण (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।" का उल्लेख है। उक्त से यह स्पष्ट नहीं है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्धारित शर्तानुसार कितने नग वृक्षारोपण किये गये है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये गये उत्खनित क्षेत्र का पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार कुल 2247.5 वर्गमीटर 4 मीटर की गहराई तक उत्खनित है।

उपरोक्त के आधार पर प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी परियोजना प्रस्तावक से मंगाया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित स्थल के समीप पूर्व से संचालित खदान श्री दुर्गाशंकर मिश्रा (खसरा क्रमांक 121, क्षेत्रफल – 1.3) एवं शासकीय भूमि में संयुक्त रूप से वृक्षारोपण कार्य किये जाने बाबत् अनुरोध किया गया है, जो स्वीकार योग्य नहीं है। चूंकि वृक्षारोपण का मुख्य उद्देश्य स्त्रोत में होने वाले धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए है। अतः 7.5 मीटर या लीज क्षेत्र के भीतर वृक्षारोपण किये जाने से उद्देश्य की पूर्ति होती है न कि किसी अन्य क्षेत्र में करने से। अतः परियोजना प्रस्तावक को लीज क्षेत्र के चारों तरफ में उपयुक्त स्थान पर वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।
3. उक्त उत्खनित क्षेत्र को स्वीकृत योजना के अनुसार पुनर्भरण एवं उस पर वृक्षारोपण का कार्य 01 वर्ष में पूर्ण किया जाए।
4. वृक्षारोपण एवं पुनर्भरण का कार्य निर्धारित अवधि में किया जावे अन्यथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही किया जावेगा, जिसमें खदान बंद करने की कार्यवाही भी की जा सकती है।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार पत्र लेख किया जाए।

12. मेसर्स मरखोही क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री दुर्गाशंकर मिश्रा), ग्राम–मरखोही, तहसील–भरतपुर, जिला–कोरिया (वर्तमान में जिला–मनेंद्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर) (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2656)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/435370/ 2023, दिनांक 06/07/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मरखोही, तहसील–भरतपुर, जिला–कोरिया (वर्तमान में जिला–मनेंद्रगढ़–चिरमिरी –भरतपुर) स्थित खसरा क्रमांक 121, कुल क्षेत्रफल–1.3 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–23,314.2 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/09/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 486वीं बैठक दिनांक 13/09/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेश कुमार मिश्रा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:—

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:—**

   i. पूर्व में पत्थर खदान खसरा क्रमांक 121, कुल क्षेत्रफल—1.3 हेक्टेयर, क्षमता—8,987 घनमीटर (23,314.2 टन) प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला—कोरिया द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 10/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् 09/01/2022 तक वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:—

   "9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 09/01/2023 तक वैध थी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—मनेन्द्रगढ़—चिरमिरी—भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 117/खनिज/उ.प./2023, एम.सी.बी. दिनांक 13/06/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:—

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2018—19	478
2019—20	712
2020—21	451
2021—22	30
2022—23	25

   समिति का मत है कि वर्ष 2022—23 के उपरांत खदान में उत्खनन का कार्य किया गया है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** — उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत जनुवा का दिनांक 10/06/2023 का अनापत्ति प्रमाण

पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर उत्खनन एवं क्रशर के संचालन हेतु ग्राम पंचायत (ग्राम सभा) अनुशंसा की कार्यवाही विवरण, दिनांक की प्रति प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया द्वारा अनुमोदित है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित क्वारी प्लान में जावक क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख नहीं है। अतः अनुमोदित रिवाईज्ड क्वारी प्लान के कव्हरिंग लेटर (जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित) की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 116/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 13/06/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 116/खनिज/उ.प./2023, एम.सी.बी. दिनांक 13/06/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री दुर्गा शंकर मिश्रा के नाम पर है। लीज डीड 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 20/02/2013 से 19/02/218 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 25 वर्षों अर्थात् दिनांक 20/02/2018 से 19/02/2043 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़ के पृ. ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2005/491 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 17/03/2005 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मरखोही 1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–मरखोही 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। बनास नदी 3.5 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 4,87,879 टन, माईनेबल रिजर्व 3,64,818 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 3,28,336 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,778 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर (6 मीटर डिस्ऑईल्ड एवं

सतह से 6 मीटर गहराई) है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी/ओवरबर्डन की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 15 वर्ष से अधिक है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है जिसका क्षेत्रफल 943 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	12,776.4	षष्टम	16,380.0
द्वितीय	13,501.8	सप्तम	17,791.8
तृतीय	14,040.0	अष्टम	20,553.0
चतुर्थ	14,898.0	नवम	21,309.6
पंचम	15,600.0	दशम	23,314.2

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित खदान पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण लीज क्षेत्र में 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रस्तावित स्थल के समीप पूर्व से संचालित खदान श्रीमती चंद्रकांता मिश्रा (खसरा क्रमांक 140, क्षेत्रफल–2) एवं परियोजना प्रस्तावक (श्री दुर्गाशंकर मिश्रा) द्वारा शासकीय भूमि में संयुक्त रूप से वृक्षारोपण कार्य किये जाने बाबत् अनुरोध किया गया है।

समिति का मत है कि वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि में 950 नग पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव (खसरा क्रमांक, क्षेत्रफल) सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर का कुल क्षेत्रफल 3,776 वर्गमीटर है, जिसमें से सतही भूमि से 333 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। समिति द्वारा पाया गया कि उक्त का उल्लेख अनुमोदित खदानी प्लान में नहीं किया गया है। अतः लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में किये गये उत्खनित क्षेत्र का उल्लेख करते हुये अद्यतन स्थिति में रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित खदानी प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनर्भराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to

arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किये गये परियोजना के लागत में क्रशर स्थापना की राशि सम्मिलित नहीं है। अतः समिति का मत है कि परियोजना लागत का ब्रेकअप किया जाना आवश्यक है। साथ ही परियोजना लागत अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप किए गए वृक्षारोपण (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. वर्ष 2022–23 के उपरांत खदान में उत्खनन का कार्य किया गया है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
4. पत्थर उत्खनन एवं क्रशर के संचालन हेतु ग्राम पंचायत (ग्राम सभा) जनुवा की कार्यवाही विवरण, दिनांक की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
5. अनुमोदित रिवाईज्ड क्वारी प्लान के कव्हरिंग लेटर (जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित) की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
6. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में किये गये उत्खनित क्षेत्र का उल्लेख करते हुये अद्यतन स्थिति में रिजर्व की गणना संशोधित अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत किया जाए।
7. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में किये गये उत्खनित क्षेत्र का पुनर्भराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाए।
8. खदान से महत्वपूर्ण संरचना जैसे–अस्पताल, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्यमार्ग आदि की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
9. ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
10. वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि में 950 नग पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव (खसरा क्रमांक, क्षेत्रफल) सहित प्रस्तुत किया जाए।
11. परियोजना लागत का ब्रेकअप किया जाए। साथ ही परियोजना लागत अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव किया जाए।

12. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

13. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

14. आवेदित खदान हेतु प्रस्ताव अनुसार राशि का उपयोग करते हुए वृक्षारोपण किया जाएगा। रोपित पौधों का 5 वर्ष तक उचित देखभाल व रख–रखाव करते हुए न्यूनतम 90 प्रतिशत जीवन संरक्षित सुनिश्चित किया जाएगा। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

15. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.आर. प्रोजेक्ट की राशि का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करते हुए माननीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए प्रपोजल में ही खर्च किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

16. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

17. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

18. परियोजना के भिन्न–भिन्न स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् आरसीसी पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन

और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

23. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

24. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा चाहीगई जानकारीनुसार जानकारी दिनांक 01/08/2024 एवं 05/03/2025 को प्रस्तुत किया गया है। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के एजेण्डा पत्र दिनांक 28/02/2025 के माध्यम से 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

(ब) समिति की 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेश कुमार मिश्रा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन के संबंध में एकीकृत कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में आवेदन किया गया है, जो कि अप्राप्त है। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 में क्षमता विस्तार के प्रकरणों हेतु सी.सी.आर. की आवश्यकता के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। समिति द्वारा पाया गया कि आवेदित प्रकरण क्षमता विस्तार का नहीं है। अतः आवेदित प्रकरण हेतु सी.सी.आर. की आवश्यकता नहीं है।

2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप किए गए वृक्षारोपण (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 676/खा.लि.–2/2024–25 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 06/08/2024 अनुसार वर्ष 2022–23 के बाद खदान में किसी भी प्रकार का उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

4. पत्थर उत्खनन एवं क्रशर के संचालन हेतु ग्राम पंचायत (ग्राम सभा) जनुवा की कार्यवाही विवरण, दिनांक 27/11/2009 की प्रति प्रस्तुत किया गया है।

5. अनुमोदित रिवाईज्ड क्वारी प्लान खनि अधिकारी, जिला– कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1720/खनिज/खलि2/2016 कोरिया, बैकुण्ठपुर दिनांक 09/11/2016 द्वारा अनुमोदित है।

6. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी के उत्तर पूर्वी दिशा में उत्खनित क्षेत्र रकबा 333 वर्गमीटर पूर्व से था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक

द्वारा उक्त उत्खनित क्षेत्र का पुनर्भरण कर लिया गया है। अतः रिजर्व की गणना में संशोधन की आवश्यकता नहीं होना बताया गया है।

7. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में किये गये उत्खनित क्षेत्र का पुनर्भराव कर लिया गया है। अतः रेस्टोरेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

8. निकटतम आबादी ग्राम–मरखोही 1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–हरचोका 12 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राजमार्ग 16 कि.मी. दूर है। बनास नदी 3 कि.मी. दूर स्थित है।

9. ऊपरी मिट्टी की मात्रा 2,967.5 घनमीटर है जिसे लीज क्षेत्र 7.5 सीमा पट्टी में भण्डारित किया जाएगा।

10. लीज क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी के स्थान पर ग्राम पंचायत द्वारा सहमति प्राप्त भूमि (0.38 हेक्टेयर) पर 950 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार वृक्षारोपण के लिए राशि 95,000 रूपये, खाद के लिए राशि 15,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 15,000 रूपये, फेंसिंग तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,50,000 रूपये तथा अन्य खर्च के लिए राशि 1,11,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,86,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 4,96,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

11. परियोजना की कुल लागत का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही परियोजना लागत अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)**	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
20	2%	0.40	Following activities at, **Village-Markhohi**	
			Pavitra van Nirman	7.495
			Total	**7.495**

सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम–मरखोही के शासकीय भूमि में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 525 नग पौधों के लिए राशि 52,500 रूपये, खाद के लिए राशि 20,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 15,000 रूपये, फेंसिंग तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 75,000 रूपये तथा अन्य खर्च के लिए राशि 1,08,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,70,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 4,79,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत जमुवा (आश्रित ग्राम मरखोही) के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 122, क्षेत्रफल 0.21 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

12. आवेदित खदान हेतु प्रस्ताव अनुसार राशि का उपयोग करते हुए वृक्षारोपण किया जाएगा। रोपित पौधों का 5 वर्ष तक उचित देखभाल व रख–रखाव करते हुए

न्यूनतम 90 प्रतिशत जीवन संरक्षित सुनिश्चित किया जाएगा। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.आर. प्रपोजल की राशि का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करते हुए माननीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए प्रपोजल में ही खर्च किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

14. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

15. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

16. परियोजना से भिन्न–भिन्न स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिल्लरों द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

21. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जायेगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि आवेदित क्षेत्र से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य तथा घोषित जैव विविधता क्षेत्र की दूरी बाबत् जानकारी, संबंधित वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 13/06/2025 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 667वीं बैठक दिनांक 23/07/2025:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (सा.) मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल जिला–मनेन्द्रगढ़ के ज्ञापन क्र./मा.चि./2025/1287 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 20/03/2025 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 250 मीटर से अधिक दूर है, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य 10 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है। आवेदित क्षेत्र की सीमा से 1 कि.मी. की दूरी पर रिजर्व फॉरेस्ट/प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट स्थित नहीं है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आवेदित क्षेत्र की सीमा से घोषित जैव विविधता क्षेत्र की दूरी 06 कि.मी. है।

2. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 116/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 13/06/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है तथा आवेदित खदान का क्षेत्रफल 1.3 हेक्टेयर है, जो कि 5 हेक्टेयर से कम है। माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Form-1M be made more comprehensive for areas of 0 to 5 ha by dispensing with the requirement for Public Consultation to be evaluated by SEAC for recommendation of grant EC by SEIAA instead of DEAC/DEIAA.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. आवेदक – मेसर्स मरखोही क्वारी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री दुर्गाशंकर मिश्रा) को ग्राम–मरखोही, तहसील–भरतपुर, जिला–कोरिया (वर्तमान में जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर) के खसरा क्रमांक 121 में स्थित पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.3 हेक्टेयर, क्षमता–23,314 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिन. 17/11/2025 को संपन्न 210वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया है कि समिति की 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 के बिन्दु क्रमांक 2 में **"जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के अनुरूप किए गए वृक्षारोपण (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।"** का उल्लेख है। **उक्त से यह स्पष्ट नहीं है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्धारित शर्तानुसार कितने नग वृक्षारोपण किये गये है। अतः प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी परियोजना प्रस्तावक से मंगाये जाने का निर्णय लिया गया।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित स्थल के समीप पूर्व से संचालित खदान श्रीमती चंद्रकांता मिश्रा (खसरा क्रमांक 140, क्षेत्रफल–2) एवं शासकीय भूमि में संयुक्त रूप से वृक्षारोपण कार्य किये जाने बाबत् अनुरोध किया गया है, जो स्वीकार योग्य नहीं है। चूंकि वृक्षारोपण का मुख्य उद्देश्य स्त्रोत से होने वाले धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए है। अतः 7.5 मीटर या लीज क्षेत्र के भीतर वृक्षारोपण किये जाने से उद्देश्य की पूर्ति होती है ना कि किसी अन्य क्षेत्र में करने से। अतः परियोजना प्रस्तावक को लीज क्षेत्र के चारों तरफ में उपयुक्त स्थान पर वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर का कुल क्षेत्रफल 3,776 वर्गमीटर है, जिसमें से सतही भूमि से 333 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। उक्त उत्खनित क्षेत्र को स्वीकृत योजना के अनुसार पुनर्भरण एवं उस पर वृक्षारोपण का कार्य 01 वर्ष में पूर्ण किया जाए।

4. वृक्षारोपण एवं पुनर्भरण का कार्य निर्धारित अवधि में किया जावे अन्यथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही किया जावेगा, जिसमें खदान बंद करने की कार्यवाही भी की जा सकती है।

5. वृक्षारोपण का रख–रखाव निर्धारित योजना के तहत् किया जाना सुनिश्चित करें ताकि सफलतादर 80 प्रतिशत हो।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार पत्र लेख किया जाए

13. मैसर्स क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री हरकेश तिवारी), ग्राम–डोमनापारा, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया (वर्तमान में जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी– भरतपुर) (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2156)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 400731/2022, दिनांक 21/09/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 10/10/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 21/10/2022 (तकनीकी खराबी होने के

कारण ऑनलाईन साईट में 17/11/2022 को प्रदर्शित) द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम–डोमनापारा, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया (वर्तमान में जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर) स्थित खसरा क्रमांक – 525, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–17,004 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 442वीं बैठक दिनांक 16/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कृष्ण मुरारी तिवारी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि पूर्व में पत्थर क्रशर (डोलोमाईट साधारण पत्थर) खदान खसरा क्रमांक 525, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर, क्षमता–8,540 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरिया द्वारा दिनांक 24/11/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 23/11/2022 तक की अवधि हेतु वैध थी। इस संबंध में समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

साथ ही समिति द्वारा शिकायत का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त खदान के संबंध में श्री गौरव कुमार गुप्ता, निवासी पुरानी बस्ती वार्ड क्रमांक 17, मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया द्वारा "श्री हरकेश तिवारी द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के अलावा अधिक मात्रा में अवैध उत्खनन परिवहन व शर्तों का उल्लंघन करने बाबत्।" शिकायत दिनांक 19/09/2022 को प्रेषित किया गया है। शिकायत में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:-

1. "पट्टेदार द्वारा क्षेत्र के अलावा पास के शासकीय भूमि पर अवैध ब्लास्टिंग करा कर अवैध उत्खनन कराया जाता है, जबकि अवैध ब्लास्टिंग कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है, पट्टेदार के क्रेशर पर ब्लास्टिंग होल में उपयोग किया जाने वाला कम्प्रेसर एवं बारूद एवं ब्लास्टिंग सामग्री जांच कर प्राप्त की जा सकती है।
2. पट्टेदार द्वारा सीमांकन क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में अवैध खनन किया गया है एवं NGT नियमावली के अनुसार अधिक गहराई में भी खनन का कार्य किया गया है।
3. पट्टेदार द्वारा अवैध खनिज का परिवहन किया जाता है, जिसका ब्यौरा उनके क्रशर के बिजली बिल का मिलान काटी गयी रायल्टी से करने पर प्राप्त किया जा सकता है।
4. पट्टेदार के पास पर्यावरण द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र लगभग दो वर्षों से नहीं है, परन्तु क्रेशर का संचालन लगातार जारी है।
5. CSR मद में प्रतिवर्ष 50,000 रुपये व्यय करने थे जो कि आज दिनांक तक नहीं किया गया है जबकि खदान पिछले 10 वर्षों से स्वीकृत है।
6. मौके जांच पर खदान एवं क्रेशर क्षेत्र में रखे गए खनिज का मिलान दस्तावेज अनुसार नहीं है।

7. पट्टेदार द्वारा जारी की गई रायल्टी से अधिक उत्खनन किया गया है।

8. माइनिंग प्लान के अनुसार उत्खनन कार्य नहीं किया गया है, एवं सीमा से अधिक उत्खनन कर बिक्री किया जा चुका है।

9. पर्यावरण विभाग से प्राप्त सम्मति अनुसार खदान क्षेत्र के परिधि में साढ़े सात (7.5) मीटर की चौड़ी पट्टी छोड़ वृक्षारोपण किया जाना था। जिसे उत्खनन कर बेचा जा चुका है।

10. नियमानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

11. खदान क्षेत्र में श्रमिकों के लिये आवास, पेयजल एवं चिकित्सा इत्यादि की सुविधा नहीं है।

12. नियमानुसार 100 पेड़ प्रतिवर्ष लगवाना था किन्तु एक भी पेड़ नहीं लगवाया गया है।"

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में शिकायत पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं की जाँच संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर से कराये जाने एवं तथ्यात्मक जानकारी/ जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने उपरांत प्रकरण पर आगामी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर को सूचित किया जाए।

2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/01/2023 के माध्यम से शिकायत पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं की जाँच हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर को पत्र प्रेषित किया गया है। साथ ही एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/02/2023 द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को पत्र प्रेषित किया गया है। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 07/12/2023 को जानकारी/तथ्य प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:-

1. शिकायत पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं की जाँच संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर से कराये जाने एवं तथ्यात्मक जानकारी/ जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में माननीय एन.जी.टी. के ओ.ए. क्रमांक 117 ऑफ 2023, दिनांक 12/07/2023 द्वारा पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार E. Action Takes Report में बिन्दु क्रमांक 1 में "The report of the Revenue Department and Mining Department did not find any encroachment and illegal mining beyond the lease area in other two stone quarry's i.e. M/s Krishan Murari Tiwari (Khasra No. 15, area 2.0 Ha Village Hastinapur) and M/s Hrikesh Tiwari (Khasra No.

525, area 1.0 ha. Village, Domnapara)." तथा बिन्दु क्रमांक 4 में "Accordingly, in compliance of Environmental Rules, no further action is required." का उल्लेख है।

2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने हेतु ई-मेल के माध्यम से अनुरोध किया गया है, जिसके परिपेक्ष्य में जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/05/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 533वीं बैठक दिनांक 30/05/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी दिनांक 18/10/2024 एवं 05/03/2025 को प्रस्तुत किया गया है। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के एजेण्डा पत्र दिनांक 28/02/2025 के माध्यम से 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

(द) समिति की 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री हरकेश तिवारी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्शी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

   i. पूर्व में पत्थर क्रशर (डोलोमाईट साधारण पत्थर) खदान खसरा क्रमांक 525, कुल क्षेत्रफल- 1.0 हेक्टेयर, क्षमता- 6,540 घनमीटर (17,004 टन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-कोरिया द्वारा दिनांक 24/11/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से पाँच वर्षों की अवधि हेतु वैध थी।

   भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 23/11/2023 तक वैध थी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स्व–प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला– मनेन्द्रगढ़–चिरमीरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक/03/खनिज/उ.प./2022, मनेन्द्रगढ़–चिरमीरी–भरतपुर, दिनांक 17/10/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017	1,172
2018	680
2019	150
2020	निरंक
2021	57

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत भलौर का दिनांक 16/07/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरमेंटल प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला कार्यालय–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3588/खनिज/ 2017 सूरजपुर, दिनांक 14/11/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–कोरिया–बैकुण्ठपुर के ज्ञापन क्रमांक/438/खनिज/उ.प./2022 कोरिया–बैकुण्ठपुर, दिनांक 25/06/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 01 खदान, कुल क्षेत्रफल–1.0 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला– कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/439/खनिज/उ.प./2022 कोरिया–बैकुण्ठपुर, दिनांक 25/06/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल एवं रेल लाईन आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। स्वीकृत उत्खनिपट्टा के पश्चिमी भाग में लगभग 150 मीटर पर राज्यमार्ग अवस्थित है।

6. **भूमि एवं लीज डीड का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री इन्द्रेश तिवारी के नाम पर है। लीज डीड 05 वर्षों अर्थात् दिनांक 13/12/2012 से 12/12/2017 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 25 वर्षों अर्थात् दिनांक 13/12/2017 से 12/12/2042 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (सा.) वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़ के ज्ञापन क्रमांक /मा.चि./2012/637 मनेन्द्रगढ़, दिनांक

30/05/2012 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र से 1.5 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–डोमनापारा 1.0 कि.मी., स्कूल ग्राम–डोमनापारा 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–सरोला 16 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 160 मीटर एवं राज्यमार्ग 170 मीटर दूर है। हसदेव नदी 3.5 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है। सोनहारी रिजर्व फारेस्ट 3 कि.मी. एवं हसदेव रिजर्व फारेस्ट 4 कि.मी. दूर है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,25,561 टन, माईनेबल रिजर्व 1,60,837 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,52,795 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,900 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 13 मीटर (7 मीटर हिललॉक एवं 6 मीटर गहराई) है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	13,065	षष्ठम	15,990
द्वितीय	13,650	सप्तम	16,263
तृतीय	14,235	अष्टम	16,536
चतुर्थ	14,820	नवम	16,809
पंचम	15,405	दशम	17,004

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत भलौर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 50 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। इस संबंध में समिति का मत है पौधों की संख्या में वृद्धि कर वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रस्तावित पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – 336 वर्गमीटर क्षेत्र 3 मीटर की गहराई तक गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

<table>
<tr><th rowspan="2">Capital Investment (in Lakh Rupees)</th><th rowspan="2">Percentage of Capital Investment to be Spent</th><th rowspan="2">Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)</th><th colspan="2">Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><th>Particulars</th><th>CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><td rowspan="6">15</td><td rowspan="6">2%</td><td rowspan="6">0.30</td><td colspan="2">Following activities at, Govt. Primary School Village- Khutapara</td></tr>
<tr><td>Rain water harvesting</td><td>0.65</td></tr>
<tr><td>Potabal drinking water facility</td><td>0.30</td></tr>
<tr><td>Running water facility for toilet</td><td>0.15</td></tr>
<tr><td>Plantation in school</td><td>0.15</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>1.25</td></tr>
</table>

सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. आवेदित खदान हेतु प्रस्ताव अनुसार राशि का उपयोग करते हुए वृक्षारोपण किया जाएगा। रोपित पौधों का 5 वर्ष तक उचित देखभाल व रख–रखाव करते हुए न्यूनतम 90 प्रतिशत जीवन संरक्षित सुनिश्चित किया जाएगा। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.आर. प्रपोजल की राशि का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करते हुए माननीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए प्रपोजल में ही खर्च किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. परियोजना के जिन–जिन स्थलों से फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संधारण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

26. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. शिकायत पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं की जाँच संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर से कराये जाने एवं तथ्यात्मक जानकारी/ जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. शिकायत पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं की जाँच संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर से कराये जाने एवं तथ्यात्मक जानकारी/ जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। इस संबंध में संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

3. वर्ष 2021 के उपरांत किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।

4. आवेदित क्षेत्र से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य तथा घोषित जैव विविधता क्षेत्र की दूरी बाबत् जानकारी, संबंधित वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

5. ऊपरी मिट्टी/ओव्हरबर्डन की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।

6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्कूल परिसर में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 24/03/2025 एवं 28/03/2025 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 667वीं बैठक दिनांक 23/07/2025:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक/190/खनिज/शिकायत/ 2024–25, मनेन्द्रगढ़, दिनांक 18/03/2025 के प्रेषित जांच प्रतिवेदन अनुसार लीज क्षेत्र के बाहर अवैध पत्थर उत्खनन एवं भण्डारण करना नहीं पाये जाने का उल्लेख है।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण इसी मानसून में करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
3. खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक/633/खनिज/उ.प./ 2025–26, मनेन्द्रगढ़, दिनांक 16/06/2025 के अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्पादन आंकड़ों की जानकारी निम्नानुसार है:–

क्र.	वित्तीय वर्ष	उत्पादन मात्रा (घ.मी. में)
01	2022–23	278.00
02	2023–24	163.00
03	2024–25	00.00

4. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (सा.) मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल जिला–मनेन्द्रगढ़, के ज्ञापन क्र./तक./2025/1153 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 13/03/2025 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 250 मीटर से अधिक दूर है, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य 10 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है। आवेदित क्षेत्र की सीमा से 1 कि.मी. की दूरी पर रिजर्व फॉरेस्ट/प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट स्थित नहीं है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आवेदित क्षेत्र की सीमा से घोषित जैव विविधता क्षेत्र की दूरी 06 कि.मी. है।
5. ऊपरी मिट्टी को 2017–18 एवं 2018–19 में ऊपरी मिट्टी की निकासी किया जाकर 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा में रखा जाकर वृक्षारोपण किया गया है।
6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
18	2%	0.36	Following activities at, Govt. Primary School	

			Village-Khutapara	
			Intalation of Rain water Harvestying	0.65
			Potable Drinking Water Facility	0.30
			Running water facility for toilets	0.15
			Plantation in School & Health Center Permises	0.15
			Total	1.25

सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्रधानपाठक (Head Master) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 800 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 80,000 रूपये, फेंसिंग एवं रख–रखाव के लिए राशि 50,000 रूपये, खाद के लिए राशि 8,000 रूपये, सिंचाई आदि के लिए राशि 1,21,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 2,59,000 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 4,40,000 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

8. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

9. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–कोरिया–बैकुण्ठपुर के ज्ञापन क्रमांक/438/खनिज/उ.प./2022 कोरिया–बैकुण्ठपुर, दिनांक 26/08/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 01 खदान, कुल क्षेत्रफल–1.0 हेक्टेयर है तथा आवेदित खदान का क्षेत्रफल 1.0 हेक्टेयर है, जो कि 5 हेक्टेयर से कम है। माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Form-1M be made more comprehensive for areas of 0 to 5 ha by dispensing with the requirement for Public Consultation to be evaluated by SEAC for recommendation of grant EC by SEIAA instead of DEAC/DEIAA.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. आवेदक – मेसर्स क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री हरकेश तिवारी) का ग्राम–डोमनापारा, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया (वर्तमान में जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर) के खसरा क्रमांक 525 में स्थित पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर, क्षमता–17,004 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/11/2025 को संपन्न 210वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री हरकेश तिवारी) को ग्राम–डोमनापारा, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया (वर्तमान में जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर) के खसरा क्रमांक 525 में स्थित पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर, क्षमता–17,004 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर जियोटैग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

प्राधिकरण के निर्णय के बिन्दु क्रमांक 2 की जानकारी प्राप्त होने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

14. मेसर्स माँ ज्वालामुखी स्टोन क्रशर (प्रो.– श्री कमलेश कुमार गुप्ता), ग्राम–बिलगोली, तहसील–भरतपुर, जिला–कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2545)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 433314 / 2023, दिनांक 30 / 06 / 2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सिंगरौली, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया खसरा क्रमांक 801, कुल क्षेत्रफल–3.9 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–68,679 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17 / 08 / 2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 484वीं बैठक दिनांक 25 / 08 / 2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24 / 06 / 2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 539वीं बैठक दिनांक 28 / 06 / 2024:

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28 / 06 / 2024 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05 / 07 / 2024 के माध्यम से एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉ. बी.पी. नोन्हारे को पद से मुक्त किया जाकर विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को अवगत कराया गया। तदोपरांत छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पत्र दिनांक 16 / 07 / 2024 के माध्यम से उक्त की सूचना सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर को दी गई। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28 / 06 / 2024 का कार्यवाही विवरण पद मुक्त करने की सूचना की अवधि तक अनुमोदन हेतु विचाराधीन था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में प्रस्तुतीकरण के दौरान समस्त दस्तावेज एवं जानकारी प्रस्तुत की गई थी। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 25 / 02 / 2025 को अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के एजेण्डा पत्र दिनांक 28 / 02 / 2025 के माध्यम से 584वीं बैठक दिनांक 05 / 03 / 2025 को रखा गया है।

(स) समिति की 584वीं बैठक दिनांक 05 / 03 / 2025

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दीपक कुमार गुप्ता, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में खदान खसरा क्रमांक 801, कुल क्षेत्रफल–3.9 हेक्टेयर, क्षमता–26,415 घनमीटर (68,679 टन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरिया द्वारा दिनांक

27/09/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2026 तक की अवधि हेतु वैध है।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स्व-प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 98/खनिज/उ.प./2023 एम.बी.सी., दिनांक 02/06/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2018–19	1,360
2019–20	3,428
2020–21	2,618
2021–22	9,389
2022–23	4,155

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर के संबंध में ग्राम पंचायत सिंगरौली का दिनांक 26/05/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्र. 1049/खनिज/स्था./2015/कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 21/08/2015 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 99 ए/खनिज/उ.प./2023 एम.बी.सी., दिनांक 02/06/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 99/खनिज/उ.प./2023 एम.बी.सी., दिनांक 02/06/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में भी सार्वजनिक संरचनाएं जैसे नदी, बांध, मंदिर, मस्जिद, स्कूल, अस्पताल इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज डीड संबंधी विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज मेसर्स श्री ज्वालामुखी स्टोन क्रशर (प्रो.– श्री कमलेश कुमार गुप्ता) के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 20/01/2017 से 19/01/2047 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमंडलाधिकारी, (सा.) मनेन्द्रगढ़ वनमंडल, जिला–मनेन्द्रगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2014/1407 मनेन्द्रगढ़ दिनांक 09/07/2014 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित क्षेत्र

का क्षेत्र की सीमा से 370 मीटर की दूरी पर है। आवेदित स्थल पर पेड़ की संख्या 1 है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–सिमरोली 2 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–हरसोरा 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 5 कि.मी. दूर है। बनास नदी 5 कि.मी. दूर स्थित है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 12,16,800 टन, माईनेबल रिजर्व 10,60,264 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 9,54,228 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,700 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई (हिलटॉक) 6 मीटर है। हिलटॉक होने के कारण ऊपरी मिट्टी नहीं है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 21 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 1,500 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	26,223.60	षष्टम	52,644.80
द्वितीय	37,284.00	सप्तम	56,992.00
तृतीय	39,815.10	अष्टम	61,058.40
चतुर्थ	43,017.00	नवम	65,590.20
पंचम	49,575.50	दशम	68,079.00

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,625 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार वृक्षारोपण के लिए राशि 1,62,500 रूपये, खाद के लिए राशि 85,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 25,000 रूपये, फेंसिंग तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 80,000 रूपये तथा अन्य खर्चे के लिए राशि 25,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,67,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,95,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20	2%	0.40	Following activities at **Village-Singroli**	
			Pavitra van Nirman	4.56
			Total	**4.56**

सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम–सिंगरौली के शासकीय भूमि में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,000 नग पौधों के लिए राशि 1,00,000 रूपये, खाद के लिए राशि 65,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 25,000 रूपये, फेंसिंग तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 75,000 रूपये तथा अन्य खर्च के लिए राशि 25,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,90,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,66,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत सिंगरौली के सहमति उपरांत वृक्षारोपण स्थान (खसरा क्रमांक 781, क्षेत्रफल 4.27 हेक्टेयर में से 0.4 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

16. **परियोजना से संबंधित शपथ पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 80 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, डी.जी.एम.एस. द्वारा कन्ट्रोल ब्लास्टिंग, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, खनिज नियमों के तहत् सीमांकन, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–

1. आवेदित क्षेत्र से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य तथा घोषित जैव विविधता क्षेत्र की दूरी बाबत् जानकारी, संबंधित वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के 594वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 13/06/2025 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 667वीं बैठक दिनांक 23/07/2025:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (सा.) मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल जिला–मनेन्द्रगढ़ के ज्ञापन क्र./त.अ./2025/1298 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 20/03/2025 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 250 मीटर से अधिक दूर है, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण 10 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है। आवेदित क्षेत्र की सीमा से 1 कि.मी. की दूरी पर रिजर्व फॉरेस्ट/प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट स्थित नहीं है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आवेदित क्षेत्र की सीमा से घोषित जैव विविधता क्षेत्र की दूरी 06 कि.मी. है।
2. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के ज्ञापन क्रमांक 99 ए/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 02/06/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है तथा आवेदित खदान का क्षेत्रफल 3.9 हेक्टेयर है, जो कि 5 हेक्टेयर से कम है। माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है–
   a) Form-1M be made more comprehensive for areas of 0 to 5 ha by dispensing with the requirement for Public Consultation to be evaluated by SEAC for recommendation of grant EC by SEIAA instead of DEAC/DEIAA.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. आवेदक – मेसर्स माँ ज्वालामुखी स्टोन क्रशर (प्रो.– श्री कमलेश कुमार गुप्ता) को ग्राम–सिंगरौली, तहसील–भरतपुर, जिला–कोरिया के खसरा क्रमांक 801 में स्थित

पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–3.9 हेक्टेयर, क्षमता–68,879 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/11/2025 को संपन्न 210वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि कार्यालय वनमंडलाधिकारी, (सा.) मनेन्द्रगढ़ वनमंडल, जिला–मनेन्द्रगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2014/1407 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 09/07/2014 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 370 मीटर की दूरी पर है। माननीय एनजीटी द्वारा आरक्षित एवं संरक्षित वनक्षेत्र की सीमा से खदान की दूरी 01 कि.मी. के भीतर नहीं दिये जाने का आदेश है एवं यह भी आदेशित किया गया है कि यदि राज्य शासन चाहे तो स्वयं यह दूरी निर्धारित कर अधिसूचित किया जा सकता है। अतः वर्तमान में राज्य शासन द्वारा अधिसूचित दूरी का आदेश प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण पर पुर्नविचार किया जावेगा।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर जियोटैग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्तानुसार जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने के पश्चात् प्रकरण पर आगामी कार्यवाही किया जावेगा।

15. मेसर्स धनाढोंगरी ब्रिक्स अर्थ क्वारी (प्रो.– श्री कौशल प्रसाद पांडे), ग्राम–धनाढोंगरी, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2641)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तारतम्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाइन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 440206 एवं 18/08/2023 ई.डी.एस. जारी दिनांक – 13/09/2023 जानकारी प्राप्ति दिनांक – 21/10/2023	
खदान का प्रकार	मिट्टी (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	2.152 हेक्टेयर एवं 2,200 घनमीटर प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	891, 892, 893, 894, 911, 915, 918, 919 एवं 920	
भू–स्वामित्व	निजी भूमि खसरा क्रमांक 911, 915 श्रीमती सरला पाण्डे खसरा क्रमांक 891, 893, 919 श्री बंशीलाल पाण्डे खसरा क्रमांक 892, 894, 920, 918 – श्री कोमल प्रसाद पाण्डे (आवेदक) के नाम पर है।	सहमति पत्र प्राप्त
बैठक का विवरण	503वीं बैठक दिनांक 20/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 15/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री बंशीलाल पाण्डे, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	खदान का प्रकार – मिट्टी (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक – 891, 892, 893, 894, 911, 915, 918, 919 एवं 920 क्षेत्रफल – 2.152 हेक्टेयर क्षमता – 2,200 घनमीटर/वर्ष दिनांक – 31/01/2018	डी.ई.आई.ए.ए. जिला–बिलासपुर पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 22/02/2038 तक है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण 250 नग किया गया है।
विगत वर्षो में किये गये उत्खनन	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बिलासपुर द्वारा उत्पादन आंकड़े हेतु जानकारी निम्नानुसार है:– वर्ष 2018–19 में 2,200 घनमीटर वर्ष 2019–20 में 2,083 घनमीटर वर्ष 2020–21 में 2,018 घनमीटर वर्ष 2021–22 में 2,180 घनमीटर वर्ष 2022–23 में 2,198 घनमीटर	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत घनाडोंगरी दिनांक 18/10/2007	ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना

	10 वर्ष हेतु पारित की गई थी।	आवश्यक है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 25/10/2017	
500 मीटर	दिनांक 04/08/2023	अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 04/08/2023	पक्की सड़क – 1.5 कि.मी. आबादी क्षेत्र – 1.5 कि.मी.
लीज डीड	लीज धारक – श्री कोमल प्रसाद पाण्डे अवधि–23/02/2008 से 22/02/2038	
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमंडलाधिकारी, बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर द्वारा जारी दिनांक – 10/10/2023	वन क्षेत्र से दूरी – 15.03 कि.मी. अचानकमार टाईगर रिजर्व – 20.4 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – धनाडोंगरी 1.5 कि.मी. स्कूल ग्राम – धनाडोंगरी 1.5 कि.मी. अस्पताल – सकरी 11 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 3 कि.मी. राज्यमार्ग – 3.50 कि.मी.	मौसमी नाला – 70 मीटर नहर – 250 मीटर तालाब – 2.5 कि.मी. एनीकट – 2.0 कि.मी.
पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट मैनुअल **रिजर्व्स –** जियोलॉजिकल 22,209 घनमीटर माईनेबल 20,302 घनमीटर प्रस्तावित गहराई 1.5 मीटर बेंच की ऊंचाई 0.5 मीटर बेंच की चौड़ाई 0.5 मीटर संभावित आयु 10 वर्ष मिट्टी के साथ उपयोग हेतु फ्लाई ऐश का प्रतिशत – 40% एक लाख ईंट निर्माण हेतु आवश्यक कोयला की मात्रा – 12 टन	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 2,000 घनमीटर द्वितीय 2,100 घनमीटर तृतीय 2,200 घनमीटर चतुर्थ 2,200 घनमीटर पंचम 2,200 घनमीटर षष्ठम 2,095 घनमीटर सप्तम 1,810 घनमीटर अष्टम 1,765 घनमीटर नवम 1,690 घनमीटर दशम 1,550 घनमीटर
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी का क्षेत्रफल – 825 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं।
लीज क्षेत्र के भीतर भट्ठा स्थापित	हाँ, क्षेत्रफल – 3,418 वर्गमीटर फिक्स चिमनी की न्यूनतम ऊंचाई – 33 मीटर	
जल आपूर्ति	मात्रा – 7 घनमीटर स्त्रोत – ग्राम पंचायत	

वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 1 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 300 नग वर्तमान वृक्षारोपण – 250 नग शेष प्रस्तावित वृक्षारोपण – 50 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 1,12,000 रूपये
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान का क्षेत्रफल 2.152 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव (डीपीआर) प्रस्तुत किया जाए।
3. ईंट निर्माण हेतु जिग–जैग तकनीक का उपयोग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. लीज के 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में शेष 50 नग पौधों का निर्देशानुसार वृक्षारोपण कर (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
5. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) किया जाए।
6. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. सी.ई.आर. के तहत तय की गई राशि का उपयोग गांव के द्वारा दी गई भूमि में फेंसिंग कराकर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. ईंट निर्माण हेतु 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. ईंट निर्माण से निकलने वाले रिजेक्ट ब्रिक्स का उपयोग पहुँच मार्ग के रख-रखाव एवं बंड निर्माण में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

13. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं होने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के 503वीं बैठक दिनांक 20/12/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 01/01/2024 एवं दिनांक 05/03/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

समिति की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024:

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 को डॉ. बी. पी. नोन्हारे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05/07/2024 के माध्यम से एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉ. बी.पी. नोन्हारे को पद से मुक्त किया जाकर विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को अवगत कराया गया। तदोपरांत छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पत्र दिनांक 16/07/2024 के माध्यम से उक्त की सूचना सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर को दी गई। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 539वीं बैठक दिनांक 28/06/2024 का कार्यवाही विवरण पद मुक्त करने की सूचना की अवधि तक अनुमोदन हेतु विचाराधीन था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपेक्षानुसार जानकारी दिनांक 01/01/2024 एवं दिनांक 05/03/2025 को प्रस्तुत किया गया है। एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के एजेण्डा पत्र दिनांक 28/02/2025 के माध्यम से 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 को रखा गया है।

समिति की 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री बंशी लाल पांडे, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत धनाडोंगरी का दिनांक 06/10/2023 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment	Percentage of Capital	Amount Required	Amount Proposed & Details for CER Activities

(in Lakh Rupees)	Investment to be Spent	for CER Activities (in Lakh Rupees)	(in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20	2%	0.40	Following activities at Nearby Government Primary School **Village-Chanadongari**	
			Environmental Library Establishment for the School	0.50
			Running Water Facility for Toilet	0.15
			Plantation in School and Community Helth center premises	0.15
			Total	**0.80**

सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के परिसर में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 800 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,600 रूपये, खाद के लिए राशि 1,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 5,000 रूपये तथा रख-रखाव एवं अन्य कार्यों के लिए राशि 6,600 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 15,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में रेन वाटर हारवेस्टिंग का समायोजन करते हुये संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त कार्यों हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. खदान में विद्यमान चिमनी किल्न को 2 वर्ष के भीतर भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक परिवर्तन करवाकर जिग-जैग तकनीक का उपयोग करते हुये ईंट का निर्माण कार्य किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

4. लीज के 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में शेष 50 नग पौधों का निर्देशानुसार वृक्षारोपण कर (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

5. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) किया गया है।

6. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

7. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्यो के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत/स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. ईंट निर्माण हेतु 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. ईंट निर्माण से निकलने वाले रिजेक्ट ब्रिक्स का उपयोग पहुँच मार्ग के रख-रखाव एवं बंड निर्माण में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं होने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. विगत वर्ष 2023-24 के उत्पादन आंकड़े की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का समायोजन करते हुये प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. सी.ई.आर. के तहत् संबंधित संस्थानों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के 584वीं बैठक दिनांक 05/03/2025 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 07/03/2025 एवं 13/06/2025 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 667वीं बैठक दिनांक 23/07/2025

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक/2586/ख.लि./न.क्र./2025, बिलासपुर, दिनांक 06/03/2025 द्वारा द्वारा उत्पादन आंकड़े हेतु जानकारी निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	उत्पादन (घनमीटर में)
2023-2024	1,620
2024-2025	1,332

2. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का समायोजन करते हुये संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
37	2%	0.74	Following activities	
			Rain Water Harvesting Structure Construction work in Chanadongri Govt. High School	0.60
			Running Water Facility for Toilet in Chanadongri Govt. High School	0.15
			Plantation in Govt. Primary School & Govt. High School	0.15
			Total	**0.90**

3. सी.ई.आर. के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला एवं शासकीय पूर्व मा. शाला के परिसर में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 3,000 रूपये, ट्री–गार्ड के लिए राशि 4,500 रूपये, खाद के लिए राशि 500 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 500 रूपये तथा रख–रखाव एवं अन्य कार्य के लिए राशि 1,500 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 10,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 5,200 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

4. सी.ई.आर. के तहत् उक्त कार्यों हेतु ग्राम पंचायत चनाडोंगरी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

6. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), के ज्ञापन दिनांक 04/08/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है तथा आवेदित खदान का क्षेत्रफल 2.152 हेक्टेयर है, जो कि 5 हेक्टेयर से कम है। माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Form-1M be made more comprehensive for areas of 0 to 5 ha by dispensing with the requirement for Public Consultation to be evaluated by SEAC for recommendation of grant EC by SEIAA instead of DEAC/DEIAA.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. आवेदक – मेसर्स धनाडोंगरी ब्रिक्स अर्थ क्वारी (प्रो.– श्री कोमल प्रसाद पांडे) को ग्राम–धनाडोंगरी, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर के खसरा क्रमांक 891, 892, 893, 894, 911, 915, 918, 919 एवं 920 में स्थित मिट्टी (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.162 हेक्टेयर, क्षमता–2,200 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/11/2025 को संपन्न 210वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स धनाडोंगरी ब्रिक्स अर्थ क्वारी (प्रो.– श्री कोमल प्रसाद पांडे) को ग्राम–धनाडोंगरी, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर के खसरा क्रमांक 891, 892, 893, 894, 911, 915, 918, 919 एवं 920 में स्थित मिट्टी (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.162 हेक्टेयर, क्षमता–2,200 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

2. ईंट उत्पादन में उपयोग किये जाने वाले फ्लाई ऐश का स्त्रोत की जानकारी जैसे चालान, ई–बिल एवं अन्य दस्तावेज जो प्रमाणित करे कि फ्लाई ऐश का वास्तव में प्राप्त कर ईंट उत्पादन में निर्धारित मात्रा उपयोग किया जा रहा है।

3. वृक्षारोपण का रख–रखाव निर्धारित योजना के तहत् किया जाना सुनिश्चित करें ताकि सफलतादर 80 प्रतिशत हो।

4. प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि माईनिंग प्लान अनुसार 40 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाने का उल्लेख है, जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा 50 प्रतिशत उपयोग किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। ब्रिक्स बनाने हेतु मिट्टी के साथ फ्लाई ऐश की मात्रा 40 प्रतिशत या 50 प्रतिशत उपयोग किया जाएगा यह स्पष्ट नहीं है। अतः कितना प्रतिशत फ्लाई ऐश उपयोग किया जाएगा इस संबंध में जानकारी शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाए।

5. समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

प्राधिकरण के निर्णय के बिन्दु क्रमांक 2 एवं 4 की जानकारी प्राप्त होने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

17. मेसर्स कुडेली ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी प्लांट (प्रो.—श्रीमती प्रेमवती साहू), ग्राम—कुडेली, तहसील—बैकुण्ठपुर, जिला—कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1863)

ऑनलाईन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 246674/2021, दिनांक 23/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 24/12/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 21/07/2023 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम—कुडेली, तहसील—बैकुण्ठपुर, जिला—कोरिया स्थित खसरा क्रमांक खसरा क्रमांक 744, 760/1, 760/4, 750/1 एवं 750/2, कुल क्षेत्रफल—1.24 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन क्षमता—1,200 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/09/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 489वीं बैठक दिनांक 26/09 /2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मयंक कुमार राठौर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति के समक्ष परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष बताया गया कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/12/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/01/2024 को प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 515वीं बैठक दिनांक 27/02/2024:

समिति द्वारा नस्ती/ अनुरोध पत्र, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर तथा **समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि** परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/05/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 533वीं बैठक दिनांक 30/05/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मयंक कुमार राठौर, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:—**

   i. पूर्व में मिट्टी खसरा क्रमांक 744, 760/1, 760/4, 750/1 एवं 750/2, कुल क्षेत्रफल—1.24 हेक्टेयर, क्षमता—1,200 घनमीटर (8,00,000 नग) प्रतिवर्ष

हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, कोरिया द्वारा दिनांक 17/10/2017 को जारी की गई थी। जिसकी वैधता 5 वर्ष तक थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid.".

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 17/10/2023 तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स्व–प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार 289 नग वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 788/खनिज/उ.प./मिट्टी/2023 कोरिया, दिनांक 09/02/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2018	0.00 (भू–प्रवेश की अनुमति अप्राप्त होने के कारण उत्पादन नहीं किया गया)
2019	670.00
2020	145.00
2021	599.00
2022 दिसम्बर तक	114.00

समिति का मत है कि दिसम्बर 2022 के उपरांत किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कुडेली का दिनांक 04/12/2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3190/खनिज/2017 सूरजपुर, दिनांक 13/09/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 789/खनिज/उ.प./मिट्टी/2023 कोरिया, दिनांक 09/02/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 789/खनिज/उ.प./मिट्टी/2023 कोरिया, दिनांक 09/02/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट एवं बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज श्रीमती प्रेमावती साहू (आवेदक) के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 27/12/2017 से 26/12/2047 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/तक.क./1343 बैकुण्ठपुर, दिनांक 20/03/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित खदान की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी 1 कि.मी. है। आवेदित खदान से निकटतम नेशनल पार्क / अभ्यारण्य की दूरी 10 कि.मी. है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कुडेली 1.2 कि.मी., स्कूल ग्राम–कुडेली 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–कुडेली 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 कि.मी. एवं राजमार्ग 10 कि.मी. दूर है। गोरिदघोसी नदी 5 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 22,320 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 19,548 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 18,570 है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 540 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 1,000 वर्गमीटर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित किया जाएगा। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 25 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 16 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	1,200	षष्ठम	1,200
द्वितीय	1,200	सप्तम	1,200
तृतीय	1,200	अष्टम	1,200
चतुर्थ	1,200	नवम	1,200
पंचम	1,200	दशम	1,200

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.9 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 289 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 1 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
23	2%	0.46	Following activities at **Village-Kudeli**	
			Pavitra Van Nirman	2.98
			Total	**2.98**

15. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बरगद, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 4,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रूपये, खाद के लिए राशि 3,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 48,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 95,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 2,03,800 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत कुडेली के सहमति उपरांत चयनित स्थान (खसरा क्रमांक 1042 क्षेत्रफल 7.04 हेक्टेयर में से 0.5 हेक्टेयर में) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

16. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

17. पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् लीज क्षेत्र के 1 मीटर में प्रपोजल के अनुसार वृक्षारोपण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित राशि का उपयोग प्रस्तावित कार्यों में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. परियोजना के भिन्न–भिन्न स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसकी संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
23. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 / 2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जावेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. भारत सरकार के वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेन्डम में दिए गए बिन्दुवार जानकारी का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. दिसम्बर 2022 के उपरांत किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर को–आर्डिनेट के अनुसार बाउण्ड्री पिल्लर्स लगाये जाए तथा लीज क्षेत्र की सीमा पर तार फेंसिंग का पालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र के चारों ओर 1 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. लीज क्षेत्र के भीतर स्थापित फिक्स्ड चिमनी की ऊंचाई की गणना के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
5. ईंट निर्माण हेतु आवश्यक कोयले के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
6. कोयले का सुरक्षित रखने के लिए शेड का निर्माण करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. विद्यमान चिमनी किल्न को 2 वर्ष के भीतर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 के परिपेक्ष्य में आवश्यक परिवर्तन कर जिग–जैग पद्धति का उपयोग करते हुये ईंट निर्माण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/10/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 17/01/2025 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 667वीं बैठक दिनांक 23/07/2025:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 390/खनिज/उ.प./मिट्टी/2024 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 20/09/2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023 से अगस्त 2024 तक उत्खनन की वास्तविक मात्रा निरंक है।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर को–आर्डिनेट के अनुसार बाउण्ड्री पिल्लर्स लगाये गये है तथा लीज क्षेत्र की सीमा पर तार फेंसिंग का पालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत किया गया है।
3. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में अतिरिक्त 37 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार वृक्षारोपण के लिए राशि 740 रूपये, खाद के लिए राशि 1,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 12,000 रूपये, फेंसिंग तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 41,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 54,740 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,94,000 रूपये हेतु वर्षवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
4. लीज क्षेत्र के भीतर स्थापित फिक्स चिमनी की ऊंचाई की 33 मीटर होना बताया गया है।
5. ईंट निर्माण हेतु आवश्यक कोयले के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार 1 लाख नग ब्रिक्स बनाने में 10 टन कोयले की आवश्यकता होगी।
6. कोयले को सुरक्षित रखने के लिए शेड का निर्माण करने बावत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. विद्यमान चिमनी किल्न को आवश्यक परिवर्तन कर जिग–जैग पद्धति का उपयोग करते हुये ईंट निर्माण किये जाने बावत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
9. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 789/खनिज/उ.प./मिट्टी/2023 कोरिया, दिनांक 09/02/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों की संख्या निरंक है तथा आवेदित खदान का क्षेत्रफल 1.24 हेक्टेयर है, जो कि 5 हेक्टेयर से कम है। माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Form-1M be made more comprehensive for areas of 0 to 5 ha by dispensing with the requirement for Public Consultation to be evaluated

by SEAC for recommendation of grant EC by SEIAA instead of DEAC/DEIAA.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. आवेदक — मेसर्स कुडेली ब्रिक्स अर्थ वर्क्स क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी प्लांट (प्रो.–श्रीमती प्रेमवती साहू) को ग्राम–कुडेली, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया के खसरा क्रमांक 744, 760/1, 760/4, 750/1 एवं 750/2 में स्थित मिट्टी (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.24 हेक्टेयर, क्षमता–1,200 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/11/2025 को संपन्न 210वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक — मेसर्स कुडेली ब्रिक्स अर्थ वर्क्स क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी प्लांट (प्रो.–श्रीमती प्रेमवती साहू) को ग्राम–कुडेली, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया के खसरा क्रमांक 744, 760/1, 760/4, 750/1 एवं 750/2 में स्थित मिट्टी (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.24 हेक्टेयर, क्षमता–1,200 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।
2. ईंट उत्पादन में उपयोग किये जाने वाले फ्लाई ऐश का स्त्रोत की जानकारी जैसे चालान, वे–बिल एवं अन्य दस्तावेज को प्रमाणित करें कि फ्लाई ऐश का वास्तव में प्राप्त कर ईंट उत्पादन में निर्धारित मात्रा उपयोग किया जा रहा है।
3. वृक्षारोपण का रख–रखाव निर्धारित योजना के तहत् किया जाना सुनिश्चित करें ताकि सफलतादर 90 प्रतिशत हो।
4. समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

प्राधिकरण के निर्णय के बिन्दु क्रमांक 2 की जानकारी प्राप्त होने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

17. मेसर्स चिरमिरी क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री अक्षय कुमार चतुर्वेदी), ग्राम–चिरमिरी, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया (वर्तमान में तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर) (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2403)

ऑनलाईन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए/सीजी/एमआईएन/428141/2023, दिनांक 07/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संचालित पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–चिरमिरी, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया (वर्तमान में तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर) स्थित खसरा क्रमांक 137/1, कुल क्षेत्रफल–0.45 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–3,201 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/06/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 469वीं बैठक दिनांक 13/06/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 13/06/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/11/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 496वीं बैठक दिनांक 09/11/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री एन.एस. परमार, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–**

   i. पूर्व में पत्थर खदान खसरा क्रमांक 137/1, कुल क्षेत्रफल–0.48 हेक्टेयर, क्षमता–1,231 घनमीटर (3,201 टन) प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, कोरिया द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 22/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 21/03/2023 तक वैध थी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स्व–प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1413, दिनांक 13/09/2023 द्वारा "Clarification Requested on Requirement of Certified Compliance Report (CCR) in Non-Coal Mining Proposals without Expansion." के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को मार्गदर्शन के लिए पत्र प्रेषित

किया गया था, इस परिप्रेक्ष्य में मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। मार्गदर्शन प्राप्त होने पर तदानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

iii. निर्धारित शर्तानुसार 100 नग वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-एम.सी.बी. के ज्ञापन क्रमांक 19/खनिज/उ.यो.अनु./2023 एम.सी.बी., दिनांक 10/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	माईनिंग प्लान में प्रस्तावित उत्पादन (घनमीटर)	वास्तविक उत्पादन (घनमीटर)
2017–18	969	निरंक
2018–19	1,074	निरंक
2019–20	1,159	200
2020–21	1,168	80
2021–22	1,189	40
2022–23	1,192	निरंक

2. **नगर पालिक निगम का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में नगर पालिक निगम, चिरमिरी का दिनांक 15/10/2010 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक/20/खनिज/उ.यो.अनु./2023 एम.सी.बी., दिनांक 10/04/2023 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–एम.सी.बी. के ज्ञापन क्रमांक 21/खनिज/प.प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 10/04/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–एम.सी.बी. के ज्ञापन क्रमांक 21/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 10/04/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री अक्षय कुमार चतुर्वेदी के नाम पर है। लीज डीड 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 25/06/2012 से 24/06/2017 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 25 वर्षों अर्थात् दिनांक 25/06/2017 से 24/06/2042 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर के ज्ञापन क्रमांक /मा.चि./783 बैकुण्ठपुर, दिनांक

15/04/2010 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र की सीमा से 04 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित खदान से महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी संबंधी जानकारी नहीं दी गई है। समिति का मत है कि खदान से महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 70,200 टन, माईनेबल रिजर्व 29,004 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 26,103 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,826 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर ऊपरी मिट्टी उपलब्ध नहीं है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष से अधिक है। लीज क्षेत्र में क्रेशर स्थापित है जिसका क्षेत्रफल 0.03 हेक्टेयर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,619.4	षष्टम	3,100.5
द्वितीय	2,792.4	सप्तम	3,198
तृतीय	3,014.7	अष्टम	3,201.9
चतुर्थ	3,038.1	नवम	2,542.8
पंचम	3,092.7	दशम	2,472.6

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कम से कम 500 नग वृक्षारोपण कर पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय के विवरण का विस्तृत प्रस्ताव (खसरा क्रमांक, क्षेत्रफल) सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
24	2%	0.48	Following activities at, **Village-Chitjhor**	
			Plantation around village Pond	0.48
			Total	**0.48**

10. सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम–चितझोर के तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण हेतु (नीम, आम, अर्जुन, शीशम आदि) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 2,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 30,000 रुपये, खाद के लिए राशि 3,200 रुपये तथा सिंचाई एवं रख रखाव आदि के लिए राशि 48,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 83,200 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,99,200 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण के तहत् ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल सहित) संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. खदान से महत्वपूर्ण संरचना जैसे– निकटतम आबादी क्षेत्र, ग्राम, स्कूल, अस्पताल, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्यमार्ग आदि की दूरी संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रस्तावित लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कम से कम 500 नग वृक्षारोपण कर पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय के विवरण का विस्तृत प्रस्ताव (खसरा क्रमांक, क्षेत्रफल) सहित प्रस्तुत किया जाए।
3. सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम चितझोर के तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण के तहत् ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल सहित) संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. आवेदित खदान हेतु प्रस्ताव अनुसार राशि का उपयोग करते हुए वृक्षारोपण किया जाएगा। रोपित पौधों का 5 वर्ष तक उचित देखभाल व रख–रखाव करते हुए न्यूनतम 90 प्रतिशत जीवन संरक्षित सुनिश्चित किया जाएगा। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.आर. प्रपोजल की राशि का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करते हुए माननीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए प्रपोजल में ही खर्च किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

7. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

8. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसकी संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

13. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

14. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/01/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 15/03/2024 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 523वीं बैठक दिनांक 08/04/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. खदान से महत्वपूर्ण संरचना जैसे– निकटतम आबादी क्षेत्र 2 कि.मी., स्कूल 2.3 कि.मी., अस्पताल 2.5 कि.मी., राष्ट्रीय राजमार्ग 2.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 7 कि.मी. दूर है।

2. वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रस्तावित लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कम से कम 500 नग पौधों के लिए राशि 10,000 रूपये, ट्री–गार्ड के लिए राशि 40,000 रूपये, खाद के लिए राशि 4,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 48,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,02,000 रूपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 2,00,800 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

3. सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम पिलझोर में एक भी तालाब नहीं होने के कारण शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पौधा रोपण का कार्य किये जाने का उल्लेख है। समिति का मत है कि आपके द्वारा ही पूर्व में ग्राम पिलझोर के तालाब में सी.ई.आर. कार्य प्रस्तावित बताया गया था। वर्तमान में कोई भी तालाब नहीं होना बताया गया है। अतः इस संबंध में स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है। साथ ही शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण किये जाने हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय के विवरण का विस्तृत सहित प्रस्ताव (खसरा क्रमांक, क्षेत्रफल) मंगाया जाना तथा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य की सहमति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. आवेदित खदान हेतु प्रस्ताव अनुसार राशि का उपयोग करते हुए वृक्षारोपण किया जाएगा। रोपित पौधों का 5 वर्ष तक उचित देखभाल व रख–रखाव करते हुए न्यूनतम 80 प्रतिशत जीवन सरंक्षित सुनिश्चित किया जाएगा। इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

5. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.आर. प्रयोजन की राशि का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करते हुए माननीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए प्रयोजन में ही खर्च किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

7. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् मुनारा (बाउण्ड्री पिल्लर्स) द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

13. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा। इस बावत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

14. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में ग्राम चितझोर के तालाब में सी.ई.आर. कार्य प्रस्तावित बताया गया था। वर्तमान में ग्राम चितझोर में कोई भी तालाब नहीं होना बताया गया है। अतः इस संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
2. शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण किये जाने हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय के विवरण का विस्तृत सहित प्रस्ताव (खसरा क्रमांक, क्षेत्रफल) प्रस्तुत किया जाए। साथ ही शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य की सहमति प्रस्तुत किया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.आर. प्रपोजल की राशि का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करते हुए माननीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए प्रपोजल में ही खर्च किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/06/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 11/09/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(द) समिति की 667वीं बैठक दिनांक 23/07/2025:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में सी.ई.आर. के प्रस्ताव में त्रुटिवश ग्राम चितझोर के तालाब का उल्लेख हो गया था। परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि भविष्य में ऐसी त्रुटि नहीं होगी।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का निम्नानुसार संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
24	2%	0.48	Following activities at, Govt. High Sec. School **Village-Chitjhor**	
			Plantation around	2.704

			School Campas	
			Total	2,704

सी.ई.आर. के अंतर्गत "वृक्षारोपण" के तहत् (नीम, आम, अर्जुन, शीशम, कटहल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 2,000 रूपये, ट्रि–गॉड के लिए राशि 20,000 रूपये, खाद के लिए राशि 2,200 रूपये, सिंचाई के लिए 12,000 रूपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 36,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 72,200 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,98,200 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

3. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् प्रथम वर्ष के अन्दर सी.ई.आर. प्रोजेक्ट की राशि का प्रस्तावित कार्य में उपयोग करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

4. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–एम.सी.बी. के ज्ञापन क्रमांक 21/खनिज/उ.प./2023 एम.सी.बी., दिनांक 10/04/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है तथा आवेदित खदान का क्षेत्रफल 0.45 हेक्टेयर है, जो कि 5 हेक्टेयर से कम है। माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Form-1M be made more comprehensive for areas of 0 to 5 ha by dispensing with the requirement for Public Consultation to be evaluated by SEAC for recommendation of grant EC by SEIAA instead of DEAC/DEIAA.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. आवेदक – मेसर्स चिताझोर क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री अक्षय कुमार चतुर्वेदी) को ग्राम–चिताझोर, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया (वर्तमान में तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर) के खसरा क्रमांक 137/1 में स्थित पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–0.45 हेक्टेयर, क्षमता–3,201 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/11/2025 को संपन्न 210वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स चिरझोर ब्लेक स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री अक्षय कुमार चतुर्वेदी) को ग्राम–चिरझोर, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया (वर्तमान में तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर) के खसरा क्रमांक 137/1 में स्थित पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–0.45 हेक्टेयर, क्षमता–3,201 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर जियोटैग (क्मवजंह) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

3. वृक्षारोपण का रख–रखाव निर्धारित योजना के तहत् किया जाना सुनिश्चित करें ताकि सफलतादर 80 प्रतिशत हो।

4. समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में नियमानुसार वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

प्राधिकरण के निर्णय के बिन्दु क्रमांक 2 की जानकारी प्राप्त होने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

18. मेसर्स केतका आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती ममता अग्रवाल), ग्राम–केतका, तहसील व जिला–सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2396)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/427322/2023, दिनांक 27/04/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–केतका, तहसील व जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 1757, कुल क्षेत्रफल–0.68 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–4,761.9 टन (1,831.5 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/05/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 467वीं बैठक दिनांक 24/05/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 24/05/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/ दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/11/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 496वीं बैठक दिनांक 09/11/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अजय कुमार अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–**

   i. पूर्व में साधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 1757, कुल क्षेत्रफल–0.68 हेक्टेयर, क्षमता–4,761.9 टन (1,831.5 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–सूरजपुर द्वारा दिनांक 17/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 03 वर्ष की अवधि तक वैध थी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स्व-प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार 150 नग वृक्षारोपण किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3161/खनिज/2022 सूरजपुर, दिनांक 19/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)	उत्पादन (टन)
01/01/2017 से 31/12/2017	575	1,495
01/01/2018 से 31/12/2018	845	2,197
01/01/2019 से 31/12/2019	1,020	2,652
01/01/2020 से 31/12/2020	1,080	2,808
01/01/2021 से 30/09/2021	निरंक	निरंक
01/01/2022 से 31/12/2022		

उपरोक्त जानकारी से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि पर्यावरणीय स्वीकृति की अवधि समाप्ति दिनांक 16/03/2020 के उपरांत कितनी मात्रा में उत्खनन किया गया है। अतः समिति का मत है कि दिनांक 16/03/2020 से 31/12/2020

तक की अवधि में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत केतका का दिनांक 26/01/2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोज़र प्लान विथ इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 716/खनिज/2016 सूरजपुर, दिनांक 27/02/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3160/खनिज/2022 सूरजपुर, दिनांक 16/09/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3160/खनिज/2022 सूरजपुर, दिनांक 16/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज श्रीमती ममता अग्रवाल के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 08/12/2010 से 07/12/2020 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 08/12/2020 से 07/12/2040 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./10/1078 अम्बिकापुर, दिनांक 09/04/2010 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि गूगल मैप से अवलोकन करने पर आवेदित भूमि से तमोर पिंगला अभ्यारण्य की आकाशीय दूरी 42 कि.मी. है। अतः समिति का मत है कि लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र एवं तमोर पिंगला अभ्यारण्य की दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी एवं उप वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–केतका 1.2 कि.मी., स्कूल ग्राम–केतका 1.95 कि.मी. एवं अस्पताल सूरजपुर 8.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.35 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 22.85 कि.मी. दूर है। रेहर नदी 3.1 कि.मी., मौसमी नाला 2.6 कि.मी., तालाब 1.55 कि.मी. एवं नहर 9.35 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण

नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – क्वारी प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 78,726 टन (30,279 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 33,363 टन (12,832 घनमीटर) एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 30,026 टन (11,548 घनमीटर) है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 68557 टन (26,368 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 23,194 टन (8,920 घनमीटर) एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 20,874 टन (8,028 घनमीटर) शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,655 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 5,275.5 घनमीटर है, जिसमें से 1,101 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए एवं शेष 4,174.5 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की भूमि (खसरा क्रमांक 194/2, क्षेत्रफल 0.14 हेक्टेयर) में भण्डारित कर संरक्षित रखा जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	2,388.8	षष्टम	3,393
द्वितीय	2,472.6	सप्तम	3,541.2
तृतीय	2,670.2	अष्टम	3,900
चतुर्थ	2,827.6	नवम	4,282.2
पंचम	3,118.1	दशम	4,761.9

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 618 नग वृक्षारोपण किया जाना है। वर्तमान में 150 नग वृक्षारोपण किया गया है, शेष 468 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 46,800 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 52,000 रूपये, खाद के लिए राशि 30,900 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,05,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,34,700 रूपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 8,23,600 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,655 वर्गमीटर है, जिसमें से 169 वर्गमीटर भाग 2 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है। समिति का मत है कि प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक

है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनर्भराव किये जाने हेतु विस्तृत रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में 317 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है। समिति का मत है कि उक्त गैर माईनिंग क्षेत्र रखे जाने बाबत् स्पष्टीकरण/जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
13.68	2%	0.27	Following activities at, **Village- Ketka**	
			Plantation around village Pond	0.50
			Total	**0.50**

18. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर (आम की विभिन्न प्रजातियों, कटहल एवं जामुन) 25 नग वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 2,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 3,750 रूपये, खाद के लिए राशि 1,250 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 6,500 रूपये, अन्य कार्यों हेतु 5,000 इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 19,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 31,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत केतका से सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 1424, क्षेत्रफल 0.48 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर सेफ्टी जोन में 1 मीटर की ऊँचाई तक भण्डारित किये जाने, शेष ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर में भंडारित किये जाने। इस प्रकार भण्डारित ऊपरी मिट्टी का किसी भी

प्रकार का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने, इस मिट्टी का उपयोग पुनभराव हेतु किये जाने तथा निरीक्षणकर्ता / अधिकारी को उनके निरीक्षण / भ्रमण के दौरान निरीक्षण कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान में पत्थर उत्खनन हेतु कम तीव्रता युक्त वैज्ञानिक विधि से नियंत्रित मापदण्डों के अनुसार डी.जी.एम.एस. अधिकृत एवं पंजीकृत ब्लास्टिंग विशेषज्ञ के द्वारा ही ब्लास्टिंग कराया जाएगा।

21. फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जाएगा।हमारे द्वारा खदान के संचालन के दौरान तालाब एवं अन्य निकटतम जल निकायों को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी, एवं प्राकृतिक जल स्रोत, नाला, नदी, तालाब के संरक्षण और संवर्धन हेतु निम्न उपाय किये जावेंगे :–

   i. आवेदित खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है अर्थात किसी भी प्रकार के दूषित जल का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्त्रोत में नहीं किया जावेगा।

   ii. खदान कार्यालय से उत्पन्न घरेलू अपशिष्टों के निपटान के लिए सेप्टिक टैंक और सोख गढ्ढे प्रदान किये जाएंगे।

   iii. सतही जल के संरक्षण के लिए खदान के चारों ओर गारलैंड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक के द्वारा उपचारित करके ही अन्य स्त्रोतों में छोड़ा जावेगा।

   iv. खदान के अंदर वर्षा द्वारा संचित जल को उपचारित करके आवश्यकतानुसार ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जावेगा।

   v. खदान की बाउंड्री के चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जावेगा।

   vi. यथा संभव तालाब के चारों ओर भी सघन वृक्षारोपण किया जावेगा।

प्रस्तुत आवेदन में आवेदित स्थल से तालाब 1.56 कि.मी. तथा नहर 9.35 कि.मी. की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक

दूरियों से अधिक है। अतः खदान संचालन के दौरान उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (i) - (vi) के पालन से तालाब एवं नहर पर प्रभाव को रोका जा सकेगा।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

28. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause Vs. Union Of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को Writ Petition (S) Civil No. 114 /2014 Common Cause Vs. Union Of India & Ors. में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित स्थल से स्कूल 1.95 कि.मी., अस्पताल 6.5 कि. मी. एवं आबादी क्षेत्र 1.2 कि.मी. की दूरी पर है जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 में वर्णित मानक दूरियों से अधिक है। अतः स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा। खनन कार्य से स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में होने वाली जन समस्याओं के निराकरण हेतु निम्न उपाय किये जाएंगे–

   i. खदान की माईन बाउन्ड्री में चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

   ii. धूल (डस्ट) के निराकरण के लिए टैंकर के द्वारा पानी का छिड़काव किया जाएगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य होगा।

   iii. हमारे द्वारा खनिज का परिवहन तारपोलिन से ढककर किया जावेगा, जिससे रास्ते में वाहन से खनिज ना गिरे।

   iv. हमारे द्वारा वाहनों का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जावेगा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में परिवहन का प्रभाव नगण्य होगा।

   v. हमारे द्वारा स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में कैम्प लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जावेगा।

   vi. हमारे द्वारा स्कूल में परियोजना लागत 2 प्रतिशत सी.ई.आर. के तहत कार्य किया जावेगा।

   vii. सड़कों का उचित रखरखाव एवं धूल आदि से सुरक्षा हेतु नियमित जल छिड़काव किया जावेगा, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में धूल का प्रभाव नगण्य होगा।

   viii. धूल एवं ब्लास्टिंग आदि से होने वाले प्रभावों के लिए डी.जी.एम.एस. से रजिस्टर्ड ब्लास्टर्स द्वारा नियमानुसार कम तीव्रता वाले नियंत्रित विस्फोट की

तकनीक अपनाकर कम किया जायेगा, जिससे ब्लास्टिंग के कारण आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल पर पड़ने वाला प्रभाव नगण्य होगा।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण कर लेने के उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर जियोटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी पर्यावरण स्वीकृति हेतु जमा किये जाने वाले अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित कर प्रस्तुत किया जाएगा।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि हमारे द्वारा उत्खनन हेतु आवेदित भूमि के भूमि स्वामियों के भूमि से संबंधित समस्त हितों की रक्षा, भारत सरकार के समस्त नियमों के अंतर्गत पालन की जिम्मेदारी हमारी होगी।

33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि मेरे द्वारा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देशों का बिन्दुवार पालन किया जायेगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. दिनांक 16/03/2020 से 31/12/2020 तक की अवधि में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।

2. लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र एवं तमोर पिंगला अभ्यारण्य की दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी एवं उप वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

3. उत्खनित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पुनर्भराव प्लान (Restoration plan) प्रस्तुत किया जाए।

4. अनुमोदित क्वारी प्लान में उल्लेखित लीज क्षेत्र में 317 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखे जाने बाबत् स्पष्टीकरण/जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 के तहत् परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु संबंधित नस्ती को इस कार्यालय में अविलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

6. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

7. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर को एवं पर्यावरण को

क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/01/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 12/12/2024 के माध्यम से जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ख) समिति की 667वीं बैठक दिनांक 23/07/2025:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक/1466/खनिज/उ.प./2023-24 सूरजपुर, दिनांक 22/02/2024 के अनुसार दिनांक 16/03/2020 से 31/12/2020 तक की अवधि में किए गए उल्लंघन की वास्तविक मात्रा की जानकारी निरंक है।
2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्र./मा.चि./7771 सूरजपुर, दिनांक 14/11/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 250 मीटर दूर है एवं तमोर पिंगला अभ्यारण्य की दूरी 80 कि.मी. है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र की 7.5 मीटर की बाउड्री के खुदे हुये 169 वर्गमीटर क्षेत्रफल के 2 मीटर गहरे गड्ढे को 400 घनमीटर मुरूम व खराब पत्थर के द्वारा बैकफील किया जाएगा, जिसके पुनर्भरण हेतु अनुमानित कुल लागत राशि रूपये 33,750/- होगी।
4. अनुमोदित क्वारी प्लान में उल्लेखित लीज क्षेत्र में 317 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र को ऑफिस, अस्थाई स्टोरेज एवं लेबर रूम हेतु उपयोग किया जाएगा। उक्त हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28/04/2023 को जारी ऑफिस मेमोरेण्डम में दिये गये निर्देश का बिन्दुवार पालन किये जाने बाबत् जानकारी एवं शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
6. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
7. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3100/खनिज/2022 सूरजपुर, दिनांक 16/09/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है तथा आवेदित खदान का क्षेत्रफल 0.68 हेक्टेयर है, जो कि 5 हेक्टेयर से कम है। माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल

एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2016 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Form-1M be made more comprehensive for areas of 0 to 5 ha by dispensing with the requirement for Public Consultation to be evaluated by SEAC for recommendation of grant EC by SEIAA instead of DEAC/DEIAA.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. आवेदक – मेसर्स केलका आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती ममता अग्रवाल) को ग्राम–केलका, तहसील व जिला–सूरजपुर के खसरा क्रमांक 1757 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–0.68 हेक्टेयर, क्षमता–4,761.9 टन (1,831.5 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/11/2025 को संपन्न 210वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया :–

1. पूर्व में डी.ई.आई.ए.ए., जिला–सूरजपुर द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता समाप्त हो चुका है। प्राधिकरण का मत है कि आवेदित खदान को नये खदान के अनुसार पुनः विचार कर प्रस्तुत करें। साथ ही पुनर्भरण का कार्य किया गया है अथवा नहीं? के संबंध में जांच उपरांत अनुशंसा करें।
2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर वनमण्डल जिला–सूरजपुर, के ज्ञापन क्र./मा.चि./7771 सूरजपुर, दिनांक 14/11/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 250 मीटर दूर है। माननीय एनजीटी द्वारा आरक्षित एवं संरक्षित वनक्षेत्र की सीमा से खदान की दूरी 01 कि.मी. के भीतर नहीं दिये जाने का आदेश है एवं यह भी आदेशित किया गया है कि यदि राज्य शासन चाहे तो स्वयं यह दूरी निर्धारित कर अधिसूचित किया जा सकता है। अतः इस बिन्दु का भी परीक्षण करें।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्य के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी.–1, छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी.–1, छत्तीसगढ़ एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

19. मेसर्स बनकोम्बो ब्रिक अर्थ माईन (प्रो.–श्री राकेश कुमार अग्रवाल), ग्राम–बनकोम्बो, तहसील–कुनकुरी, जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2883)

ऑनलाईन आवेदन–प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/आईएनडी/454240/2023, दिनांक 04/12/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन एवं ईंट उत्पादन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बनकोम्बो, तहसील–कुनकुरी, जिला–जशपुर स्थित

खसरा क्रमांक 138/2, 139/1, 139/2, 140 एवं 148 कुल क्षेत्रफल–3.451 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,000 घनमीटर (10 लाख नग) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 17/07/2025 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 667 वीं बैठक दिनांक 23/07/2025:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राकेश कुमार अग्रवाल, प्रोपराईटर एवं आर.क्यू.पी. श्री बी.डी. पाण्डेय उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–**

i. पूर्व में मिट्टी उत्खनन एवं ईंट उत्पादन खदान खसरा क्रमांक 138/2, 139/1, 139/2, 140 एवं 148 कुल क्षेत्रफल–3.451 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–2,000 घनमीटर (10 लाख नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–जशपुर द्वारा दिनांक 15/03/2017 को जारी की गई। पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता लीज अवधि (दिनांक 21/10/2036) तक है।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की स्व–प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन दिनांक 26/07/2025 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है–

क्र.	वर्ष	माईनिंग प्लान में वार्षिक उत्पादन क्षमता (घ.मी. में)	DEIAA द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उत्पादन क्षमता (घ.मी. में)	उत्पादन (घ.मी. में)
1	2017 – 2018	2,000	2,000 (10 लाख नग)	960
2	2018 – 2019	2,000	2,000 (10 लाख नग)	1,629
3	2019 – 2020	2,000	2,000 (10 लाख नग)	92
4	2020 – 2021	2,000	2,000 (10 लाख नग)	336
5	2021 – 2022	2,000	2,000 (10 लाख नग)	310
6	2022 – 2023	2,000	2,000 (10 लाख नग)	1,270
7	2023 – 2024	2,000	2,000 (10 लाख नग)	540
8	2024 – 2025	2,000	2,000 (10 लाख नग)	830

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बनकोम्बो का दिनांक 05/09/2009 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान ऑफ ब्रिक्स अर्थ माईन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप–संचालक (खनिज प्रशासन), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 3983/ख.लि.–2/2016 रायगढ़, दिनांक 09/01/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 717/ख.शा./2023 जशपुर, दिनांक 27/11/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 716/ख.शा./2023 जशपुर, दिनांक 27/12/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। ग्रामीण कच्चा सड़क 135 मीटर की दूरी पर स्थित है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्री राकेश कुमार अग्रवाल के नाम पर है। लीज डीड 05 वर्षों अर्थात् दिनांक 22/10/2009 से 21/10/2014 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 25 वर्षों अर्थात् दिनांक 22/10/2014 से 21/10/2039 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 138/2 एवं 140 श्री चेतन, खसरा क्रमांक 139/1 श्री रूद्रेश्वर यादव, खसरा क्रमांक 148 श्रीमती शोभा अग्रवाल, खसरा क्रमांक 139/2 श्री राकेश अग्रवाल (आवेदक) के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों के सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** –कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल, जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2024/5385 जशपुर, दिनांक 08/10/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार आवेदित भूमि से निकटतम वनक्षेत्र की दूरी 300 मीटर, निकटतम वन्यजीव अभ्यारण की दूरी 25 कि.मी. एवं निकटतम राष्ट्रीय उद्यान की दूरी 250 कि.मी. है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बनकोम्बो 1.0 कि.मी., स्कूल ग्राम–बनकोम्बो 1.2 कि.मी. एवं अस्पताल–कुनकुरी 10.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग–10 कि.मी. एवं राज्यमार्ग–22.65 कि.मी. दूर है। ईब नदी–650 मीटर, नाला–320 मीटर, तालाब–920 मीटर एवं नहर–1.30 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 5 कि. मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – माईनिंग प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 69,020 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 59,853 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 53,867 घनमीटर है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 66,550 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 57,183 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 51,217 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,000 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है।

लीज क्षेत्र के भीतर 1,700 वर्गमीटर क्षेत्र में ईंट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर है। प्रस्तावित ईंट का निर्माण में जिग–जैग (Zig-Zag) पद्धति का उपयोग किया जाएगा। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। प्रति 1,00,000 नग ईंट निर्माण हेतु 10 टन कोयले की आवश्यक होती है। खदान की संभावित आयु 30 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	2,000	षष्टम	2,000
द्वितीय	2,000	सप्तम	2,000
तृतीय	2,000	अष्टम	2,000
चतुर्थ	2,000	नवम	2,000
पंचम	2,000	दशम	2,000

13. **जल आपूर्ति**– परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 08 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** –लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में कुल 497 नग वृक्षारोपण किया जाना है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार वृक्षारोपण एवं रख–रखाव के लिए प्रथम वर्ष हेतु राशि 5,05,945 रूपये तथा आगामी चार वर्षों हेतु राशि 10,28,980 रूपये (कुल राशि 15,34,925 रूपये) का घटकवार विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **खदान की 1 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,030 वर्गमीटर है, जिसमें से पिट क्षेत्र 422 वर्गमीटर, 1 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। खुदी हुई सुरक्षा बाऊंड्री या पिट क्षेत्र को लगभग 844 घनमीटर मिट्टी एवं फ्लाई ऐश से 45 डिग्री स्लोप बनाते हुये बैकफील किया जावेगा, इसके साथ ही बाऊंड्री के स्लोप को मजबूती प्रदान करते हुये 422 घनमीटर पत्थर का उपयोग करके बाऊंड्री स्लोप में 0.50 मीटर मोटा पिचिंग किया जावेगा। पुनःभरण हेतु अनुमानित कुल लागत राशि 1,25,500/– रूपये होगी।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** –लीज क्षेत्र में चिमनी स्थित होने के कारण लीज क्षेत्र के भीतर 1,700 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख खदान प्लान में किया गया है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)

54	2%	1.08	Following activities at Govt. Middle School **Village- Bonkombo**	
			Installation of 1KW Solar System	1.10
			Total	**1.10**

सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

18. पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 के परिपेक्ष्य में लीज क्षेत्र में विद्यमान चिमनी किल्न को आवश्यक परिवर्तन करवा कर जिग–जैग टैक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ईंट निर्माण किया जाएगा। साथ ही जानकारी छ: माह पालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. ईंट भट्ठे को जिगजैग टैक्नोलॉजी के अनुसार आवश्यक परिवर्तन करवाने के पश्चात् ही ईंट बनाने की प्रक्रिया शुरू किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. पर्यावरण स्वीकृति में दी गई शर्तों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. भविष्य में पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त किये बगैर कोई भी उत्खनन कार्य एवं उत्खनन क्षमता से अधिक उत्खनन नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. आवेदित क्षेत्र में स्थित वृक्षों की कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि आवेदित क्षेत्र की उत्खनित भाग को पुन: भरण कर वृक्षारोपण किया जाएगा तथा मान एवं संख्यांकन कर फोटोग्राफ सहित छ: माह पालन प्रतिवेदन के साथ किया जाएगा।

24. आवेदित क्षेत्र के बाहर कोई भी उत्खनन कार्य नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

26. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 717/ख.शा./2023 जशपुर, दिनांक 27/11/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है तथा आवेदित खदान का क्षेत्रफल 3.451 हेक्टेयर है, जो कि 5 हेक्टेयर से कम है। माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन न.

186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Form-1M be made more comprehensive for areas of 0 to 5 ha by dispensing with the requirement for Public Consultation to be evaluated by SEAC for recommendation of grant EC by SEIAA instead of DEAC/DEIAA.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. प्रतिबंधित 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
3. आवेदक – मेसर्स मेसर्स बनकोम्बो ब्रिक अर्थ माईन (प्रो.– श्री राकेश कुमार अग्रवाल) को ग्राम–बनकोम्बो, तहसील–कुनकुरी, जिला–जशपुर के खसरा क्रमांक 138/2,139/1,139/2, 140 एवं 148 में स्थित मिट्टी (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–3.481 हेक्टेयर, क्षमता–2,000 टन (10 लाख नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/11/2025 को संपन्न 210वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधों के नाम का उल्लेख किया जाकर जियोटैग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. वृक्षारोपण का रख–रखाव निर्धारित योजना के तहत् किया जाना सुनिश्चित करें ताकि सफलतादर 90 प्रतिशत हो।
3. रेस्टोरेशन प्लान अनुसार उत्खनित 1 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी को पुनर्भराव कर जियोटैग फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. ईंट उत्पादन में उपयोग किये जाने वाले फ्लाई ऐश का स्त्रोत की जानकारी जैसे चालान, ई–बिल एवं अन्य दस्तावेज जो प्रमाणित करे कि फ्लाई ऐश का वास्तव में प्राप्त कर ईंट उत्पादन में निर्धारित मात्रा उपयोग किया जा रहा है।
5. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल, जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2024/5388 जशपुर, दिनांक 08/10/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार आवेदित भूमि से निकटतम वनक्षेत्र 300 मीटर दूरी पर स्थित है। माननीय एनजीटी द्वारा आरक्षित एवं संरक्षित वनक्षेत्र की सीमा से खदान की दूरी 01 कि.मी. के भीतर नहीं दिये जाने का आदेश है एवं यह भी आदेशित किया गया है कि यदि राज्य शासन चाहे तो स्वयं यह दूरी

निर्धारित वन अधिसूचित किया जा सकता है। अतः वर्तमान में राज्य शासन द्वारा अधिसूचित दूरी का आदेश प्राप्त होने के पश्चात् प्रकरण पर पुनर्विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण पर आगामी कार्यवाही किया जायेगा।

20. **मेसर्स बालेंगा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री मोहन सिंह कश्यप), ग्राम–बालेंगा, तहसील व जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2601)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 438124/2023, दिनांक 26/07/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बालेंगा, तहसील व जिला–बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 1142, 1139, 1141, 1140, 1128/1, 1138/1, 1138/2 एवं 1129, कुल क्षेत्रफल–1.96 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–50,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/09/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 469वीं बैठक दिनांक 26/09/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मोहन सिंह कश्यप, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बालेंगा का दिनांक 29/11/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान विथ स्कीम ऑफ माईनिंग फॉर फस्ट फाईव ईयर एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 485/खनिज/उत्ख.यो./2021–22 दंतेवाड़ा, दिनांक 31/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जगदलपुर, जिला–बस्तर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 345/खनिज/ख.लि. 3/16/2020–21/उ.प. जगदलपुर, दिनांक 22/05/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 2.822 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जगदलपुर, जिला–बस्तर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 1014/खनिज/ख.लि.4/16/2020–21/उ.प./2022 जगदलपुर, दिनांक 23/05/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, मंदिर, पुल, नदी, अस्पताल, स्कूल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. श्री मोहन सिंह कश्यप के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 1369/खनिज/खा.लि.4/16/2020–21/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 14/06/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 3438/खनि 02/उ.प.–अनु.निष्पा./न.क्र.50/2017(3) नवा रायपुर, दिनांक 22/06/2022 द्वारा एल.ओ.आई. में वैधता वृद्धि बाबत् पत्र जारी किया गया है, जिसकी अवधि 1 वर्ष (अर्थात् दिनांक 12/06/2023) हेतु वैध है। तदोपरांत एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 34/2023 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 09/06/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "**उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, यह निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 42(5) परन्तु के तहत् उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला बस्तर को प्रत्यावर्तित किया जाता है।**" होना बताया गया है।

7. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में लीज डीड जारी किया गया है। समिति का मत है कि पूर्व में आवेदित क्षेत्र में कब से कब तक खदान संचालित थी? इस संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 1142 श्री रूपसिंग व स्व. श्रीमती सुखी, खसरा क्रमांक 1138/2 श्री मक्तु व पद्मा, खसरा क्रमांक 1129 श्री लैखन, खसरा क्रमांक 1139 तथा 1141 श्री श्रीनाथ, खसरा क्रमांक 1140 श्री लखेश्वर एवं खसरा क्रमांक 1126/1 व 1138/1 श्री बंधु, पार्वती, गीता, भुमिका एवं लेखिका के नाम पर है। उत्खनन हेतु भू–स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर के ज्ञापन क्र./क.रा.अ./1860 जगदलपुर, दिनांक 12/04/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र से 1 कि.मी. दूर है।

11. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बालेंगा 300 मीटर, स्कूल बस्तर 8.5 कि.मी. एवं अस्पताल बस्तर 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 690 मीटर दूर है। मारकण्डी नदी 1.25 कि.मी. दूर स्थित है।

12. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

13. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 6,67,683 टन एवं माईनेबल रिजर्व 3,70,153 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,013.2 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट

सेमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जायेगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 14.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 8,160 घनमीटर है, जिसमें से 3,478 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा तथा शेष 4,682 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर स्वयं की भूमि (खसरा क्रमांक 1211) में संरक्षित कर भण्डारित किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 16.8 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जायेगा। लीज क्षेत्र में क्रशर प्रस्तावित नहीं है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जायेगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	7,500
द्वितीय	12,500
तृतीय	17,500
चतुर्थ	25,000
पंचम	50,000

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,181 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 88,236 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,80,300 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 1,28,700 रूपये तथा रख–रखाव के लिए राशि 1,56,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 5,53,236 रूपये एवं आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 9,42,744 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत के.एम.एल. फाईल से देखने पर लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में कुछ भाग में उत्खनन कार्य किया गया है। समिति का मत है कि उक्त उत्खनित क्षेत्र का समावेश कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र के पुनर्भराव किये जाने बाबत् रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्टस हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall

be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

18. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
53	2%	1.06	Following activities at, **Village- Balenga**	
			Pavitra Van Nirman	12.60
			Total	**12.60**

19. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (आंवला, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, जामुन, अमलतास, कदम आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 500 नग पौधों के लिए राशि 38,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 42,000 रूपये, खाद के लिए राशि 3,750 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,56,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,39,750 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 9,21,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बालेंगा की सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 1108, क्षेत्रफल 2.21 हेक्टेयर में से 0.2 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–

1. पूर्व में आवंटित क्षेत्र में कब से कब तक खदान संचालित थी? इस संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के उत्खनित क्षेत्र को माईनिंग प्लान में समावेश कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
3. 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनित क्षेत्र के पुनर्भराव हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया जाए।
4. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

6. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

7. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउन्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

12. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of india writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जायेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

13. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 / 2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/12/2023 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/03/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

तद्नुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ई–मेल दिनांक 08/03/2025 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 601वीं बैठक दिनांक 10/03/2025:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मोहन सिंह कश्यप, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जगदलपुर, जिला–बस्तर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 81/खनिज/ख.लि.1/04/2022–23/ज.प. जगदलपुर, दिनांक 18/01/2024 अनुसार पूर्व में आबंटित क्षेत्र के खसरा क्रमांक 1142, रकबा 0.66 हेक्टेयर में श्रीमती संहिता मेराम के नाम पर उत्खननपट्टा दिनांक 21/05/2001 से 20/05/2011 जारी किया गया था।

2. 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के उत्खनित क्षेत्र को माईनिंग प्लान में समावेश कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का पूर्व से उत्खनित है, जिसका उल्लेख क्वारी प्लान विद रिव्यू ऑफ माईनिंग फॉर फर्स्ट फाईव ईयर एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, दिनांक 31/08/2021 द्वारा अनुमोदित किया गया है।

3. 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के पुनर्भराव हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार खोदे गए हिस्से में भरी जाने वाली धूल की मात्रा 4,128.62 घनमीटर है, सुरक्षा अवरोध क्षेत्र को बनाए रखने के लिए अपशिष्ट ओवर बर्डन की आवश्यकता होगी और वृक्षारोपण कार्य के लिए अवरोध क्षेत्र में फैलाने के लिए 860.13 घनमीटर मिट्टी की आवश्यकता होगी, जिसके ऊपर उत्खनित क्षेत्र में लगभग 175 पौधे लगाए जाएंगे। मिट्टी का उपयोग केवल 7.5 मीटर सुरक्षा अवरोध में केवल ऊपरी परत में 1.00 मीटर मोटाई तक वृक्षारोपण के लिए किया जाएगा, न कि पूरे भरने के काम के लिए। लीज क्षेत्र के बाहर मौजूद पुराने गड्ढों के लिए अवरोध में भरने की ढलान को नियमानुसार बनाए रखा जाएगा और मिट्टी के कटाव और ढलान की स्थिरता बनाए रखने के लिए सीडिंग के साथ कॉयर मैटिंग की जाएगी, जिसका कुल लागत लगभग 3,10,000 रुपये होगा।

7.5 मीटर की सीमा पट्टी के पुनर्भराव हेतु रेस्टोरेशन प्लान के उपरांत (पीपल, नीम, आम, बरगद आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 175 नग पौधों के लिए राशि 10,500 रुपये, खाद के लिए राशि 5,000 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 20,000 रुपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 14,500 रुपये हेतु व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
53	2%	1.06	Following activities at **Village- Balenga**	
			Pavitra Van Nirman	13.742
			Total	**13.742**

5. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (पीपल, नीम, आम, बरगद आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 640 नग पौधों के लिए राशि 64,240 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 60,600 रुपये, खाद के लिए राशि 6,000 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रुपये, तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,20,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,70,840 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 10,03,456 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बालेंगा के सहमति उपरांत

प्रस्तावित स्थान (खसरा क्रमांक 1135, क्षेत्रफल 1.22 हेक्टेयर में से 0.40 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

6. समिति द्वारा नोट किया गया कि लीज क्षेत्र के बाहर भी उत्खनन कार्य किया गया है, परंतु परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि लीज क्षेत्र की 7.5 मीटर की सीमा पट्टी एवं बाहर का क्षेत्र पूर्व से उत्खनित है। समिति का मत है कि 7.5 मीटर की सीमा पट्टी एवं बाहर का क्षेत्र में उत्खनन कार्य किनके द्वारा किया गया है एवं उत्खनित क्षेत्र के लिए नियमानुसार कार्यवाही की गई है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से स्पष्टीकरण मांगते हुये पत्र लेख किया जाना आवश्यक है।
7. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. परियोजना से भिन्न–भिन्न स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
9. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
13. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
15. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जायेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
16. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114/2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. प्रस्तुत के.एम.एल. अनुसार 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के बाहर उत्खनन किया जाना पाया गया है। अतः इस संबंध में क्या परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के बाहर उत्खनन किया गया है एवं अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से स्पष्टीकरण मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक को उक्त के संबंध में सूचित किया जाए।
2. लीज क्षेत्र का ड्रोन विडियो (Drone video) प्रस्तुत किया जाए।
3. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी जल एवं वायु स्थापना/संचालन सम्मति की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
4. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
6. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जायेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 / 2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. माईनिंग लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी ज़ोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
9. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी प्राप्त होने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

(स) समिति की 674वीं बैठक दिनांक 06/08/2025:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 1331/खनिज/ख.लि.1/16/2020–21/ज.प. जगदलपुर, दिनांक 19/06/2025 के प्रतिवेदन अनुसार "उक्त प्रस्तावित क्षेत्र का दिनांक 18/06/2025 को निरीक्षण किया गया जिसमें आवेदित क्षेत्र में कृषि भूमि मौजूद

है एवं उत्तर–पश्चिम भाग में पूर्व में उत्खनित गड्ढा स्थित है जो कि कार्यालयीन अभिलेख अनुसार खसरा क्रमांक 1142 रकबा कुल रकबा 0.88 हेक्टेयर में से 0.88 हेक्टेयर निजी भूमि क्षेत्र पर दिनांक 21/05/2001 से 20/05/2011 तक 10 वर्ष हेतु श्रीमती संहिता नेताम जगदलपुर के पक्ष में उत्खनिपट्टा स्वीकृत था जिसकी अवधि वर्तमान में समाप्त हो चुकी है तथा ग्रामवासियों ने बताया कि खदान बंद होने के पश्चात ग्रामीणों द्वारा निजी निर्माण कार्यों हेतु उक्त क्षेत्र से बोल्डर निकालकर उपयोग किया गया है। उक्त खसरा क्रमांक 1142 आवेदक की निजी भूमि है जिसे अन्य खसरों के समाहित कर आवेदक द्वारा नवीन खदान स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।" का उल्लेख है।

2. लीज क्षेत्र का ड्रोन विडियो (Drone video) प्रस्तुत किया गया है।

3. आवेदित खदान को नवीन एल.ओ.आई. जारी की गई है। अतः छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी जल एवं वायु स्थापना/संचालन सम्मति की प्रति की आवश्यकता नहीं है।

4. एस.ई.ए.सी.–3, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 428, दिनांक 20/05/2025 को माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण हुए क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित करने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया गया है। जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।

5. एस.ई.ए.सी.–3, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 428, दिनांक 20/05/2025 प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया गया है। जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।

6. एस.ई.ए.सी.–3, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 430, दिनांक 20/05/2025 प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया गया है। जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।

7. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

9. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन

किया जावेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 / 2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जावेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

12. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ऑरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जगदलपुर, जिला–बस्तर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 345/खनिज/ख.लि.3/16/2020–21/उ.प. जगदलपुर, दिनांक 22/05/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 2.832 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–बालेंगा) का क्षेत्रफल 1.98 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 1331/खनिज/ख.लि.1/16/2020–21/उ.प. जगदलपुर, दिनांक 19/06/2025 को जानकारी प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आगामी 06 माह में कार्यवाही पूर्ण कर एस.ई.ए.सी.–3, छत्तीसगढ़ को अवगत कराने तथा इस शर्त को संचालन सम्मति में जोड़े जाने की शर्त पर पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है। इस संबंध में संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

3. मेसर्स बालेंगा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री मोहन सिंह कश्यप) को ग्राम–बालेंगा, तहसील व जिला–बस्तर के खसरा क्रमांक 1142, 1139, 1141, 1140, 1126/1, 1138/1, 1138/2 एवं 1129 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल

क्षेत्रफल–1.96 हेक्टेयर, क्षमता – 50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/11/2025 को संपन्न 210वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स बालेंगा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो. – श्री मोहन सिंह कश्यप) को ग्राम–बालेंगा, तहसील व जिला–बस्तर के खसरा क्रमांक 1142, 1139, 1141, 1140, 1128/1, 1138/1, 1138/2 एवं 1129 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.96 हेक्टेयर, क्षमता – 50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु निम्न अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–**

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर की सीमा पट्टी के पुनभराव हेतु रेस्टोरेशन प्लान प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार खोदे गए हिस्से में भरी जाने वाली धूल की मात्रा 4,126.62 घनमीटर है, सुरक्षा अवरोध क्षेत्र को बनाए रखने के लिए अपशिष्ट ओवर बर्डन की आवश्यकता होगी और वृक्षारोपण कार्य के लिए अवरोध क्षेत्र में फैलाने के लिए 860.13 घनमीटर मिट्टी की आवश्यकता होगी, जिसके ऊपर पलवानित क्षेत्र में लगभग 175 पौधे लगाए जाएंगे। मिट्टी का उपयोग केवल 7.5 मीटर सुरक्षा अवरोध में केवल ऊपरी परत में 1.00 मीटर मोटाई तक वृक्षारोपण के लिए किया जाएगा, न कि पूरे भरने के काम के लिए। लीज क्षेत्र के बाहर मौजूद पुराने गड्ढों के लिए अवरोध में भरने की ढलान को नियमानुसार बनाए रखा जाएगा और मिट्टी के कटाव और ढलान की स्थिरता बनाए रखने के लिए सीडिंग के साथ कॉयर मैटिंग की जाएगी। रेस्टोरेशन प्लान के अनुसार पुनर्भरण का कार्य एवं वृक्षारोपण (1161 नग) का कार्य 01 वर्ष की अवधि में पूर्ण किया जाए। पुनर्भरण एवं वृक्षारोपण का कार्य निर्धारित अवधि में किया जावे अन्यथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही किया जायेगा, जिसमें खदान बंद करने की कार्यवाही भी सम्मिलित है।
2. समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

21. मेसर्स माँ कुदरगढ़ी स्टोन क्रशर प्राईवेट लिमिटेड (डायरेक्टर–श्री दिनेश कुमार गोयल), ग्राम–विरेन्द्रनगर, तहसील–वाड्रफनगर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2594)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 437308 एवं 21/07/2023	
खदान का प्रकार	साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	2.52 हेक्टेयर एवं 54,926.33 टन प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	693	
भू–स्वामित्व	निजी भूमि श्रीमती निशा सिंह	सहमति पत्र प्राप्त

बैठक का विवरण	500वीं बैठक दिनांक 11/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 06/12/2023
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री शरद कुमार आचार्य, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत विरेन्द्रनगर दिनांक 05/10/2021	उत्खनन एवं क्रशर के संबंध में
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 30/06/2023	
500 मीटर	खनि निरीक्षक, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज द्वारा जारी पत्र दिनांक 30/05/2023 अन्य खदानों की संख्या– निरंक	आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की जानकारी के संबंध में प्रमाण पत्र कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा)जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
200 मीटर	प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।	200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र, संरचनाएं एवं प्रतिबंधित क्षेत्र के संबंध में प्रमाण पत्र कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा)जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – मेसर्स माँ कुदरगढ़ी स्टोन क्रशर प्राईवेट लिमिटेड दिनांक – 04/05/2023 वैधता अवधि – 1 वर्ष	
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर द्वारा जारी दिनांक 31/03/2022	वन क्षेत्र से दूरी – 3 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी– विरेन्द्र नगर 400 मीटर स्कूल– ग्राम–गोंदला 2.8 कि.मी. अस्पताल– सुलसुली 3.6 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग– 43 कि.मी. राज्यमार्ग –4.65 कि.मी.	झरिया नाला – 2 कि.मी. मौसमी नाला– 500 मीटर
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय	

	संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीवतिविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग – हाँ **रिजर्व –** जियोलॉजिकल 3,96,396 टन माईनेबल 2,89,065 टन रिकव्हरेबल 2,74,631 टन प्रस्तावित गहराई 6 मीटर बेंच की ऊंचाई 3 मीटर से 6 मीटर बेंच की चौड़ाई 3 मीटर संभावित आयु 5 वर्ष प्रस्तावित क्रशर – नहीं	**वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन** प्रथम 54,926.33 टन द्वितीय 54,926.33 टन तृतीय 54,926.33 टन चतुर्थ 54,926.33 टन पंचम 54,926.33 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 5,922 वर्गमीटर	उत्खनित – नहीं
गैर माईनिंग	क्षेत्रफल –900 वर्गमीटर क्षेत्र छोड़ने का कारण – 10 मीटर दूर ग्रामीण कच्चा सड़क	माईनिंग प्लान में उल्लेख– हाँ
ऊपरी मिट्टी/ओवार बर्डन प्रबंधन योजना	मोटाई – 0.5 मीटर मात्रा – 9,189 घनमीटर	ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
जल आपूर्ति	मात्रा – 6.49 घनमीटर प्रतिदिन	जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण – 1,500 नग किया जाना है।	लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 2.52 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत की सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण एवं क्षेत्रफल सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की जानकारी के संबंध में प्रमाण पत्र कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र, संरचनाएं एवं प्रतिबंधित क्षेत्र के संबंध में प्रमाण पत्र कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
4. जल की आपूर्ति का माध्यम/स्त्रोत एवं संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
5. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत "पवित्र वन निर्माण" के लिए (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण एवं क्षेत्रफल सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
7. ऊपरी मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भराव में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. परियोजना से भिन्न-भिन्न स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

16. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

17. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/02/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 09/05/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 533वीं बैठक दिनांक 30/05/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. खनि निरीक्षक का दिनांक 30/05/2023 का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक बताई गई है। आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की जानकारी के संबंध में प्रमाण पत्र कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज से जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 226/खनिज/उत्खनि./2024 बलरामपुर, दिनांक 29/02/2024 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध, राज्यमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

3. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण किये जाने हेतु उपयोग किया जाएगा।

4. जल की आपूर्ति भू-जल के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है। इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

5. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,500 नग पौधों के लिए राशि 1,05,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,30,000 रूपये, खाद के लिए राशि 45,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 60,000 रूपये, तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 88,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 4,28,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 6,54,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at, **Village- Virendra Nagar**	
			Pavitra Van Nirman	9.58
			Total	**9.58**

सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,000 नग पौधों के लिए राशि 70,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,30,000 रूपये, खाद के लिए राशि 30,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 60,000 रूपये, तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 88,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,78,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 5,80,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत विरेन्द्र नगर की सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 1278, क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

7. ऊपरी मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भराव में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से म्युनिसिपल वेस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिलरों द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

16. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा। इस बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

17. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की जानकारी के संबंध में प्रमाण पत्र कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/10/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 26/11/2024 के माध्यम से जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 679वीं बैठक दिनांक 19/06/2025:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक/1466/खनिज/उत्खनि./2024 बलरामपुर, दिनांक 25/11/2024 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता दिनांक 03/05/2024 को समाप्त हो गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बावत् न्यायालय संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के

अपील प्रकरण क्रमांक 49/2024 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 28/05/2025 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील प्रकरण स्वीकार करते हुये, यह निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 42(5) के तहत् नियमानुसार प्रकरण में आशय पत्र की शर्तों की पूर्ति हेतु उक्त पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने, उत्खनिपट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला बलरामपुर–रामानुजगंज को प्रत्यावर्तित किया जाता है।"** होना बताया गया है।

3. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

4. खनि निरीक्षक का दिनांक 30/05/2023 का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक बताई गई है तथा आवेदित खदान का क्षेत्रफल 2.52 हेक्टेयर है, जो कि 5 हेक्टेयर से कम है। माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Form-1M be made more comprehensive for areas of 0 to 5 ha by dispensing with the requirement for Public Consutation to be evaluated by SEAC for recommendation of grant EC by SEIAA instead of DEAC/DEIAA.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. आवेदक – मेसर्स माँ कुदरगढ़ी स्टोन क्रशर प्राईवेट लिमिटेड (डायरेक्टर – श्री दिनेश कुमार गोयल) को ग्राम–विश्रामनगर, तहसील–वाड्रफनगर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के खसरा क्रमांक 693 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.52 हेक्टेयर, क्षमता–54,926.33 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/11/2025 को संपन्न 210वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स माँ कुदरगढ़ी स्टोन क्रशर प्राईवेट लिमिटेड (डायरेक्टर – श्री दिनेश कुमार गोयल) को ग्राम–विश्रामनगर, तहसील–वाड्रफनगर, जिला– बलरामपुर–रामानुजगंज के खसरा क्रमांक 693 में स्थित

साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2.52 हेक्टेयर, क्षमता–54,926.33 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

22. मेसर्स गड्डीपलना ग्रेनाईट माईन (प्रो.– श्री विमल लुनिया), ग्राम–गड्डीपलना, तहसील–फरसगांव, जिला–कोंडागांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2525)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 433333/2023, दिनांक 20/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित ग्रेनाईट (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–गड्डीपलना, तहसील–फरसगांव, जिला–कोंडागांव स्थित खसरा क्रमांक 2/53, कुल क्षेत्रफल–1.416 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,764 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान है:–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 483वीं बैठक दिनांक 24/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रामकुमार नाग, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में ग्रेनाईट खदान खसरा क्रमांक 2/53 कुल क्षेत्रफल–3.50 एकड़, क्षमता–1,764 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण

प्राधिकरण, जिला–कोण्डागांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 06/09/2017 को जारी की गई।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है। समिति का मत है कि पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप किए गए वृक्षारोपण (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोण्डागांव के ज्ञापन क्रमांक 112/खनिज/2023–24 कोण्डागांव, दिनांक 23/06/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
01/04/2018 से 31/03/2019	767.316
01/04/2019 से 31/03/2020	944.567
01/04/2020 से 31/03/2021	541.908
01/04/2021 से 31/03/2022	805.564
01/04/2022 से 31/03/2023	1,079.939
01/04/2023 से 31/07/2023	323.843

समिति का मत है कि दिनांक 06/09/2017 से 31/03/2018 तक किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. समिति द्वारा पाया गया कि पूर्व में डी.ई.आई.ए.ए., छ.ग. द्वारा ग्रेनाईट (गौण खनिज) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रेनाईट (मुख्य खनिज) हेतु आवेदन किया गया है। समिति का मत है कि उक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक से स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत गट्टीपलना का दिनांक 17/09/2013 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. **उत्खनन योजना** – रिव्यू ऑफ माईनिंग प्लान विथ प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (खनि.प्रशा.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 1590/एमपीसी/एमपी–04/2014, अटल नगर, दिनांक 30/03/2019 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोण्डागांव के ज्ञापन क्रमांक 113/खनिज/2023–24 कोण्डागांव, दिनांक

23/08/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोण्डागांव के ज्ञापन क्रमांक 114/खनिज/2023–24 कोण्डागांव, दिनांक 23/08/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री विमल लुनिया के नाम पर है। लीज डीड 5 वर्षों अर्थात् दिनांक 20/04/1988 से 22/04/1993 तक की अवधि तक वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 01/01/2014 से 31/12/2033 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है। समिति का मत है कि वर्ष 1993 से 2014 तक की अवधि का लीज का विवरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कोण्डागांव सामान्य वन मण्डल जिला–कोण्डागांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./358 कोण्डागांव दिनांक 23/01/1998 द्वारा जारी पत्र अनुसार यह वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये वनमण्डलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही समिति का यह भी मत है कि लीज क्षेत्र से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य की दूरी का उल्लेख करते हुये उप–संचालक (वन्य प्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी, स्कूल एवं अस्पताल ग्राम–फरसगांव 1.73 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.7 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 24 कि.मी. दूर है। बरसाती नाला 2.23 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,50,925 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 81,700 घनमीटर है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,644 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर तथा कुल मात्रा 1,316 घनमीटर है। लीज क्षेत्र में ओवर बर्डन की मोटाई 0.5 मीटर तथा कुल मात्रा 1,316 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 4 मीटर है। खदान की संभावित आयु 43 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हेमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वाटर

का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	1,764
द्वितीय	1,764
तृतीय	1,764
चतुर्थ	1,764
पंचम	1,764

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। 2 घनमीटर प्रतिदिन भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि शेष आवश्यक जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 729 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 55,404 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,63,400 रूपये, खाद के लिए राशि 5,460 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 2,16,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 4,40,264 रूपये एवं रख–रखाव के लिए आगामी 4 वर्ष तक राशि 8,88,352 रूपये प्रतिवर्ष हेतु व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
32	2%	0.64	Following activities at Nearby, **Village- Gattipalna**	
			Plantation in Muktidham	12.70
			Total	**12.70**

सी.ई.आर. के अंतर्गत मुक्तिधाम में वृक्षारोपण (नीम, पीपल, आम, जामुन, कटहल, कदम, करंज, आंवला, अमलतास आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 400 नग पौधों के लिए राशि 30,400 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 143,300 रूपये, खाद के लिए राशि 3,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रूपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 96,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,92,700 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,77,360 रूपये हेतु पटवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत

गढ़्टीपतना की सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 42/1, क्षेत्रफल 0.250 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप किए गए वृक्षारोपण (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

3. पूर्व में सी.ई.आई.ए.ए., छ.ग. द्वारा ग्रेनाईट (गौण खनिज) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है। वर्तमान में ग्रेनाईट (मुख्य खनिज) हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

4. दिनांक 06/09/2017 से 31/03/2018 तक किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।

5. लीज क्षेत्र वर्ष 1993 से 2014 तक की अवधि का विवरण प्रस्तुत किया जाए।

6. लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये वनमण्डलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

7. लीज क्षेत्र से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य की दूरी का उल्लेख करते हुये उप-संचालक (वन्य प्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

8. ऊपरी मिट्टी एवं ओवर बर्डन प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।

9. जल की आपूर्ति (शेष 3 घनमीटर प्रतिदिन) स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

10. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

14. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की

अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

16. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

17. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जावेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 30/11/2023 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 30/04/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 533वीं बैठक दिनांक 30/05/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की स्व–प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप किए गए वृक्षारोपण (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

3. पूर्व में डी.ई.आई.ए.ए. छ.ग. द्वारा ग्रेनाईट (गौण खनिज) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है। वर्तमान में ग्रेनाईट (मुख्य खनिज) हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि यह एक गौण खनिज खदान है, त्रुटिवश मुख्य खनिज का उल्लेख हो गया है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोण्डागांव के ज्ञापन क्रमांक 142/खनिज/2023–24 कोण्डागांव, दिनांक 08/01/2024 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक 06/09/2017 से 31/03/2018 में किये गये उत्खनन की मात्रा 345.562 घनमीटर है।

5. लीज श्री विमल लुनिया के नाम पर है। लीज डीड वर्ष 1993 से 2014 अवधि तक की प्रति प्रस्तुत की गई है।

6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, केशकाल वनमण्डल, केशकाल, जिला–कोण्डागांव के ज्ञापन क्रमांक 21/मा.चि./अना. 2023–24 केशकाल, दिनांक 02/01/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र की सीमा से 300 मीटर की दूरी पर है।

7. कार्यालय उप वनमण्डलाधिकारी, फरसगांव उप वनमण्डल, वनमण्डल केशकाल, जिला–कोण्डागांव के ज्ञापन क्रमांक 992 फरसगांव, दिनांक 15/12/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार लीज क्षेत्र से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य से 200 कि.मी. की दूरी पर है।

8. ऊपरी मिट्टी एवं ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना प्रस्तुत किये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि यह पूर्व से संचालित ग्रेनाईट खदान है। अतः पूर्व से ही ऊपरी मिट्टी उत्खनित की जा चुकी है, जिसका उपयोग लीज क्षेत्र के चारों ओर वृक्षारोपण में किया गया है। ओव्हर बर्डन का उपयोग सड़कों के रख–रखाव हेतु किया जाता है।

9. शेष 3 घनमीटर प्रतिदिन जल की आपूर्ति भू–जल से की जाएगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

10. फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् कांक्रीट पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

14. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

16. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किया जायेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

17. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर.

एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

19. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोण्डागांव के ज्ञापन क्रमांक 113/खनिज/2023-24 कोण्डागांव, दिनांक 23/08/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–गढ़ीपलना) का क्षेत्रफल 0.303 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. मेसर्स गढ़ीपलना ग्रेनाईट माईन्स (प्रो.– श्री विमल लुनिया) को ग्राम–गढ़ीपलना, तहसील–फरसगांव, जिला–कोण्डागांव के खसरा क्रमांक 2/53 में स्थित ग्रेनाईट (मुख्य खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.416 हेक्टेयर, क्षमता – 1,764 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/09/2024 को संपन्न 181वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि** समिति द्वारा ग्रेनाईट (मुख्य खनिज) खदान के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई है, जबकि समिति की 533वीं बैठक दिनांक 30/06/2024 के कार्यवाही विवरण के बिन्दु क्रमांक 3 में "पूर्व में सी.ई.आई.ए.ए., छ.ग. द्वारा ग्रेनाईट (गौण खनिज) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है। वर्तमान में ग्रेनाईट (मुख्य खनिज) हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि यह एक गौण खनिज खदान है, त्रुटिवश मुख्य खनिज का उल्लेख हो गया है।" का उल्लेख किया गया है। उक्त से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आवेदित प्रकरण मुख्य खनिज या गौण खनिज का है? साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं है कि आवेदित प्रकरण को मुख्य खनिज अथवा गौण खनिज, कौन से खनिज अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाना है। उपरोक्त विसंगतियों के संबंध में **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

तदानुसार एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1232, दिनांक 20/11/2024 के माध्यम से एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया गया है।

(ख) समिति की 667वीं बैठक दिनांक 08/10/2025

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 06/10/2025 को निम्नानुसार जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है:–

1. THE MINES AND MINERALS (DEVELOPMENT AND REGULATION) ACT, 1957 ACT NO. 67 OF 1957 की प्रति प्रस्तुत किया गया है, जिसके चैप्टर 1 के बिन्दु क्रमांक 3(e) के अनुसार ग्रेनाईट खदान गौण खनिज में आता है।
2. आई.बी.एम., भारत सरकार, खान मंत्रालय द्वारा जारी Indian Minerals Year book 2017 (Part – III : Mineral Reviews) 56th Edition में 30 खनिजों को गौण खनिज श्रेणी में रखा गया है, जिसमें ग्रेनाईट भी शामिल है। साथ ही आई.बी.एम., भारत सरकार, खान मंत्रालय द्वारा जारी Indian Minerals Year book 2022 (Part – III : Mineral Reviews) 61st Edition Minor Minerals में भी ग्रेनाईट खदान को गौण खनिज श्रेणी में रखा गया है।
3. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में भी ग्रेनाईट खदान शामिल है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ऑनलाईन आवेदन में त्रुटिवश गौण खनिज के स्थान मुख्य खनिज का उल्लेख हो गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक शपथ पत्र (Notarized affidavit) प्रस्तुत किया गया है।
5. समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन कर पाया कि आवेदित खदान (ग्रेनाईट) गौण खनिज खदान है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व में समिति की 533वीं बैठक दिनांक 30/05/2024 में की गई अनुशंसा के आधार पर लीज एरिया से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी 300 मीटर के संबंध में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के द्वारा माननीय एन.जी.टी. के आदेश के आलोक में अंतिम निर्णय लिये जाने एवं जिले में लागू डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (DSR) वैध होने की शर्त पर ग्रेनाईट (गौण खनिज) की पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की पुनः अनुशंसा की जाती है। उक्त बैठक में निहित की गई अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/11/2025 को संपन्न 210वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया है:–

1. समिति द्वारा माननीय एन.जी.टी. के आदेश के आलोक में अंतिम निर्णय लिये जाने एवं जिले में लागू डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (DSR) वैध होने की शर्त पर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई है। वैध डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (DSR) के आधार पर अनुशंसा किया जाना आवश्यक है के संबंध में परियोजना प्रस्तावक एवं खनिज विभाग से जानकारी प्राप्त किया जाना उचित होगा।
2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, केशकाल वनमण्डल, केशकाल, जिला–कोण्डागांव के ज्ञापन क्रमांक 21/मा.चि./अना. 2023–24 केशकाल, दिनांक 02/01/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र की सीमा से 300 मीटर की दूरी पर है। माननीय एनजीटी द्वारा आरक्षित एवं संरक्षित वनक्षेत्र की सीमा से खदान की दूरी 01 कि.मी. के भीतर नहीं दिये जाने का आदेश है एवं यह भी आदेशित किया गया है कि यदि राज्य शासन चाहे तो स्वयं यह दूरी निर्धारित कर अधिसूचित किया जा सकता है। अतः इस बिन्दु का भी परीक्षण करें।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी.–३, छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी.–३, छत्तीसगढ़ एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(शम्भू अगासीमनी)
सदस्य सचिव,
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

05/12/2025
(पोलिसेट्टी वेंकट नरसिंगा राव)
अध्यक्ष,
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

05/12/25
(डॉ. शैलेश कुमार जाधव)
सदस्य,
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़